Skill India
कौशल भारत-कुशल भारत

सत्यमेव जयते
कौशल विकास और
उद्यमशीलता मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक प्रतिवेदन
2016-2017

“आइए भारत को दुनिया में कौशल की राजधानी बनाएं”

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

विषय सूची

01 परिचय 07-09

1.1 मंत्रालय
1.2 कार्य आवंटन
1.3 बजट आवंटन

02 भारत में कौशलीकरण और उद्यमशीलता परिदृश्य: एक विहंगावलोकन 11-16

2.1 भारत में कौशलीकरण की चुनौतियां और उद्यमशीलता परिदृश्य
2.2 सभी सेक्टरों में वर्धमान मानव संसाधन आवश्यकता
2.3 कौशल कार्य योजना
2.4 राष्ट्रीय अग्रता कौशल कार्य योजना (एनपीएसएपी)
2.5 राज्य स्तर पर मानव संसाधन विकास आवश्यकता

03 मंत्रालय का नीतिगत अंत:क्षेपण 19-21

3.1 राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति, 2015
3.2 राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन
3.3 सामान्य मानदण्ड
3.4 राष्ट्रीय कौशल आकलन और प्रमाणन बोर्ड

04 मंत्रालय के प्रमुख संस्थान 23-46

4.1 प्रशिक्षण महानिदेशालय
4.2 राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी
4.3 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
4.4 सेक्टर कौशल परिषदें
4.5 राष्ट्रीय कौशल विकास निधि
4.6 राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान
4.7 भारतीय उद्यमशीलता संस्थान

05 जारी स्कीमें और पहलें 49-81

क. एनएसडीसी के माध्यम स्कीमें और पहलें

5.1 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)
5.2 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके)
5.3 उडान

ख. डीजीटी के माध्यम स्कीमें और पहलें

5.4 शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम
5.5 शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण स्कीम
5.6 कौशल विकास पहल स्कीम
5.7 शिक्षुता प्रशिक्षण
5.8 एनएपीएस
5.9 उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम (एवीटीएस)
5.10 महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
5.11 आईटीआई उन्नयन स्कीमें
2.12 फ्लैकसी एमओयू
5.13 ट्रेड टेस्टिंग
5.14 पूर्वोत्तर और वाम पक्ष उग्रवादी क्षेत्रों में पहलें
5.15 अंतरिक्ष आधारित दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम (एसडीएलपी)
5.16 व्यावसायिक अर्हता की शैक्षिक संतुल्यता
5.17 नए संस्थान
5.18 भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस)
5.19 दौहरी प्रशिक्षण प्रणाली
5.20 आईटीआई की ग्रेडिंग
5.21 भारतीय कौशल विकास सेवाएं

ग. उद्यमशीलता से संबंधित स्कीमें

5.22 प्रधानमंत्री 'युवा' योजना

घ. अन्य स्कीमें

5.23 कौशल ऋण स्कीम

ड. आने वाली परियोजनाएं

5.24 संकल्प
5.25 स्ट्राइव
5.26 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एमएसटीआई)

06 प्रतियोगिता और पुरस्कार 83-86

6.1 कौशल भारत और विश्व कौशल
6.2 कौशल पुरस्कार (सीटीएस)
6.3 कौशल पुरस्कार (शिक्षुता)
6.4 उद्यमशीलता पुरस्कार

07 कौशल संलग्नताएं 89-93

7.1 केंद्रीय मंत्रालयों के साथ संलग्नता
7.2 अंतर्राष्ट्रीय संलग्नता
7.3 डीजीटी के साथ संलग्नता

08 संगठन चार्ट 95

09 अनुबंध 1-5 97-114

परिचय

1. परिचय

1.1 मंत्रालय की स्थापना और कौशल विकास में इसकी भूमिका

देश में कौशल विकास और उद्यमशीलता से संबंधित प्रयास अब तक बहुत बिखरे हुए हैं। विकसित देशों, जहां कुशल कार्यबल की प्रतिशतता कुल कार्यबल का 60 से 90 प्रतिशत के बीच है, के विपरित भारत के कार्यबल का स्तर औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा के साथ 4.69 प्रतिशत के निचले स्तर पर है। देश में लोगों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता संवर्धन के पारिस्थितिकी तंत्र को तेजी से पुनर्गठित करने की आवश्यकता है, जो उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के साथ यहां की आबादी को अपने जीवन की गुणवत्ता को शानदार बनाने में समर्थ बनाए।

आज, भारत सरकार के 18 से अधिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा देश में 40 से अधिक कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे है (संदर्भ के लिए स्कीमों की सूची अनुबंध-I पर है)। तथापि, प्रशिक्षण अवसंरचना की क्षमता और गुणवत्ता तथा निष्पादन में बड़ा अंतराल है, कार्यबल की आकांक्षाओं पर अपर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है, प्रमाणन और सामान्य मानदंड का अभाव है तथा असंगठित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का स्पष्ट अभाव है। उद्योग की आवश्यकता के अनुसार कौशल विकास और उद्यमशीलता के क्षेत्र में सभी संबंधित स्टेक होल्डरों के प्रयासों को तेजी से समन्वित करने की आवश्यकता और अतिशीघ्रता को समझते हुए भारत सरकार ने 31 जुलाई, 2016 को कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के निर्माण को अधिसूचित किया। आगे चल कर इस विभाग का स्तर बढ़ाकर 09 नवंबर, 2014 को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय बना दिया गया।

भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी 15 जुलाई, 2016 को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा, इंडिया स्किल्स 2016 प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए

1.2 कार्य आवंटन

i. समुचित कौशल विकास ढांचा विकसित करने, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच विषमता को दूर करने, कौशल का स्तर बढ़ाने, नया कौशल निर्मित करने, नवोन्मेषी सोच और बुद्धिमता न केवल मौजूदा जॉब के लिए, बल्कि सृजित किए जाने वाले जॉब के लिए भी, सभी संबंधितों के साथ समन्वय करेगी।

ii. मौजूदा कौशल और उनके प्रमाणन का पता लगाना

iii. शिक्षक संस्थाओं, व्यापार और अन्य सामुदायिक संगठनों के बीच सुदृढ़ भागीदारी करके युवा उद्यमशीलता शिक्षा और क्षमता का विस्तार तथा इसके लिए राष्ट्रीय मानक निर्धारित करना।

iv. कौशल विकास से संबंधित समन्वय की भूमिका

v. महत्वपूर्ण सेक्टरों में बाजार अनुसंधान करना और प्रशिक्षण पाठ्यचर्या की खोज करना

vi. उद्योग-संस्थान संपर्क

vii. इस कार्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी तत्व को लाना ऐसे उद्योगों के साथ भागीदारी करना जिन्हें कुशल जनशक्ति की आवश्यकता है

viii. बाजार के आवश्यकता और कौशल विकास के संबंध में सभी अन्य मंत्रालयों और विभागों के लिए विस्तृत नितियां बनाना।

ix. सॉफ्ट कौशलों के लिए नीतियां तैयार करना

x. कंप्यूटर शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यापक कौशल विकास

xi. कौशल सेटों की शैक्षिक तुल्यता

xii. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित कार्य

xiii. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

xiv. राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी

xv. राष्ट्रीय कौशल विकास न्यास

xvi. विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उद्यमशीलता विकास हेतु कौशलीकरण

xvii. राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा

xviii. भारतीय उद्यमशीलता संस्थान, गुवाहटी

भारत के प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी और राजीव प्रताप रूडी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, कानपुर कौशल मेला 2016 में पीएमकेवीवाई आरपीएल के एक उम्मीदवार को सम्मानित करते हुए

1.3 बजट आवंटन

तालिका 1 : बजट आवंटन 2017-18

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय										
मंत्रालय को आवंटि बजट का ब्यौरा (करोड़ में)										
	बजट अनुमान 2016-17			संशोधित अनुमान 2016-17			वास्तविक व्यय 2016-17 (13th फरवरी 2017)		बजट अनुमान 2017-18	
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	कुल
एमएसडीई	1425	41	1466	1610	39.50	1649.50	710.35	19.33	729.68	1824.74
डीजीटी	275	63.28	338.28	460	63.50	523.50	154.83	71.23	226.06	1191.40
कुल	1700	104.28	1804.28	2070.00	103	2173	865.18	90.56	955.74	3016.14

इंडिया स्किल्स 2016 प्रतियोगिता में हेयर स्टाइलिंग विशेषज्ञता का प्रदर्शन करते हुए

भारत में कौशलीकरण और उद्यमशीलता परिदृश्य

प्रधानमंत्री दिव्यांग कौशल वालंटियर के साथ बातचीत करते हुए

2. भारत में कौशलीकरण और उद्यमशीलता परिदृश्य

2.1 भारत में कौशलीकरण और उद्यमशीलता परिदृश्य में चुनौतियां

कौशल और ज्ञान, किसी भी देश के लिए आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियां होती हैं। कौशल उच्च स्तर और बेहतर मानक वाले देश, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जॉब मार्केट में चुनौतियों और अवसरों को अधिक प्रभावशाली ढंग से समायोजित करते हैं। तथापि, देश के लिए आगे बड़ी चुनौती है क्योंकि यह आकलन किया गया है कि भारत में कुल कार्यबल का केवल 4.69 प्रतिशत[1] ने औपचारिक कौशल प्रशिक्षण लिया है। यद्यपि चुनौतियों के वास्तविक परिणाम पर बहस हो सकती है, किंतु यह निर्विवाद तथ्य है कि चुनौती बहुत बड़ी है।[2]

देश में कौशलीकरण और उद्यमशीलता परिदृश्य में अनेक चुनौतियां हैं, उनमें से कुछ का वर्णन नीचे किया जा रहा है:

i. यह आम अवधारणा है कि वह कौशलीकरण उन लोगों के लिए है, जो प्रगति नहीं पाए हैं/जिन्हें शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाया है।
ii. केंद्रीय सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम, 18 से अधिक मंत्रालयों/विभागों में फैले हुए है और उनमें कोई सुदृढ़ समन्वय तथा अभिसरण सुनिश्चित करने का कोई निगरानी तंत्र नहीं हैं।
iii. मूल्यांकन और प्रमाणन प्रणाली में बहुलता जिससे असंगत परिणाम होते है और नियोक्ताओं में भ्रम पैदा करते हैं।
iv. प्रशिक्षकों की कमी, उद्योग के व्यवसायियों को आकर्षित करने की अयोग्यता
v. सेक्टरीय और भौगोलिक स्तरों पर मांग और आपूर्ति के बीच तालमेल न होना
vi. कुशल और उच्च शिक्षा कार्यक्रम तथा व्यावसायिक शिक्षा के बीच सीमित गतिशीलता
vii. बहुत कम निम्न अभिसरण, घटिया शिक्षुता कार्यक्रम, उद्योग-संपर्क का अभाव
viii. संकीर्ण और प्राय: अप्रचलित कौशल पाठ्यचर्या
ix. महिलाओं की श्रमिक बल भागीदारी में घटती दर
x. अभिभावी गैर-कृषि, असंगठित क्षेत्र का रोजगार, जिससे उत्पादकता कम होती है किंतु कौशलीकरण के लिए कोई ईनाम नहीं
xi. औपचारिक शिक्षा प्रणाली में उद्यमशीलता को शामिल न करना
xii. 'स्टार्ट-अप' के लिए मेंटरशिप और वित्त के लिए पर्याप्त पहुंच का अभाव
xiii. नवीनता प्रेरित उद्यमशीलता पर पर्याप्त बल न देना

2.2 सभी 24 सेक्टरों में वर्धमान मानव संसाधन आवश्यक्ताएं (2017-22)

मानव संसाधन संसाधन और कौशल आवश्यकता रिपोर्टें, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) प्रारंभ की गई थी। इन कौशल अंतराल रिपोर्टों का उद्देश्य 24 उच्च प्राथमिकता वाले सेक्टरों में 2013-17 और 2017-22 के बीच वर्धमान कौशल आवश्यकता की सेक्टरीय और भौगोलिक फैलाव को समझने के लिए है।

इस अनुसंधान में कौशल परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर सेक्टर का ब्योरे-वार विहंगावलोकन किया गया है, कौशल के लिए मांग का मूल्यांकन किया गया है, मुख्य जॉब रोल को रेखांकित किया गया है, उपलब्ध आपूर्ति पक्ष की अवसंरचना की पहचान की गई है, और प्रणाली के अंदर स्टेकहोल्डरों के लिए किए जाने वाले कार्य की संस्तुतियों के बारे में सुझाव दिया गया है। यह अध्ययन उद्योग, प्रशिक्षण प्रदाता, प्रशिक्षार्थी, सेक्टर कौशल परिषद और सरकार सहित मुख्य स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत प्राथमिक इंटरैक्शन के माध्यम से किया गया है। इस अध्ययन के लिए 1000 उद्योग विशेषज्ञों, 500 जॉब रोलों और 1500 + प्रशिक्षार्थियों को नियोजित किया गया है।

पर्यावरण स्कैन 2016 में सरकार की मानव संसाधन आवश्यकताओं की प्रमुख फ्लैगशिप पहलों में संभावित प्रभावों के संबंध में पूर्व रिपोर्टों के निष्कर्षों को अद्यतन किया है। अध्ययन में इन 24 सेक्टरों में 2017-22 के दौरान 10.3 मिलियन मानव संसाधन की वर्धमान आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है। निष्कर्ष से संबंधित ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है।

---

[1]कार्य योग्यआयु जनसंख्या के लिए एनएसएसओ (68वां दौर) 2011-12 से औपचारिक कौशलीकरण डाटा पर आधारित बर्हिवेशन

[2]स्रोत: ग्लोबल एजुकेशन डायजेस्ट, यूनेस्को, 2012; एजुकेशन एट ए ग्लांस रिपोर्ट, ओइसीडी, 2014, एनएसडीसी, इकोनॉमिक्स टाइम्स, 05 जुलाई, 2014, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 2007-12

तालिका 2 : सभी 24 सेक्टरों में वर्धमान आवश्यकता के ब्यौरे

(अनुमान मिलियन में)

क्रंस.	सेक्टर	प्रोजेक्टेड एम्प्लॉयमेंट		वर्धमान मानव संसाधन आवश्यकता
		2017	2022	(2017-2022)
1	कृषि	229	215.5	-13.5
2	भवन निर्माण और रियल एस्टेट	60.4	91	30.6
3	खुदरा	45.3	56	10.7
4	लॉजिस्टिक, परिवहन एवं वेयरहाउसिंग	23	31.2	8.2
5	वस्त्र और कपड़ा	18.3	25	6.7
6	शिक्षा और कौशल विकास	14.8	18.1	3.3
7	हथकरघा व हस्तशिल्प	14.1	18.8	4.7
8	ऑटो और ऑटो कंपोनेंट	12.8	15	2.2
9	निर्माण सामग्री और बिल्डिंग हार्डवेयर	9.7	12.4	2.7
10	निजी सुरक्षा सेवाएँ	8.9	12	3.1
11	खाद्य प्रसंस्करण	8.8	11.6	2.8
12	पर्यटन, आतिथ्य और यात्रा	9.7	14.6	4.9
13	घरेलू मदद	7.8	11.1	3.3
14	रत्न एवं आभूषण	6.1	9.4	3.3
15	इलेक्ट्रानिक्स और आईटी हार्डवेयर	6.2	9.6	3.4
16	सौंदर्य और वेलनेस	7.4	15.6	8.2
17	फर्नीचर और फर्निशिंग	6.5	12.2	5.7
18	स्वास्थ्य देखभाल	4.6	7.4	2.8
19	चमड़ा और चमड़े के सामान	4.4	7.1	2.7
20	आईटी और आईटीईज	3.8	5.3	1.5
21	बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा	3.2	4.4	1.2
22	दूरसंचार	2.9	5.7	2.8
23	फार्मास्यूटिकल्स	2.6	4	1.4
24	मीडिया और मनोरंजन	0.7	1.3	0.6
	कुल	510.8	614.2	103.4

स्रोत: पर्यावरण स्कैन रिपोर्ट, 2016 (एनएसडीसी)

2.3 कौशल कार्य योजना

उपर्युक्त अध्ययनों के निष्कर्ष के आधार पर 34 सेक्टरों में अक्तूबर 2015 से सितंबर 2016 के बीच रोजगार प्रक्षेपों को विधिमान्य करने, 2022 तक क्षेत्र-वार प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने तथा कौशल कार्य योजना विकसित करने के लिए सचिव एमएसडीई की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के बीच लंबी वर्ताएं हुई। 34 सेक्टरों में अनुमानित प्रशिक्षण आवश्यकताओं को नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 3 : सभी 34 सेक्टरों में अनुमानित प्रशिक्षण आवश्यकता (2017 से 2022)

क्रंस.	सेक्टर	प्रशिक्षण आवश्यकता (2017 से 2022) (लाख में)
1	कृषि	24.5
2	पशुपालन	18
3	उर्वरक	1
4	वस्त्र हथकरघा और हस्तशिल्प	60
5	मोटर वाहन, ऑटो कंपोनेंट्स और कैपिटल गुड्स	41*
6	रत्न एवं आभूषण	35
7	खाद्य प्रसंस्करण	33.7
8	चमड़ा	25
9	फार्मास्यूटिकल्स	14
10	रसायन और पेट्रो रसायन	12
11	स्टील	7.5
12	रबड़ विनिर्माण	6.7
13	सड़क परिवहन और राजमार्ग	62.2**
14	बंदरगाहों और समुद्री	25
15	विमानन और एयरोस्पेस	14.2
16	रेलवे	0.12
17	शक्ति	15.2
18	तेल गैस	7.3
19	नवीकरणीय ऊर्जा	6
20	कोयला खनन	2.6
21	निर्माण	320**
22	फर्नीचर फिटिंग	52.6
23	पेंट और कोटिंग्स	9
24	आईटी-आईटीईज	16
25	इलेक्ट्रॉनिक्स	53
26	दूरसंचार	38.2
27	खुदरा	107**
28	सौंदर्य और स्वास्थ्य	82
29	मीडिया और मनोरंजन	13
30	पर्यटन और आतिथ्य	49
31	बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा (बीएफएसआई)	12
32	लॉजिस्टि	42.9**
33	स्वास्थ्य देखभाल	32
34	सुरक्षा	31
	कुल	**1268.72**

*पूजीगत सामग्री - 19 लाख, आटोमोटिव - 23 लाख

** अन्य सेक्टरों के साथ ओवरलैप

2022 में उद्योगों में बढ़ती कौशल विषमता में संभावित गिरावट

निर्माण	320 लाख
खुदरा	107 लाख
सौंदर्य और स्वास्थ्य	82 लाख
सड़क परिवहन और राजमार्ग	62.2 लाख
वस्त्र हथकरघा और हस्तशिल्प	60 लाख
इलेक्ट्रॉनिक्स	53 लाख
फर्नीचर फिटिंग	52.6 लाख
पर्यटन और आतिथ्य	49 लाख
लॉजिस्टि	42.9 लाख
मोटर वाहन, ऑटो कंपोनेंट्स और कैपिटल गुड्स	41 लाख

लेदर गुड्स और फुटवियर ट्रेनिंग

अनुमानित प्रशिक्षण की आवश्यकता (2017 से 2022): 1268.72 लाख

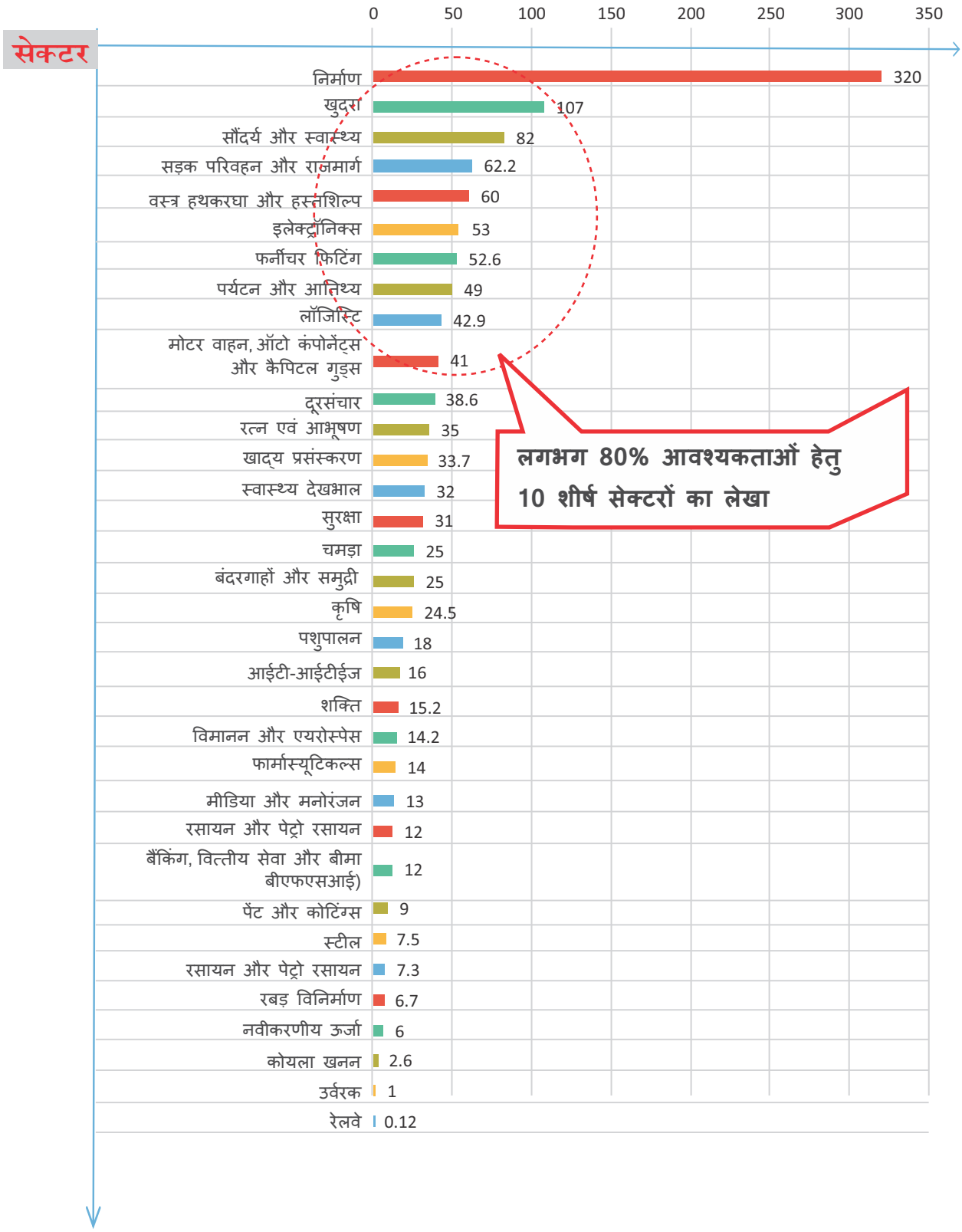

2.4 राष्ट्रीय अग्रता कौशल कार्य योजना (एनपीएसएपी)

कौशल कार्य योजना में परिकल्पित लक्ष्यों को हांसिल करने के लिए कौशल कार्य योजना की सूक्ष्मपूर्ण ट्यूनिंग करके तथा जॉब रोलों और कार्यान्वयन कार्य योजना को पुन: परिभाषित करके राष्ट्रीय अग्रता कौशल कार्य योजना विकसित की जा रही है। इसके लिए 25 सेक्टरों में 41 मंत्रालयों/विभागों के साथ परस्पर विचार-विमर्श चल रहा है। प्रथम चरण में यह योजना सात सेक्टरों अर्थात कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी और आईटीज, टेलिकॉम, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण तथा लॉजिस्टिक में 31 जनवरी, 2017 को मूर्त रूप हुई।

2.5 राज्य स्तर पर मानव संसाधन आवश्यकता

राज्यों में वर्धमान मानव संसाधन आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए विभिन्न अध्ययन किए गए थे। यह नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका 4 : राज्यों में वर्धमान मानव संसाधन आवश्यकताएं (2013-22)

क्रंस.	राज्य	वर्धमान मानव संसाधन आवश्यकताएं (लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	108.71
2	अरुणाचल प्रदेश	1.47
3	असम	12.34
4	छत्तीसगढ़	30.44
5	दिल्ली	63.42
6	गोवा	2.27
7	गुजरात	57.57
8	हरियाणा	34.85
9	हरियाणा	0.93
10	हिमाचल	12.06
11	जम्मू और कश्मीर	11.23
12	झारखंड	44.53
13	कर्नाटक	84.76
14	केरल	29.57
15	मध्य प्रदेश	78.16
16	महाराष्ट्र	155.22
17	मणिपुर	2.33
18	मेघालय	2.49
19	मिजोरम	1.40
20	नगालैंड	0.97
21	ओडिशा	33.46
22	पंजाब	28.99
23	राजस्थान	42.42
24	सिक्किम	1.48
25	तमिलनाडु	135.52
26	त्रिपुरा	2.59
27	उत्तर प्रदेश	110.11
28	उत्तराखंड	20.61
29	पश्चिम बंगाल	93.43
	सकल योग	1203.34

नीतिगत अंत:क्षेपण

कुशल भारत प्रशिक्षण संस्थान में रत्न और आभूषण प्रशिक्षण

3. नीतिगत अंत:क्षेपण

3.1 राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति, 2015

पृष्ठभूमि

प्रथम राष्ट्रीय कौशल विकास नीति (एनपीएसडी) को 2009 में अधिसूचित किया गया था। एनपीएसडी, 2009 में देश में कौशलीकरण परिदृश्य के लिए स्पष्ट उद्देश्यों और परिणामों के साथा विस्तृत ढांचा निर्धारित किया गया था। देश में कौशलीकरण पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक रूपों में परिवर्तन होने से तथा देश में विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त अनुभव से विद्यमान नीति को नए सिरे से तैयार करने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके अलावा, 2009 की नीति में यह प्रावधान किया गया है कि इसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में उभर रही प्रवृत्तियों के साथ नीति के ढांचे को अनुरूप करने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष बाद समीक्षा की जाए।
15 जुलाई, 2015 को अधिसूचित इस नीति से 2009 की नीति अधिक्रमित होती है।

विजन-कथन

"उद्यमशीलता आधारित नवोन्मेष की संस्कृति को तीव्र गति और उच्च मानकता के साथ विशाल पैमाने पर कौशलीकरण के साथ उन्नत करने के लिए सशक्तिकरण परिवेश निर्मित करना, जिससे धन और रोजगार का सृजन हो सके तथा देश में समस्त नागरिकों के लिए सतत आजीविका सुनिश्चित हो सके"।

नीति का कौशल घटक

नीतिगत कौशल घटक द्वारा कौशल परिदृश्य में अन्य समस्याओं के साथ-साथ निम्न आकांक्षा मूल्य, औपचारिक शिक्षा के साथ समेकन न होना, परिणामों पर कम ध्यान केंद्रित होना, प्रशिक्षण अवसंरचना और प्रशिक्षकों का स्तर संबंधी मुख्य समस्याओं का निवारण। पहचानी गई समस्याओं का निवारणार्थ नीति में मांग-आपूर्ति की विषमता दूर करना, मौजूदा कौशल अंतरालों को भरना, उद्योग आबद्धता को संवर्धित करना, गुणवत्ता आश्वासन ढांचे को संचालित करना, प्रौद्योगिकी का उत्थान करना और शिक्षुता का संवर्धन करना शामिल है। इसका उद्देश्य सामाजिक तथा भौगोलिक रूप से अलग-थलग पड़े और महिलाओं सहित अलाभकर समूह में समान कौशलीकरण अवसरों का विकास करना है।

नीति का उद्यमशीलता घटक

इस नीति के उद्यमशीलता क्षेत्र में औपचारिक/कौशल शिक्षा, ऋण तथा बाजार संपर्क की दृष्टि से उद्यमियों की सहायता में वृद्धि करना, नवोन्मेष समर्थित एवं सामाजिक उद्यमियों का पोषण करना तथा व्यवसाय में सुगमता स्थापित करने के भाग के तौर पर पक्ष समर्थन तथा उद्यमशीलता शिक्षा के समाकलन के माध्यम से उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। इसके तहत महिलाओं में उद्यमशीलता उत्पन्न करना तथा सामाजिक/भौगोलिक रूप से अलग-थलग पड़े अलाभकर समूहों की उद्यम आवश्यकताओं को पूरा करने का भी प्रस्ताव है।

3.2 राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन

राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का लक्ष्य उच्च-शक्ति संपन्न निर्णयकारी ढांचे के माध्यम से अभिसरण सृजित करना तथा भिन्न क्षेत्रों के संबंध में निर्णयों को लागू करना है। इसमें पैन इंडिया आधार पर कौशलीकरण गतिविधियों का अभिसरण, समन्वय, कार्यान्वयन तथा निगरानी किए जाने की संभावना है।

इस मिशन में **त्रि-स्तरीय संस्थानगत ढांचा** कार्य करता है, जिसमें निकायों के प्रपाती कार्यों में नीति-निर्देश तथा दिशा-निर्देश प्रदान करना, समग्र प्रगति की समीक्षा और निगरानी करना तथा मिशन उद्देश्यों के संरेखण में वास्तविक कार्यान्वयन शामिल हैं। मिशन के कार्यों में उच्च अग्रता वाले क्षेत्रों में उप-मिशनों का चयन करना भी शामिल है। उप-मिशनों की पहचान करने की शक्ति शासी परिषद के पास है। सर्वप्रथम निम्नलिखित क्षेत्रों में सात मिशनों का प्रस्ताव किया गया है:

(i) संस्थागत प्रशिक्षण, (ii) अवसंरचना, (iii) अभिसरण, (iv) प्रशिक्षक, (v) विदेश रोजगार, (vi) सतत आजीविका, (vii) सार्वजनिक अवसंरचना का उत्थान

एनएसडीएम की शासी परिषद, संचालन समिति तथा कार्यकारी समिति 27 नवंबर, 2015 को अधिसूचित हुए थे। इसको (राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद) की शासी परिषद की प्रथम बैठक 01.06.2016 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। शासी परिषद के निर्णयों को लागू करने के लिए कार्यकारी परिषद की बैठके वर्ष में दो बार 16.02.2016 तथा 12.08.2016 को आयोजित हुई थी।

चार्ट 1 : एनएसडीएम का संगठनात्मक ढांचा

प्रमुख संथागत तंत्र	कार्य
शासी परिषद अध्यक्ष : प्रधानमंत्री	• समग्र दिशा-निर्देश तथा नीति निर्देश प्रदान करना। • उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों में उप-मिशन संबंधी निर्णय। • मिशन की गतिविधियों की समग्र प्रगति एवं विकास की समीक्षा • केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में समस्त कौशल विकास पहलों/स्कीमों के अभिसरन पर निगाह रखना।
↓	
संचालन समिति अध्यक्ष : मंत्री, एमएसडीई	• शासी परिषद के निर्देशानुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। • लक्ष्य का निर्धारण तथा वार्षिक मिशन योजना को अनुमोदित करना। • मिशन गतिविधियों की समग्र प्रगति की तिमाही आधार पर समीक्षा।
↓	
मिशन निदेशालय (कार्यपालक समिति) अध्यक्ष : सचिव, एमएसडीई	• मिशन की गतिविधियों का कार्यान्वयन एवं निगरानी। • शासी परिषद तथा संचालन समिति के निर्णयों के कार्यान्वयन और समन्वयन। • राज्य प्रयासों को समन्वित एवं प्रस्तुत करना। • उप-मिशनों का समन्वयन।
↓	
एनएसडीए/ एनएसडीसी/ डीजीटी / **राज्य कौशल विकास मिशन**	

3.3 सामान्य मानदंड

भारत सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) के अध्यक्ष की अध्यक्षता में, दिनांक 02.12.2013 की अधिसूचना के द्वारा, कौशल विकास पर केंद्र सरकार की योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने/युक्तिकरण के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसका कार्य भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कौशल विकास की योजनओं के लिए मानदंड उपलब्ध कराना है। अनेक दौरों के विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के मानदंडों के बारे में अपनी सिफारिश दी थी, साथ ही इसमें देश के विभिन्न भागों/विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीलापन अपनाने की व्यवस्था भी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में समूची व्यवस्था को कवर किया है, जिसमें कौशल विकास, इनपुट/आउटपुट, निधिकरण/लागत मानदंड, तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण और आकलन, लागत समिति आदि शामिल है। समिति की रिपोर्ट को आम जनता की जानकारी और टिप्पणियों के लिए वेबसाइट पर डाल दिया गया था। समिति की रिपोर्ट और हितधारकों से प्राप्त इनपुट/फीडबेक के आधार पर, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित कौशल विकस योजनाओं के लिए सामान्य मानदंड बनाए हैं। भारत सरकार ने इन सामान्य मानदंडों को अधिसूचित कर दिया है, जिसके अनुसार विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी केंद्रीय कौशल विकास स्कीमें अप्रैल, 2016 तक एक ही मानदंड के अंतर्गत संचालित होनी थीं। मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों को एक ही मानदंड के तहत लाने के लिए सामान्य मानदंड समिति की तीन बैठकें 11.12.2015, 29.09.2016 और 20.01.2017 को आयोजित हुई हैं।

3.4 राष्ट्रीय कौशल आकलन और प्रमाणन बोर्ड

देश में अब तक आकलन प्रक्रियाओं में बहुत अधिक बिखराव था। खराब विनियम प्रक्रियाएं तथा आकलन गाइडलाइन में एकरूपता नहीं होने के कारण समस्त आकलन परिवेश पर प्रश्न चिन्ह लग गया है।

- मंत्रालय राष्ट्रीय कौशल आकलन तथा प्रमाणन बोर्ड की धारणा पर काम कर रहा है, जिसमें उद्योग संचालित एसएससी प्रमाणन प्रक्रियाएं तथा सरकार प्राधिकृत एनसीवीटी प्रमाण पत्र में एकरूपता स्थापित हो सके।
- यह बोर्ड, देश में कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप परीक्षकों, आकलनों तथा राष्ट्रीय स्तर के प्रमाण पत्रों को एक सूत्र में बांधेगा।
- एक स्वायत्तशासी संगठन के रूप में बोर्ड की स्थापना करने तथा देश में उच्च मानकता के कौशल आकलन परिवेश स्थापना को सुनिश्चित करने के लिए वित्त-वर्ष 2017-18 में 25 करोड़ रू की व्यवस्था की गई है।

कौशल भारत केंद्र में वाहन चालक प्रशिक्षण

मंत्रालय के प्रमुख संस्थान

जॉब प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्माण सेक्टर में बार बेन्डिंग प्रशिक्षण

4. मंत्रालय के प्रमुख संस्थान

4.1 प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी)

प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन व्यावसायिक प्रशिक्षण के विकास और समन्वय क्षेत्र में एक शीर्ष संगठन है, जिसमें देश के नियोजनीय युवाओं के लिए महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उद्योग के लिए कुशल जन शक्ति और रोजगार सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। 16 अप्रैल, 2015 के मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या 1/21/9/2014-कैब और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दिनांक 21.02.2015 के आदेश संख्या डीजीई एंड टी-ए-22020/01/2015-प्रशा.।। के अनुसरण में रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईएंडटी) के दो वर्टीकल्स, जो उप-महाप्रबंधक (प्रशिक्षण) तथा उप-महाप्रबंधक (शिक्षुता प्रशिक्षण) के अधीन हैं, अपने सहायक प्रणाली सहित कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) को स्थानांतरित कर दिए गए।

डीजीटी के मुख्य भूमिकाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

01 व्यावसायिक प्रशिक्षण का नीति निर्माण

02 मानक निर्धारण

03 पाठ्यक्रम-पाठ्यचर्या में संशोधन

04 संबद्धता प्रदान करना

05 व्यापार परीक्षण

06 प्रमाणन

4.1.1 कार्य

डीजीटी श्रम बाजार में विभिन्न सेगमेंट की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। पाठ्यक्रम, स्कूल बीच में छोड़ने वाले, आईटीआई उत्तीर्ण, आईटीआई अनुदेशकों, औद्योगिक कर्मियों, तकनीशियनों, कनिष्ठ तथा मध्यम स्तर के कार्यपालकों/पर्यवेक्षकों/फोरमैनों, महिलाओं, नि:शक्तजनों, एससी/एसटी हेतु उपलब्ध हैं। यह प्रशिक्षार्थियों तथा प्रशिक्षकों आदि के उपयोग के लिए अनुदेशात्मक मीडिया पैकेजों के विकास तथा प्रशिक्षणोन्मुखी अनुसंधान भी आयोजित करता है।

डीजीटी राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के सचिवालय और कार्यान्वयन इकाई के रूप में कार्य करता है।

4.1.2 डीजीटी के अधीन प्रशिक्षण संस्थान

- 13350 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई)
- 31 केंद्रीय संस्थान:
  - 10 उन्नत प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई)
  - 2 एटीआई - ईपीआई (उन्नत प्रशिक्षण संस्थान - विद्युत प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन)
  - 2 फोरमेन प्रशिक्षण संस्थान (एफटीआई)
  - 1 केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान (सीटीआई)
  - 1 महिलाओं के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (एनवीटीआई)
  - 15 महिलाओं के लिए क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (आरवीटीआई)
- 12 निजी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संस्थान (आईटीओटी)
- 2 राज्य सरकार आईटीओटी
- केंद्रीय स्टाफ प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान (सीएसटीएआरआई)
- राष्ट्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान (निमी)
- अपैक्स हाई-टेक संस्थान

4.1.3 राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी)

राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) एक त्रि-पक्षीय निकाय है। इसका गठन 1956 में श्रम मंत्रालय द्वारा "व्यावसायिक प्रशिक्षण" से संबंधित मामलों पर सलाह देने हेतु किया गया था, जिसमें पाठ्यचर्या की डिजाइनिंग, अर्हता मानकों का अनुरक्षण, संबद्धता हेतु मानदंड का निर्णय, संस्थानों को संबद्धता प्रदान करने, व्यावसायिक परीक्षण और प्रमाणन शामिल हैं।

एमएसडीई में स्थानांतर होने के बाद एनसीवीटी का 13.05.2015 को कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में आंशिक रूप से पुनर्गठन हुआ। इस परिषद में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, नियोजक संगठनों, कर्मचारी संगठनों का प्रतिनिधित्व है। एनसीवीटी को सचिवालयी सहायता डीजीटी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

4.1.3.1 एनएसीवीटी के प्रमुख कार्य

- इंजीनियरी तथा गैर-इंजीरियनी में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्रों की स्थापना तथा उन्हें प्रदान करना;
- प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रमों, उपस्करों, पैमानों, पाठ्यक्रमों की अवधि तथा क्रिया-विधि संबंधी मानक निर्धारित करना;
- विभिन्न ट्रेड पाठ्यक्रमों के लिए ट्रेड परीक्षा का प्रबंध करना तथा ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षित दक्षता मानकों का निर्धारण करना;
- देश के प्रशिक्षण संस्थानों का तदर्थ अथवा नियतकालिक निरीक्षण करना तथा यह सुनिश्चित करना कि परिषद द्वारा विनिर्धारित मानकों का परिपालन किया जा रहा है;
- राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रयोजनार्थ सरकार अथवा निजी एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करना एवं ऐसी मान्यता के संबंध में शर्तें निर्धारित करना;
- राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अर्हता शर्तों और मानकों का निर्धारण;
- प्रशिक्षण संस्थानों के तकनीकी स्टॉफ की योग्यता निर्धारित करना;
- जहां कहीं भी आवश्यक हो, अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधाओं के प्रावधान की सिफारिश करना तथा अतिरिक्त प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना अथवा अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के गठन हेतु यथा संभव सहायता उपलब्ध करना;

15 जुलाई 2016 को विज्ञान भवन में आयोजित कुशल भारत मिशन की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर बांए से दांए - जितेंद्र सिंह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री; श्रीमती स्मृति ईरानी, वस्त्र मंत्री; वैंकैया नायडू, शहरी विकास मंत्री; श्री प्रणब मुखर्जी, माननीय राष्ट्रपति; राजीव प्रताप रूडी, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रकाश जावेदकर, मानव संसाधन विकास मंत्री और रोहित नंदन, सचीव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय।

कौशल विकास संबंधी मामलों में संबंधित राज्य सरकारों को सलाह देने हेतु ऐसी ही परिषदों तथा राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) का गठन किया गया है। एनसीवीटी द्वारा एससीवीटीज को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1861 के अधीन सोसायटी के रूप में पंजीकरण की सलाह दी जाती है।

4.1.3.2 एनएसीवीटी एमआईएस पोर्टल: प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने निम्नलिखित सहित आईटीआई संबंधी ऑनलाइन सूचना पहुंच बनाने के लिए एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल आरंभ किया है:

- सभी संबद्ध सरकारी तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) संबंधी सूचना।
- कौशल प्रशिक्षण/शिक्षुता तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उम्मीदवार
- कुशल कामगारों की मांग करने वाले नियोजक
- नागरिक सूचना तथा फीडबैक
- आईटीआई अनुमोदित पाठ्यक्रम
- नामांकन पारदर्शिता
- प्रशिक्षण/शैक्षिक अनुसूची
- स्व-प्रोफाइल और प्रशिक्षण प्रगति दृश्यता
- ई-मार्कशीट तथा ई-सर्टिफिकेट ऑनलाइन
- ई-मेल और एसएमएस अलर्ट
- तैनाती सुविधा
- आईटीआई की स्टार-ग्रेडिंग

एनसीवीटी-एमआईएस पोर्टल संबंधी अधिक जानकारी के लिए www.ncvtmis.gov.in देखें।

4.1.4 **शिक्षुता प्रशिक्षण क्षेत्रीय निदेशालय (आरडीएटी)**

शिक्षुता प्रशिक्षण क्षेत्रीय निदेशालय (आरडीएटी) पर केंद्रीय सरकारी उपक्रमों/विभागों में शिक्षुता अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी रखने की जिम्मेदारी है।

इस समय 6 आरडीएटी कार्यरत हैं, जो चेन्नई (तमिलनाडु), फरीदाबाद (हरियाणा), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), कानपुर (उत्तर प्रदेश), कोलकाता (पश्चिम बंगाल) तथा मुंबई (महाराष्ट्र) में स्थित हैं।

4.2 राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी

राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की कौशलीकरण परिवेश में एक गुणवत्ता आश्वासन और नीति अनुसंधान निकाय है। इस एजेंसी को जून 2013 में अधिसूचित किया गया था, जिसका गठन कौशल विकास पर प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड तथा कौशल विकास संबंधी प्रधानमंत्री के सलाहकार के कार्यालय को मिलाकर किया गया था। एनएसडीए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है।

4.2.1 दिनांक 6 जून, 2013 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार एनएसडीए को सौंपे गए कार्यों में निम्नलिखित शामिल है:

- कौशलीकरण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी संभव कदम उठाना, जैसा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में और उसके बाद परिकल्पना की गई है।
- यह सुनिश्चित करना कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यकों, महिलाओं जैसे वंचित और हाशिए पर के समूहों तथा दिव्यांगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है।
- राज्य कौशल विकास मिशनों के लिए नोडल एजेंसी

- विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, एनएसडीसी और निजी संस्थानों के बीच कौशल विकास के लिए गतिविधियों का समन्वय और एकीकरण करना।
- एनएसक्यूएफ को स्थिर करना और प्रचालनरत करना।
- कौशल विकास के लिए अतिरिक्त बजलगत संसाधन जुटाना।
- विद्यमान कौशल विकास स्कीमों का उनकी क्षमता उनकी क्षमता निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन करना और सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना।
- एक डायनमिक श्रम बाजार सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) तैयार करने सहित कौशल विकास से संबंधित एक राष्ट्रीय डाटा बेस बनाना और उसका रख रखाव करना।
- पक्ष समर्थन के लिए सकारात्मक कार्रवाई
- सरकार द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य का निर्वहन करना

राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति, 2015 के अनुसरण में एनएसडीए के अतिरिक्त कार्य

- कौशल परिदृश्य को बेहतर परिणामोन्मुखी बनाने के लिए एनएसक्यूएफ में गुणवत्ता आश्वासन ढांचा स्थापित करना और कार्यान्वित करना। इसके अंतर्गत देश में प्रशिक्षण, आकलन और प्रमाणन प्रक्रियाओं के ढांचे और एजेंसियों की स्थापना शामिल है।
- एनएसडीए के तत्वाधान में राष्ट्रीय कौशल अनुसंधान प्रभाग (एनएसआरडी) की स्थापना करना, जो राष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास में विश्वसनीय अनुसंधान संगठन के रूप में विकसित हो तथा कौशल विकास से संबंधित अनुसंधान पर इनपुट्स हेतु एक थिंक-टैंक के रूप में कार्य करे। इसका उद्देश्य भारत में कौशल विकास संबंधी अनुसंधान के लिए प्राधिकृत, गुणवत्तता पूर्ण और सुगम्य थिंक-टैंक के रूप में कार्य करना है।
- निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं के पंजीकरण और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकोलों का विकास करना।
- गुणवत्ता आश्वासन ढांचे पर अमल करने के लिए एसएससी/एजेंसियों द्वारा कौशल प्रमाण पत्रों पर 'कौशल भारत' लोगो को प्रयोग बढ़ावा देना।

4.2.2 राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ)

राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) एक सक्षमता आधारित ढांचा है, जो सभी अर्हताओं को ज्ञान, कौशल और रूझान के एक स्तर-श्रंखला के अनुसार संगठित करता है। ये स्तरों को एक से लेकर दस तक का ग्रेड दिया गया है, जो एक शिक्षार्थी के पास होने आवश्यक हैं, चाहे उन्हें उसके औपचारिक, गैर-औपचारिक अथवा अनौपचारिक शिक्षण के माध्यम से अर्जित किया हों।

भारत में एनएसक्यूएफ को 27 दिसंबर, 2013 को अधिसूचित किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एनवीईक्यूएफ (राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता ढांचा) सहित अन्य सभी ढांचों को एनएसक्यूएफ द्वारा अधिक्रमित कर दिया गया। एनएसक्यूएफ आधारित प्रशिक्षण/शैक्षिक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों को सहकारी वित्त-पोषण भी अग्रता के आधार पर संभावित है।

एनएसक्यूएफ इनपुट्स केंद्रित शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन द्वारा परिणाम/सक्षमता आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। इससे पूर्व शिक्षण मान्यता के साथा भारतीय अर्हताओं को अंतर्राष्ट्रीय अर्हता संरेखण हेतु समर्थ बनाया जा सकेगा।

यह एक सक्षमता आधारित ढांचा है, जो अर्हताओं को 10 स्तरों तक संगठित करता है। ये अर्हताएं प्रवेश स्तर 1 से आरंभ होकर 10 के उच्चतम स्तर तक होती है। अर्हता प्रत्येक स्तर से सक्षमता की निम्नलिखित श्रेणियां निर्धारित होती हैं:-

1. **पेशेवर ज्ञान** - यह स्तर दर्शाता है कि व्यक्ति को इस स्तर पर क्या जानना जरूरी है
2. **पेशेवर कौशल** - यह स्तर दर्शाता है कि व्यक्ति को इस स्तर पर क्या करने में सक्षम होना चाहिए
3. **कोर कौशल** - इसमें सॉफ्ट स्किल और अंतर्व्यक्तिगत कौशल आते हैं।
4. **उत्तरदायित्व** - अधीक्षण का वह स्तर, जिसे दूसरे व्यक्ति पर लागू किया जा सके अर्थात अधीक्षण का वह स्तर, जिसे व्यक्ति दूसरे पर लागू करने में सक्षम हो।

4.2.3 एनएसक्यूएफ संरेखण की प्रक्रिया

एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए एनएसक्यूसी से अनुमोदन मांगने के लिए प्रदाता निकाय अपनी अर्हताएं/पाठ्यक्रम एनएसडीए को प्रस्तुत करते हैं। प्रदाता निकाय अपनी जानकारी अर्हता फाइल नामात टेम्प्लेट में देते हैं। अर्हता फाइल वो साधन है, वे राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति को यह साक्ष्य प्रस्तुत करते है कि उनकी अर्हताएं एनएसक्यूएफ के अनुरूप हैं।

चार्ट 2 : एनएसक्यूएफ संरेखण की प्रक्रिया

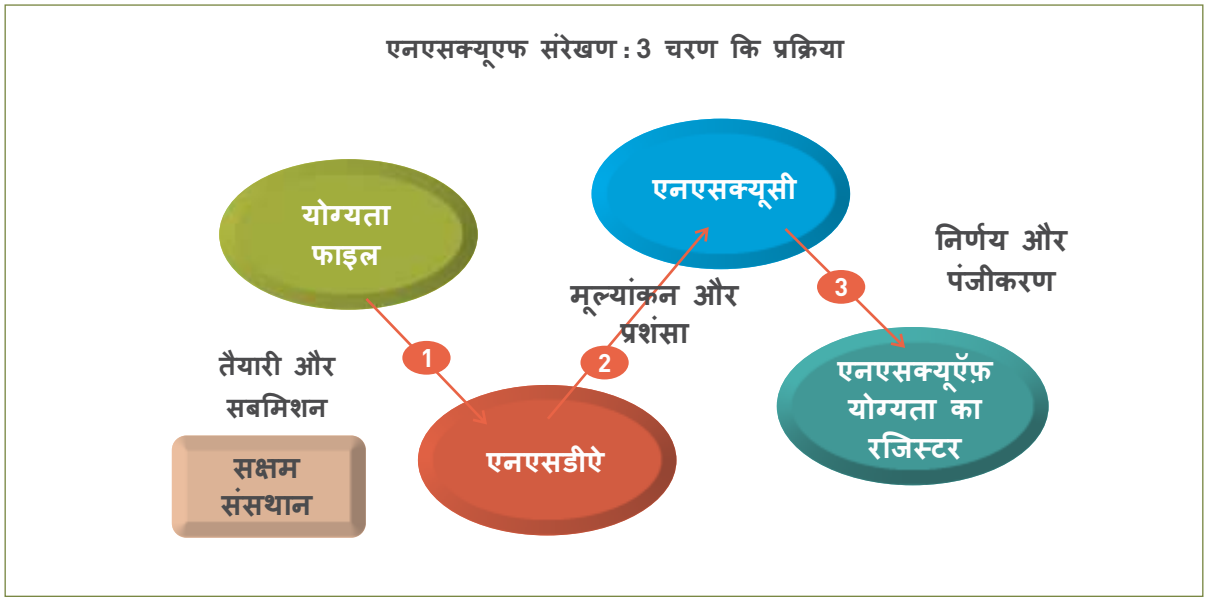

एक अर्हता फाइल में अर्हता को एनएसक्यूएफ अनुपालनीय बनाने संबंधी सभी सूचनाएं होती हैं। अर्हता फाइल वह फोल्डर है, जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं आती हैं:

- एक सार पत्रक, जिसमें अर्हता सूचना शीर्षक दर्ज होगा
- एक तैयार दस्तावेज, जिसमें एनएसक्यूएफ अपेक्षाओं के अनुसार अर्हताओं को दर्शाने वाली सूचनाएं दर्ज होंगी।
- अर्हता फाइल के साथ अनुबद्ध सहायक साक्ष्य - अर्थात वे दस्तावेज, जो पहले से ही मौजूद हैं और जो तैयार फाइल की सूचनाओं के समर्थन में शामिल किए गए हैं।

चार्ट 3 : अर्हक फाइल टेम्प्लेट

अर्हता उपाधि	अर्हता की उपाधि, जैसा कि उपाधि प्रमाण पत्रों में अंकित है, पूर्ण रूप से प्रदर्शित होनी चाहिए तथा वह सूचनात्मक रूप से सुस्पष्ट होनी चाहिए। प्रमाणीकरण निकाय द्वारा प्रदत्त अर्हता में यदि कोई पहचान संख्या प्रदान की गई है, तो वह भी दी जाए।
अर्हता का प्रकार और उद्देश्य	अर्हता का प्रकार भी सूचित किया जाए। उदाहरणार्थ, कोई अर्हता पैक (क्यूपी): क्यूपी के अनुरूप ट्रेड प्रमाण पत्र, कोई डिप्लोमा, जो राष्ट्रीय पेशा मानक (एनओएस) में शामिल हो; या कोई ऐसी अर्हता, जो किसी क्यूपी और एनओएस से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित न हो। अर्हता का मुख्य उद्देश्य तथा लक्षित शिक्षण सूचित करे - उदाहरणार्थ, व्यक्तियों को काम प्राप्त करने के लिए निर्धारित अर्हता, पहले से ही जॉब पर लगे व्यक्तियों के लिए अभिप्रेत अर्हता, प्रौद्योगिकी परिवर्तन पर आधारित नव कौशलों को व्यक्तियों के अर्हता में शामिल किए जाने की अभिस्वीकृति।
अर्हता प्रदान करने के इच्छुक निकाय/ निकायों के नाम	निकाय/निकायों के नाम यहां लिखें। यह निकाय अर्हता प्रदान किए जाने वाले योग्य व्यक्तियों का अंतिम रूप से निर्धारण करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रमाण पत्र अनुचित रूप से अथवा धोखे से जारी न हो जाए। यदि यह निकाय उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किसी को प्रत्यायोजित करता है, तो यह बात नीचे खंड 1 में आपके उत्तर के साथ विस्तार से लिखी जानी चाहिए।
अर्हक बनाने योग्य पाठ्यक्रम चलाने वाले प्रदाता को प्रत्यायित करने वाले निकाय	निकाय/निकायों के नाम यहां लिखें। यहां केवल नाम/नामों को लिखा जाए। अधिक जानकारी, यदि आवश्यक हो तो, निम्नलिखित नीचे खंड 1 में दी जाए।
मूल्यांकन के लिए ज़िम्मेदार संसथान	इसका मतलब यह है कि, मूल्यांकन जो प्रमाणीकरण की ओर गिना जायेगा. यहाँ कि प्रतिक्रिया योग्यता के आधार पर भिन्न होगी. यह दो भागों में हो सकता है: (i) संसथान का नाम दर्ज करें जो कि योग्यता के लिए मूल्यांकन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार है यानी यह सुनिश्चित करना कि मूल्यांकन मान्य, सुसंगत/ विश्वसनीय, निष्पक्ष आदि है. (ii) यदि उम्मीदवारों के वास्तविक आंकलन को बड़ी संख्या में सौंप दिया जाता है

4.2.4 राज्यों में एनएसक्यूएफ

एनएसक्यूएफ को राज्यों में परिचालनार्थ एनएसडीए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनएसक्यूएफ के परिचालन हेतु प्रक्रिया में एनएसक्यूएफ की ई-किट राज्य नोडल एजेंसी अथवा राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम) को भेजी जाती है। राज्य के हितधारकों के साथ एनएसक्यूएफ पर एक कार्यशाला आयोजित की जाती है। इसके उपरांत राज्य द्वारा एनएसक्यूएफ के संबंध में एक कोर समिति का गठन किया जाता है। एनएसक्यूएफ पर कोर समिति का गठन 11 राज्यों में किया जा चुका है, वे हैं- असम, हरियाणा, मेघालय, पंजाब, पुडुचेरी, ओडिशा, नागालैंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तरांखड तथा उत्तर प्रदेश। कोर समिति वह समिति है, जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों, जिनके राज्य में एनएसक्यूएफ के परिचालनार्थ काम करने की संभावना है, के प्रतिनिधित होते हैं। यह समिति राज्य से संबंधित अर्हताओं की पहचान करती है तथा अर्हता फाइल टेम्प्लेट में समस्त संबंधी सूचनाएं डालती है और उसे एनएसक्यूसी के अनुमोदन के लिए भेजती है।

एनएसक्यूएफ कार्यशालाएं 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित की गई हैं, वे हैं- असम, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महारष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल। ओडिशा, तेलंगाना, मिजोरम तथा हरियाणा ने एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए एनएसडीए को अर्हता भी फाइलें भी भेज दी हैं।

4.2.5 केंद्रीय मंत्रालयों में एनएसक्यूएफ की वर्तमान स्थिति

i. 6 मंत्रालयों ने अर्हताएं भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है

1.	एमएसडीई के तहत डीजीटी:	141 अर्हताएं
2.	वस्त्र मंत्रालय:	50 अर्हताएं
3.	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालय:	30 अर्हताएं
4.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय:	36 अर्हताएं
5.	एमएसएमई मंत्रालय:	23 अर्हताएं
6.	ग्रामीण विकास मंत्रालय:	1 अर्हता

i. 4 मंत्रालयों ने एनएसक्यूएफ के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अधिसूचना जारी की है:
   1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
   2. महिला और बाल विकास मंत्रालय
   3. ग्रामीण विकास मंत्रालय
   4. आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

ii. 3 मंत्रालयों ने एनएसक्यूएफ पर कोर समिति का गठन किया है:
   1. पर्यटन मंत्रालय
   2. एमएसएमई मंत्रालय
   3. रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय

iii. राज्य कौशल विकास मिशनों का क्षमता निर्माण:

एनएसडीए विभिन्न राज्य कौशल विकास मिशनों के साथ कार्यरत है, जिनमें चंडीगढ़ (यूटी) के साथ एसएसडीएम के ढांचे का पुनर्गठन करना तथा हिमाचल प्रदेश में कौशल नीति का विकास करना आदि।

मेघालय राज्य कौशल विकास सोसाइटी तथा रोजगार और शिल्पकार प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा पर आयोजित कार्यशाला

4.2.6 एनएसक्यूएफ संरेखित अर्हताओं का अनुमोदन

राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) के माध्यम से एनएसक्यूएफ का कार्यान्वयन किया जा रहा है। एनएसक्यूसी विभिन्न निकायों द्वारा प्रस्तुत की गई अर्हताओं का अनुमोदन करता है। एनएसडीसी ने 26 मार्च, 2015 को आयोजित एनएसक्यूसी की चौथी बैठक के बाद से एनओएस/क्यूपी के अनुमोदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एनएसक्यूसी ने मार्च 2015 से जनवरी 2016 तक 1722 अर्हताओं को एनएसक्यूएफ संरेखण का अनुमोदन कर दिया है।

4.2.7 राष्ट्रीय अर्हता विकास रजिस्टर (एनक्यूआर)

एक राष्ट्रीय अर्हता रजिस्टर तैयार किया गया है, जिसमें समस्त अनुमोदित अर्हताओं तथा तत्संबंधी एनएसक्यूएफ स्तरों का संकलन होगा। अनुमोदित अर्हताओं के रजिस्टर को जनता के लिए इन पर www.nqr.gov.in ऑनलाइन डाल दिया गया है।

4.2.8 राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन ढांचा (एनक्यूएएफ)

गुणवत्ता, प्रभावी शिक्षा तथा प्रशिक्षण/कौशल कार्यक्रमों का मर्म में निहित है। शिक्षार्थी नियोजक तथा जनता को यह सुनिश्चित होना चाहिए, कि शिक्षा तथा प्रशिक्षण/कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से जो प्रशिक्षण तथा योग्यातएं प्रदान की जा रही हैं, वे उच्च स्तर की हैं, चाहे वे कही पर दी गई हों तथा उनका मूल्यांकन कही भी किया गया हो। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन ढांचा (एनक्यूएएफ) का उद्देश्य भारत में समस्त शिक्षा और प्रशिक्षण /कौशल कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करना है।

एनक्यूएएफ, शिक्षा तथा प्रशिक्षण के कार्य में संलग्न विभिन्न संगठनों को बैंचमार्क अथवा गुणवत्ता मानदंड प्रदान करता है, जो प्रदान की जा रही शिक्षा प्रशिक्षण/कौशल गतिविधियों के प्रत्यायन के लिए अनिवार्य है।

मैन्युअल 1 : मैन्युअल के समग्र दृष्टि- मैन्युअल में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध होगी:

- एनएसक्यूएफ के तहत राष्ट्रीय गुवणत्ता आश्वासन ढांचे (एनक्यूएएफ) पर एक दृष्टि।
- इसमें एनक्यूएएफ के उद्देश्य, सिद्धांत तथा सूचक शामिल हैं।
- इसमें एनक्यूएएफ के उप-सेट के रूप में 7 मैन्युअलों का सार भी उपलब्ध है।

मैन्युअल 2 : एनएसक्यूएफ अर्हताओं का पंजीकरण- मैन्युअल में निम्नलिखित घटकों का विस्तृत ब्यौरा है:

- अर्हता फाइल
- अर्हता पंजीकरण
- एनएसक्यूएफ स्तरीकरण के सिद्धांत
- एनएसक्यूएफ स्तरीकरण की विधि
- अर्हता के उद्देश्य इसके लिए साक्ष्य उपलब्ध कराने के तरीके
- एनएसक्यूसी का गठन और उसके कार्य
- अर्हता समीक्षा प्रक्रिया

मैन्युअल 3 : प्रशिक्षण/शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन- यह मैन्युअल प्रशिक्षण/शिक्षा संस्थानों के लिए बना है, इसमें निम्नलिखित सूचना और दिशा-निर्देश दिए गए हैं:

- एनक्यूएएफ प्रत्यायन के चार स्तर - स्थायी प्रत्यायन स्तर तथा एनक्यूएएफ प्रत्यायन, कौशल भारत प्रत्यायन, उत्कृष्टता के केंद्र।
- एनक्यूएएफ गुणवत्ता मानदंड, यथा कानूनी स्थिति, शैक्षणिक सेवाओं का प्रबंधन, सुविधाएं और संसाधन, अध्यापन और शिक्षण सेवाएं, विद्यार्थी सहायता सेवाएं, डाटा प्रबंधन,
- प्रत्यायन के लिए आवश्यक साक्ष्य का प्रकार
- प्रत्यायन की प्रक्रिया
- प्रशिक्षण/शैक्षिक संस्थानों के प्रत्यायन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र

मैन्युअल 4 : आकलनकर्ता निकायों का प्रत्यायन - यह मैन्युअल एनएसक्यूएफ अर्हताओं के लिए आकलन हेतु निगरानी और दिशा-निर्देश संबंधी मुख्य दस्तावेज है। इसमें निम्नलिखित का प्रावधान है:

- एनएसक्यूएफ प्रत्यायन के तीन स्तर
- संगठनात्मक ढांचे और प्रबंधन, प्रशासन तथा संसाधन, आकलनकर्ता स्टाफ, आकलन सेवाओं का प्रबंधन, शिकायतें, अपील तथा कुप्रथाएं
- प्रत्यायन के लिए अपेक्षित साक्ष्य के प्रकार
- प्रत्यायन प्रक्रिया
- प्रशिक्षण/शिक्षा संस्थान के प्रत्यायन संबंधी आवेदन का निर्धारित प्रपत्र
- प्रभावी आकलन दिशा-निर्देश के मुख्य सिद्धांतों का सार
- आकलन प्रक्रिया के सभी स्तरों की सूचना और दिशा-निर्देश।

मैन्युअल 5 : एनएसक्यूएफ लेखा परीक्षा मैन्युअल - प्रशिक्षण/शिक्षा संस्थानों तथा आकलनकर्ता निकायों की लेखा परीक्षा प्रक्रिया के संबंध में लेखा-परीक्षकों के सहायतार्थ:

- लेखा परीक्षा सिद्धांत
- लेखा परीक्षा प्रक्रिया

मैन्युअल 6 : एनएसक्यूएफ जोखिम आकलन ढांचा - मैन्युअल जोखिम आकलन अभिगम से सक्षम निकायों तथा पुरस्कार प्रशिक्षण/शिक्षा संस्थानों एवं निकायों, जो उच्च गुणवत्तता पूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, के लेखा परीक्षा बोझ सीमित लेखा परीक्षा के माध्यम से कम से कम होता है। इसमें निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:

- प्रचालन सिद्धांत और प्रोटोकॉल
- जोखिम आकलन प्रक्रिया
- जोखिम संकेतक

मैन्युअल 7 : उद्योग आधारित निकायों (सेक्टर कौशल परिषदें) का गुणवत्ता आश्वासन - इस मैन्युअल में विशेष उद्योग सेक्टर के साथ एनएसक्यूएफ के कार्यान्वयन और एनएसक्यूएफ के अर्हता विकास में सेक्टर कौशल परिषदों की भूमिका पहलुओं को शामिल किया गया है।

- एनओएस का विकास
- उद्योग परामर्श
- एनओएस समूह की एनएसक्यूएफ के साथ अनुरूपता।
- एनएसक्यूएफ पर संचार संपर्क संबंधी सूचना
- सेक्टर के भीतर एनएसक्यूएफ कार्यान्वयन पर डाटा की आवश्यकता।

मैन्युअल 8 : राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर के निकायों संबंधी गुणवत्ता आश्वासन - राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर विभिन्न हितधारकों द्वारा अपनाएं जाने वाली प्रक्रियाएं, भूमिकाएं तथा जिम्मेदारियां

- राष्ट्रीय निकाय यथा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी), एनएसडीसी, मंत्रालय तथा अन्य नियामक निकाय
- राज्य कौशल विकास मिशन
- एनएसक्यूएफ की व्याप्ति तथा राष्ट्रीय तथा राज्य निकायों के गुणवत्ता संसूचक

प्रथम 6 मैन्युअलों को राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) में अनुमोदन कर दिया गया है। एनएसक्यूएफ की एक कार्यान्वयन योजना समस्त हितधारकों के बीच कार्यान्वयन हेतु विकसित की जा रही है।

4.2.9 राष्ट्रीय श्रम बाजार सूचना प्रणाली (एनएलएमआईएस)

एनएसडीए ने राष्ट्रीय श्रम बाजार सूचना प्रणाली के नाम से भारतीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र में मांग और आपूर्ति को समेकित करने के लिए एकल विंडों प्लेटफार्म विकसित किया है। इस पोर्टल को औपचारिक रूप से भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 15 जुलाई, 2016 को आरंभ किया था। अब यह **कौशल विनिमय श्रम बाजार सूचना प्रणाली** के नाम से जाना जाता है।

एलएमआईएस वैश्विक मानकों तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के अनुरूप श्रम बाजार सूचना व्यवस्थित करने के लिए रचित संस्थागत प्रबंध, प्रक्रियाओं, तंत्रों और डाटा प्रणालियों का एक संघटित सैट है। यह प्रणाली विभिन्न सरकारी हितधारकों के साथ-साथ उद्योग जगत द्वारा प्रयुक्त हो सकने वाले मुख्य विश्लेषणों और रिपोर्टें का सृजन करती है तथा श्रम बाजार कारकों संबंधी सांख्यिकीय (मात्रात्मक) तथा गैर-सांख्यिकीय (गुणात्मक) सूचनाओं को केंद्रित करती है।

राष्ट्रीय एलएमआईएस पर प्रदर्शित डाटा, जो 10 राष्ट्रीय रिपोजिटरीज़ नामत: प्रशिक्षकों, प्रशिक्षण केंद्रों, प्रशिक्षण प्रदाताओं, आकलनकर्ताओं, एजेंसियों, नियोजकों, प्रशिक्षित उम्मीदवारों, जिनमें से प्रत्येक, देश में कौशल विकास परिवेश की बेहतर छवि बनाने के लिए कार्य करते हैं, के रूप में होता है। इस समय 4 विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त 65 लाख प्रशिक्षित उम्मीदवारों का डाटा इस पर (एलएमआईएस) प्रदर्शित हो रहा है। इसमें 7 प्रमुख केंद्रीय कौशल विकास स्कीमों के डाटा भी शामिल हैं।

एनएसडीए ने कौशल विकास के क्षेत्र में कार्यरत राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों तथा अन्य एजेंसियों सहित समस्त शेष डाटा स्रोतों के संघटन का रोड मैप तैयार किया है। इस दिशा में पहला कदम, देश में समस्त कौशल विकास एमआईएस प्रणालियों का स्कोपिंग अध्ययन कराना है, जो जून 2017 तक पूरा होगा। अध्ययन पूरा होने के बाद एनएसडीए राज्य संघटन तथा रोल आउट के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगा, जिसमें राज्य और संस्थागत एमआईएस प्रणालियों का प्रणालीबद्ध और चरणबद्ध रूप में सुदृढ़ीकरण किया जाना शामिल होगा।

एलएमआईएस पर रोजगार संयोजन की सुविधा, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा व्यवस्थित किए जा रहे राष्ट्रीय कैरिअर पोर्टल संघटन के माध्यम से प्रदान की गई है। इस संघटन के माध्यम से एनसीएस पोर्टल पर जॉब की संभावना खोजने वाले को सरकारी स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवारों की जानकारी प्रदर्शित होगी। एनएसडीए ने राष्ट्रीय एलएमआईएस पर उपलब्ध उम्मीदवार डाटा साझा करने हेतु समस्त प्रमुख रोजगार एजेंसियों और जॉब पोर्टलों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने की प्रक्रिया भी शुरू की है। अब तक एनएसडीए ने टाउन लेबर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बाबा जॉब्स, मॉन्सटर डाट कॉम तथा सरल रोजगार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे उम्मीदवारों को सिस्टम के माध्यम से रोजगार संपर्क की सुविधा प्रदान करने वाले बहुत से रास्ते उपलब्ध होंगे।

एलएमआईएस इलेक्ट्रानिक्स सर्विस प्रदान करने का विजन स्थापित करते हुए मोबाइल फोनों, कियोस्को, कालसेंटरों तथा पर्सनल कम्प्यूटरों के माध्यम से इंटरनेट पर सिटिजन सेवाओं की पहुंच स्थापित करेंगे, जो प्रौद्योगिकी के प्रसार के साथ बेहतर प्रबंधन सहायता और आवश्यक व्यक्तिगत संपर्क के बिना संभव नहीं था। प्रणाली के तहत यथा आवश्यक सुग्राही और गहरी पहुंच वाली रिपोर्ट उपलब्ध कराकर सरकार और एजेंसियों को निर्णय संबंधी जानकारी प्राप्त करके सशक्त बनाता है।

4.2.10 कौशल लक्ष्यों का संकल्न

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा निर्धारित कौशल लक्ष्यों पर विभिन्न मंत्रालयों के साथ काम करते हुए एनएसडीए उपलब्धियों को मासिक आधार पर संकल्ति करता है। 2015-16 के दौरान कौशल विकास स्कीमों / कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा अनुबंध-2 पर दिया गया है।

4.2.11 एनएसडीए की अंतर्राष्ट्रीय अबद्धता

i. भारत-यूरोपी युनियन कौशल विकास योजना (एनएसडीए)

भारत-ईयू कौशल विकास परियोजना ने विभिन्न कौशल विकास पहलों के कार्यान्वयन में अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय विशेषज्ञों की मिश्रित टीम के साथ एनएसडीए के संग सहयोग किया है। परियोजना सहायता के साथ मुख्य नीतिगत उपकरणों यथा एनएसक्यूएफ एवं श्रम बाजार सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) का परिचालन किया गया है। इसके अलावा, कौशलीकरण गुणवत्ता के लिए एक मजबूत गुणवत्ता आश्वासन ढांचे की भी व्यवस्था की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी के आधार पर प्रशिक्षण और आकलन पद्धतियों का भी संवर्धन किया गया है। इस कार्य में कार्यशालाओं, प्रशिक्षण और विशेषज्ञ विकास सत्रों के माध्यम से व्यापक, संस्थानात्मक और व्यक्तिगत क्षमता निर्माण का कार्य भी शामिल है।

एनएसडीऐ नियोक्ता के साथ प्रशिक्षत उम्मीदवारों को जोड़ने के लिए सरल रोज़गार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए

तालिका 5 : जून- नवंबर 2016 के दौरान परियोजना के तहत गतिविधियां

क्र.सं.	गतिविधियां	तारीक	प्रतिभागियों की संख्या	परियोजना विशेषज्ञ
1	एनएसडीए परामर्शदताओं हेतु एनएसक्यूएफ, एनक्यएएफ तथा एलएमए पर कार्यशाला	7 जून	12	वी क्लेनाह, ए सलूजा
2	एनएसडीए का सीएनसीपी, फ्रांस का दौरा	28-30 जून	2	जेएम कास्टेजोन
3	एनक्यूएएफ पर एनएसडीए क्षमता विकास सत्र	30 अगस्त	20	जेएम कास्टेजोन, के एडम्स, बी स्मिथ
4	एनक्यूएएफ पर एनएसडीए क्षमता विकास सत्र	2 सितंबर	20	जेएम कास्टेजोन, के एडम्स
5	उद्योग प्रतिभागियों हेतु एनएसडीसी के साथ कार्यशाला	9 सितंबर	50	जेएम कास्टेजोन, के एडम्स
6	संचालन समिति की बैठक परियोजना	14 सितंबर	30	वी क्लेनाह और टीम
7	लॉजीस्टिक क्षेत्र में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का चौथा बैच	26-30 सितंबर	25	ए सीबोनी, एस सेनगुप्ता, ई एचनलॉब
8	असंगठित क्षेत्र के संबंध में एनएसडीए के साथ नागपुर, महाराष्ट्र का दौरा	3 अक्तूबर	1+1	एस रूनाक्रेज
9	सभी एसएससी के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण एस सेनगुप्ता, ई एचनलॉब	5 अक्तूबर	50	ए सीबोनी, एस सेनगुप्ता, ई एचनलॉब
10	कौशल विकास में लैंगिक समानता पर राष्ट्रीय कार्यशाला	6 अक्तूबर	50	जे मुडगे
11	सततता आयोजना पर एनएसडीए के साथ कार्यशाला	20 अक्तूबर	15	वी क्लेनाह और टीम
12	एसेसमेंट डिजाइनरों और डेवलप्र्स का प्रशिक्षण	8-10 नवंबर	26	आई सटक्लिफ
13	असंगठित क्षेत्र में एनएसक्यूएफ के कार्यान्वयन पर कार्यशाला	11 नवंबर	50	के एडम्स, एन रूनाक्रेज
14	एनएसडीए क्षमता निर्माण तथा संगठनात्मक विकास कार्यशाला	15 नवंबर	20	एन नीलसेन, एस सेनगुप्ता
15	आकलन मुखियाओं का प्रशिक्षण	15-16 नवंबर1	5	आई सटक्लिफ
16	परियोजना पर अंतिम कानफ्रेंस	17 नवंबर	150	वी क्लेनाह और टीम
17	एनएसडीए परामर्शदताओं हेतु आकलन तथा अर्हता फाइल पर क्षमता निर्माण सत्र	18 नवंबर	20	के एडम्स, जे हार्ट, आई सटक्लिफ
18	सक्षमता आधारित पाठ्यचर्या विकास पर कार्यशाला	22-23 नवंबर	50	ए सिबोनी, एस सेनगुप्ता, ई एचनलॉब
19	आकलन पर एनएसएपी केरल हेतु कार्यशाला	28-30 नवंबर		के एडम्स
20	निर्माण तथा प्लंबिंग क्षेत्र (टीबीसी) में मॉस्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	28 नवंबर -2 दिसंबर	22	डी बाबर, एम पाल्मर

ii. **सीएनसीपी, फ्रांस के साथ सहयोग**

सीएनसीपी (Commission Nationale de la Certification Professionelle), फ्रांस सरकार तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) ने कौशल विकास के विभिन्न क्षेत्रों में साथ मिलकर काम करने के लिए 31 मार्च, 2015 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था। इस समझौता ज्ञापन के एक मुख्य भाग के तौर पर, समझौता ज्ञापन के पक्ष समझौते के तहत की गई प्रगति की समीक्षा के लिए 6 माह में कम से कम एक बार बैठक करेंगे। समझौता ज्ञापन के तहत एनएसडीए के दो प्रतिनिधियों नें 28-30 जून, 2016 को सीएनसीपी का तीन दिवसीय दौरा किया था।

अध्ययन दौरे से अन्य बातों के साथ-साथ उद्योग अबद्धता, अर्हताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया तथा फ्रांसीसी अर्हता ढांचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फ्रांसीसी टीवीईटी प्रणाली का गहराई से अध्ययन करने का लाभ मिला है।

iii. **एडीबी के साथ सहयोग**

एनएसक्यूएफ का कार्यान्वयन

एनएसक्यूसी का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु विभिन्न राज्य विभागों में क्वालिफिकेशन फाइल भरने के लिए एशियन विकास बैंक ने 8 राज्यों (राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, मेघालय, उत्तराखंड और केरल) तथा 4 केंद्रीय मंत्रालयों (सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) के साथ बहुत सी कार्यशालाओं तथा हैंड होल्डिंग सपोर्ट के माध्यम से कार्यान्वयन सहायता उपलब्ध कराई है।

भारत सरकार की स्कीमों का मूल्यांकन अध्ययन:

एक तकनीकी सहायता (टीए) ने पर्यटन मंत्रालय की एक कौशल विकास स्कीम, 'हुनर से रोजगार तक' को मूल्यांकन सहायता प्रदान की है। चयनित राज्यों अर्थात उत्तराखंड, पंजाब में 10 संस्थानों का मूल्यांकन अध्ययन पूरा हो गया है।

कौशल विकास स्कीमों के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय निगरानी तथा मूल्यांकन ढांचे का विकास

- केंद्रीय राज्य सरकारों की वर्तमान निगरानी और मूल्यांकन (एम एंड ई) परिपाटियों का परिदृश्यात्मक विश्लेषण
- अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सर्वोत्तम एम एंड ई परिपाटियों को समझना
- राष्ट्रीय एम एंड ई ढांचे का विकास
- बेस लाइन तैयार करने के लिए एनएसडीए के परामर्शदाताओं के साथ चर्चाओं का एक दौर के पश्चात प्रारंभिक डेस्क अनुसंधान पूरा हो गया।
- एम एंड ई ढांचे की रचना और बेस लाइन पर विचार-विमर्श के लिए 16 सितंबर को 14 केंद्रीय मंत्रालयों के साथा एक कार्यशाला आयोजित की गई।
- अलग-अलग मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श की प्रक्रिया जारी है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक विकास एजेंसियों के साथ भागीदारी

एनएसडीए तथा जापान जैसे विकसित देशों से परस्पर शिक्षण सुविधाएं प्राप्त करना टीए के सहमत घटकों में से एक है। जापान व्यावसायिक योग्यता विकास संघ (जेएवीएडीए) के साथ परस्पर विचार-विमर्श के लिए एनएसडीए, एमएसडीई, डीजीटी तथा अन्य कुछ राज्यों के अधिकारियों ने जापान का दौरा किया था और उनकी आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सीखा।

एशिएन विकास बैंक टीए परियोजना ने 05.09.2016 से 10.09.2016 तक जापान का अध्ययन दौरा किया। ओडिशा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा एमएसडीई, डीजीटी, एनएसडीए तथा एडीबी इस 12 सदस्सीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे। इस अध्ययन दौरे का मुख्य उद्देश्य जापान वीईटी प्रणाली से उद्योग संपर्कों, आकलनकारी परिपाटियों, कौशल मूल्यांकन प्रणाली संवर्धन कार्यक्रम तथा अनुसंधान आदि से भारत में मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करना था।

जापान व्यावसायिक योग्यता विकास एजेंसी (जेएवीएडीए) का गठन 1979 में स्वास्थ्य तथा श्रम कल्याण मंत्रालय (एमएचडब्ल्यू) के तत्वाधान में मानव संसाधान विकास संवर्धन विधि के तहत किया गया था। जेएवीएडीए का मुख्य उत्तरदायित्व व्यावसायिक योग्यता मूल्यांकन जांच का कार्यान्वयन करना है, जिसके लिए कौशल मूल्यांकन प्रणाली संवर्धन कार्यक्रम (एसईएसपीपी) के माध्यम से केरिअर डिवेलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ इंटरनेशलन कॉर्पेरेशन हेतु विनिर्माण आधार का सुदृढ़ीकरण तथा नेशनल ट्रेड स्किल टेस्टिंग और सेर्टीफिकेशन कार्यान्वयन करना है।

4.2.12 राष्ट्रीय कौशल अनुसंधान प्रभाग (एनएसआरडी)

राष्ट्रीय कौशल अनुसंधान प्रभाग का गठन कौशल विकास में विश्वसनीय अनुसंधान संगठन के रूप में एक थिंक टैंक विकसित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एनएसडीए के अंतर्गत किया गया। इसका मिशन भारत में कौशल विकास से संबंधित अनुसंधान हेतु अधिकारिक गुणात्मक तथा थिंक टैंक तक पहुंच स्थापित करना है। इस प्रभाग के सृजन का कार्य कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति 2015 के तहत किया गया। इस नीति के तहत यह आदेश है कि एनएसडीए के तहत एनएसआरडी इस मिशन को तकनीकी और अनुसंधान सहायता उपलब्ध कराने संबंधी शीर्ष प्रभाग के रूप में काम करेगा।

वर्तमान में एनएसआरडी के तहत तीन वर्टीकल्स स्थापित किए गए हैं:

1. **कौर अनुसंधान तथा मूल्यांकन:** इस वर्टीकल पर इन हाउस अथवा आउट सोर्स अथवा संयुक्त अनुसंधान अध्ययन की जिम्मेदारी है। इन अध्ययनों से नीति निर्माताओं को भी दिशा मिलेगी। मूल्यांकन अध्ययन कौशल विकास स्कीमों के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे की लक्ष्य समुदाय की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाए।
2. **डाटा विश्लेषक:** यह वर्टीकल विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डाटा का विश्लेषण करता है। ये स्रोत हैं एलएमआईएस तथा एनएसएसओ जैसे संगठन तथा एनएसआरडी से प्रारंभिक सर्वेक्षण पर आधारित जानकारी।
3. **राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी:** यह देश में कौशल विकास के लिए अनुसंधान तंत्र को सुदृढ़ करना और संस्थानात्मक क्षमता का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है। यह विभिन्न सेक्टरों में विचारों के आदान-प्रदान हेतु ज्ञान पोर्टल विकसित करने तथा सर्वोत्तम परिपाटी को समझने में भी मदद करेगा। संयुक्त अनुसंधान अध्ययन को इन सहयोगों के भाग के तौर पर भी लिया जाएगा।

एनएसआरडी के पूर्ण परिचालित होने के उपरांत इन वर्टिकलों का विस्तार होगा।

एनएसआरडी ढांचे में एक अनुसंधान निदेशक होगा, जो महानिदेशक, एनएसडीए को रिपोर्ट करेगा तथा अनुसंधान निदेशक के अधीन विभिन्न टीमें कार्य करेंगी, जिनमें से प्रत्येक का मुख्य कए टीम लीडर होगा। उसकी सहायता के लिए अनुसंधान विश्लेषक तथा अनुसंधान सहयोगी काम करेंगे। इस समय एक अनुसंधान सहयोगी ने एनएसआरडी को ज्वाइन किया है तथा दे अनुसंधान विश्लेषकों की भर्ती मार्च 2017 में हो जाने की संभावना है।

एनएसआरडी के तहत किए गए कुछ महत्वपूर्ण सहयोग निम्नलिखित हैं:

1. **ब्रिटिश काउंसिल:** एनएसडीए (एनएसआरडी) ने 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष एक परस्पर सहमत विषय पर संयुक्त अनुसंधान करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल से 10 नवंबर, 2016 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था। प्रथम अनुसंधान अध्ययन का विषय 'भविष्य के कौशल' है।
2. **एनसीवीआर, आस्ट्रेलिया:** यह सहयोग आस्ट्रेलिया तथा भारत शिक्षा परिषद (एआईईसी) के बीच सहमत कार्य-योजना 2016-18 का भाग है। सहयोग के भाग के तौर पर एनएसडीए तथा एनसीवीईआर के बीच चार प्रतिभागियों के लिए चार सप्ताह के 'अनुसंधान क्षमता निर्माण कार्यक्रम' तथा 'सांख्यिकी क्षमता निर्माण कार्यक्रम' पर परस्पर सहमति हुई है।
3. **बीआईबीबी, जर्मनी:** यह सहयोग कौशलों की पहचान, दौहरी प्रणाली पर सर्वोत्तम परिपाटी की समझ और अर्हताओं के विकास के संबंध में है। 'उद्योग संपर्क तथा अर्हताओं के विकास' पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन 15 दिसंबर, 2016 को हुआ था। सर्वोत्तम परिपाटियों की समझ के लिए अध्ययन दौरों की भी योजना बनाई गई है। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया का अनुमोदन हो किया जा रहा है।

4. **आईएसबी**: नीति निर्माताओं को इनपुट उपलब्ध कराने संबंधी एलएमआईएस डाटा विश्लेषण तथा अन्य कौशल विकास मूल्यांकन पहलों जैसे क्षेत्रों में ज्ञान प्रतिभागी बनने हेतु इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस तथा एनएसआरडी के बीच समझौता हो रहा है। एनएसडीए तथा आईएसबी के बीच 10 फरवरी, 2017 को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

4.3 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

एनएसडीसी अपने किस्म का भारत में एक मात्र सार्वजनिक-निजी भागीदारी निकाय है। इसका उद्देश्य उत्प्रेरण द्वारा बड़े, गुणता संपन्न, मुनाफे वाले व्यावसायिक संस्थानों का सृजन करना और उसमें कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य 2022 तक 150 मिलियन भारतीयों को कुशल बनाना है। अब यह कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का हिस्सा है।

कौशल विकास को बढ़ाने के प्रयास में जुटा एनएसडीसी का प्रयत्न निम्नलिखित पर जोर देना है-

- कम लागत, उच्च स्तर के नवीनता वाले व्यापार मॉडल विकसित करना।
- महत्वपूर्ण निजी निवेश को आकर्षित करना।
- सुनिश्चित करना कि इसकी निधि अधिकांशत: पुनर्प्रसारित करने अर्थात अनुदान हेतु न होकर ऋण और इक्विटी के लिए है।
- मजबूत संग्रह का निर्माण करना।

गति और मानकता के साथ उत्कृष्ट निर्णय लेने की क्षमता सुनिश्चित करने हेतु एनएसडीसी के पास एक ढांचा और प्रशासकीय मॉडल है, जो इसे स्वायत्ता, आकार और निरंतरता प्रदान करता है। संगठन में निर्णयकारी ढांचा, निदेशकों का बोर्ड, उप-समितियों का बोर्ड तथा कार्यपालक परिषद आते हैं। एनएसडीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 15 सदस्य हैं, जिनमें से 6 सदस्य सकरारी (इनमें दो निजी क्षेत्र से नामित हैं) तथा 9 सदस्य (प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक सहित) निजी क्षेत्र से हैं। बोर्ड के अध्यक्ष की कुर्सी पर श्री एस.रामादोराई हैं। एनएसडीसी निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में कार्य करती है-

- निजी प्रशिक्षण केंद्रों का ऋण और इक्विटी सपोर्ट प्रदान करना।
- सेक्टर स्किल कौंसिलें।
- पीएमकेवीवाई, उडान और स्टार जैसी स्कीमों की सहायता से कौशल प्रशिक्षण।

कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग प्राप्त करते हुए छात्र

4.3.1 एनएसडीसी का कार्य निष्पादन

तालिका 6 : एनएसडीसी का कार्य निष्पादन (2016-17)

क्रंस.	मद	ब्यौरे
1	अनुमोदित प्रस्ताव	290
2	एसएससी अनुमोदित	40
3	इस वर्ष प्रशिक्षित उम्मीदवार (30 नवंबर, 2016 तक की स्थिति के अनुसार इस डाटा में ऋण मॉडल पीपी, पीएमकेवीवाई-I, उडान, नवोन्मेष टीपी तथा एसएससी, गैर-पीएमकेवीवाई प्रमाणन)	10,18,572
4	सक्रिय केंद्र (ब्यौरा) (इसमें 625 मोबाइल केंद्र शामिल हैं)	4,821
5	शामिल राज्य	29
6	शामिल संघ राज्य क्षेत्र	5
7	तैनाती प्रतिशत*	49%
8	शामिल जिले	540
9	सक्रिय पाठ्यक्रम (8 दिसंबर, 2016 की स्थिति के अनुसार)	2,263

*प्रतिशत तैनाती एनएसडीसी वित्त-पोषित प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से प्रशिक्षण पर आधारित है तथा इसमें स्टार और उडान जैसी विशेष स्कीमों के तहत दिए गए प्रशिक्षण शामिल नहीं हैं।

4.3.2 कौशल विकास के लिए एनएसडीसी का निगम सामाजिक दायित्व संबंधी आबद्धताएं

1. पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
2. एनटीपीसी I
3. एनटीपीसी II
4. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. (आरईसी)
5. हिंदुस्तार कॉपर लि. (एचसीएल)
6. मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लि. (एमईसीएल)
7. राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लि. (नाल्को)
8. भारतीय कोयला निगम (सीआईएल)
9. एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया (एएआई)
10. जेसीबी लि.
11. मॉइल लि.
12. केआईओसीएल लि.
13. उबर इंडिया
14. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल)
15. स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया (सेल)
16. श्नाइडर इंडिया
17. चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (सीआईएफसीएल) - पूर्ण
18. कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज (सीएएमएस) - पूर्ण

4.4 सेक्टर कौशल परिषदें

सेक्टर कौशल परिषदों की स्थापना राष्ट्रीय कौशल परिषद द्वारा स्व-शासकीय निकाय और 'अलाभकर' संगठन के तौर पर हुई है। ये पेशेवर मानकों का सृजन तथा सक्षमता फ्रेमवर्क विकसित करते हैं, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को जोड़ते हैं, अपने सेक्टरों में कौशल अंतराल अध्ययन करते हैं, जिससे लेबर मार्किट सूचना सिस्टम तैयार करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके द्वारा विकसित राष्ट्रीय पेशा मानक का आकलन और प्रमाणन करते हैं।

सेक्टर कौशल परिषदें राष्ट्रीय भागीदारी संगठन को इस तरह से निर्मित करती हैं कि सभी हितधारक उद्योग, श्रमिक और अकादमियां एक साथ आ सकें। आज की तारीख में 40 कौशल परिषदे अनुमोदित हो चुकी हैं, जिनमें सभी उच्च प्रगतिशील सेक्टर यथा ऑटोमोटिव, खुदरा, स्वास्थ्य देखभाल, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, आदि और अनौपचारिक सेक्टर जैसे सौंदर्य और स्वास्थ्य, सिक्युरिटी और प्लंबिंग आते हैं। इस सूची में सरकार द्वारा चयनित 20 उच्च अग्रता सेक्टर तथा मेक इन इंडिया के 25 सेक्टर आते हैं।

4.4.1 विषय सामग्री तथा पाठ्यचर्या का विकास

एनएसडीसी, अपने क्षेत्र में कौशल परिषदों की मदद से 34 सेक्टरों में 251 लोकप्रिय जॉब रोल्स की पहचान की है, जिसके लिए मॉडल पाठ्यक्रम पुस्तिकाएं जारी की गई हैं। प्रत्येक मॉडल पाठ्यक्रम तथा विषय सामग्री को विशिष्ट अर्हता पैक के अनुसार निर्धारित किया जाता है तथा उसे विशेष राष्ट्रीय अर्हता मानकों के अनुरूप रखा गया है। इसके अलावा, उपकरण, सिद्धांत और प्रत्येक मॉड्यूल के लिए प्रैक्टिकल अवधि विस्तृत है। प्रशिक्षक पूर्व-अपेक्षाएं तथा आकलन मापदंड अर्हता पैक को भी शामिल किया गया है। प्रशिक्षण के बाद यह सुनिश्चित होगा कि मानकीकरण और गुणवत्ता आश्वासन इन अर्हता पैक में आयोजित की जा रही है।

कुशल भारत प्रशिक्षण केंद्र में ब्रिक लेयिंग का प्रशिक्षण

तालिका 7 : विकसित मॉडल पाठ्यचर्या का सेक्टर-वार ब्यौरा

क्रंस.	एसएससी का नाम	विकसित मॉडल पाठ्यक्रमों की संख्या	तैयार की गई किताबों की संख्या
1	कृषि	19	10
2	परिधान	12	10
3	मोटर वाहन	7	5
4	सौंदर्य और कल्याण	10	7
5	बीएफएसआई	11	6
6	पूंजीगत वस्तुएं	10	6
7	निर्माण	14	9
8	घरेलू कार्य करने वाला	4	4
9	अर्थमूविंग और बुनियादी ढांचे के निर्माण	13	9
10	इलेक्ट्रानिक्स	12	10
11	खाद्य प्रसंस्करण	20	5
12	फर्नीचर फिटिंग	5	3
13	रत्न एवं आभूषण	14	8
14	ग्रीन जॉब्स	5	5
15	हस्तशिल्प	13	8
16	स्वास्थ्य देखभाल	13	8
17	लौह और इस्पात	12	10
18	आईटी-आईटीईएस	14	7
19	चमड़ा	15	14
20	जीवन विज्ञान	10	6
21	रसद	10	10
22	मीडिया और मनोरंजन	8	8
23	खनिज	12	9
24	पेंट और कोटिंग्स	1	1
25	विकलांगता के साथ लोगों	1	1
26	पाइपलाइन	6	4
27	पॉवर	8	6
28	खुदरा	7	4
29	रबर	9	10
30	सुरक्षा	4	2
31	खेल एसएससी	3	3
32	दूरसंचार	12	10
33	कपड़ा	21	7
34	पर्यटन और आतिथ्य	13	9
	कुल	348	234

4.4.2 सेक्टर कौशल परिषदों (एसएससी) की उपलब्धियां

- 36 एसएससी ने 1826 अर्हता पैक का सृजन किया है और 4886 असाधारण राष्ट्रीय पेशा मानकों का सृजन किया है, जिन्हें 2028 से अधिक कंपनियों ने विधिमान्यता प्रदान की है।
- सेक्टर कौशल परिषदों ने 27,70,723 शिक्षार्थियों को आकलन करके प्रमाणित किया है।
- एसएससी ने खुदरा, रबड़, प्लंबिंग, ऑटोमोटिव आदि संगठनों के कर्मचारियों को इन हाउस प्रशिक्षण देने के लिए समझौते किए हैं। 500 कंपनियों ने संकेत दिया है कि वे एसएससी प्रमाण पत्र धारियों को प्राथमिता देंगे।

4.5 राष्ट्रीय कौशल विकास निधि

भारत सरकार द्वारा 2009 में राष्ट्रीय कौशल विकास निधि गठन देश के सरकारी तथा गैर-सरकारी सेक्टर के कौशल विकास के लिए धन जुटाने के लिए किया है। यह धन विभिन्न सरकारी स्रोतों तथा अन्य दानदाताओं/अंशदाताओं द्वारा भारतीय कौशलों के विकास और वृद्धि करने के लिए दिया जाता है। इस निधि का क्सटोडियन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक न्यास है। यह न्यास निधि स्थापित करने के लिए दान तथा अंशदान को नकद तथा वस्तुओं के रूप में स्वीकार करता है। इस निधि का प्रचालन और प्रबंधन न्यासियों के बोर्ड द्वारा किया जाता है। न्यास का मुख्य कार्यकारी अधिकारी न्यास दैनिक प्रशासन तथा प्रबंधन को संभालता है।

निधि अपने उद्देश्यों को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीस) के माध्यम से पूरा करता है, जो उद्योग द्वारा चलाई जा रही एक 'अलाभकारी कंपनी' है, जिसकी स्थापना कौशल विकास क्षमता निर्माण और बाजार के मजबूत संबंधों को स्थापित करने के प्रयास के तौर पर की गई है। एनएसडीसी कौशल संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने वाले उद्यामों, कंपनियों और संगठनों के लिए धन जुटाकर कौशल विकास में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। यह निजी क्षेत्र की पहलों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त मॉडलों का प्रोत्साहन, सहयोग तथा समन्वय भी करती है। जनवरी 2017 तक एनएसडीएफ ने एनएसडीसी को कौशल विकास कार्यक्रमों, जिसमें कौशलीकरण, स्टार, पीएमकेवीवाई तथा उडान (जम्मू कश्मीर में) स्कीम आदि के कौशलीकरण हेतु 3800 करोड़ रू जारी किए हैं। 06.02.2017 की स्थिति के अनुसार एनएसडीसी ने 290 प्रशिक्षण भागीदारों तथा 4526 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से देश भर में लगभग 91.91 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया है।

न्यास का लेखा सीएजी के लेखा-परीक्षा अधीन है तथा इसकी प्रत्येक वित्त-वर्ष में चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा भी लेखा-परीक्षा भारत सरकार द्वारा तय विधि से की जाती है। न्यास ने न्यास के हित की निगरानी तथा भागीदारों के कार्यान्वयन पर एक माइक्रो प्रूडेंशियल दृष्टि रखने के लिए भारत के सबसे बड़े वाणिज्यक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की एक सबसीडियरी तथा निवेश शाखा एसबीआईसीएपी को आबद्ध किया है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निधि को भारत सरकार ने विभिन्न कर तथा गैर-कर नीतियों के माध्यम से लाभ पहुंचाया है। इस निधि का पंजीकरण आयकर अधिनिमय की धारा 80 जी के तहत किया गया है। इससे निधि के दानदाताओं को टैक्स का लाभ मिलता है और यह कौशल विकास के क्षेत्र में अधिक कारगर भूमिका निभाता है। इसके अतिरिकत, एनएसडीएफ को विदेशी स्रोतों से धन स्वीकार करने के लिए एफसीआरए विनियमों से छूट प्राप्त है। सचिव एमएसडीई एनएसडीएफ के न्यासी हैं और संयुक्त सचिव, एमएसडीई इसके (एनएसडीएफ की देख-रेख हेतु) मुख्य कार्यकारी अधिकारी है।

4.6 राष्ट्रीय उद्यमशीलता तथा लघु व्यावसाय विकास संस्थान (निस्बड)

राष्ट्रीय उद्यमशीलता तथा लघु व्यावसाय विकास संस्थान (निस्बड) सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी है, जो 06 जुलाई, 1983 से कार्यरत है।

इस संस्थान का उद्देश्य मौजूदा सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को परिचालनार्थ सहायता प्रदान करने के लिए अंतक्षेपों/उपायों के माध्यम से सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों और आजीविका परियोजनाओं की संस्थापनाओं को गति प्रदान करने हेतु सहायता देने और उद्यमशीलता संवर्धन तथा स्व-रोजगार के क्षेत्र में एक उत्प्रेरक के रूप में काम करना है।

इस संस्थान का प्रशासनिक कार्य इस मंत्रालय को मई 2015 में हस्तांतरिक कर दिया गया है।

4.6.1 कार्य/गतिविधियां

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय को हस्तांतरित होने के बाद से इस संस्थान के कार्य और गतिविधियों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। एक प्रशिक्षण प्रदाता होने के साथ-साथ इस संस्थान को उद्यमशीलता का संवर्धन, स्टार्ट-अप तथा स्व-रोजगार का विकास करने एवं आर्थिक वेंचरों की क्षमता बढ़ाने और विभिन्न प्रशिक्षण, अनुसंधान, संरक्षण, हैंड होल्डिंग तथा अन्य सुविधाजनक अंतक्षेपों के माध्यम से समन्वयन और दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में रूपांतरित किया गया है।

संस्थान के कार्यों/गतिविधियों के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:

- उद्यमशीलता को औपचारिक शिक्षा (सामान्य, तकनीकी, कौशल तथा प्रबंधन) स्ट्रीमों से जोड़ना और गति प्रदान करना।
- संवर्धनात्मक सामग्री का विकास; प्रोत्साहनात्मक अभियानों की रचना तथा स्थापित गलत अवधारणाओं का उन्मूलन करने के माध्यम से उद्यमशीलता प्रयासों के लिए उत्साहजनक पर्यावरण स्थापित करना और तदानुरूप कार्य करना।
- प्रत्याशित स्टार्ट-अप/स्व-रोजगार वेंचरों के लिए व्यवसाय विकास सेवाओं की सुविधा प्रदान करना।
- संरक्षणकारी सहायता प्रदान करने के लिए ई-मकेनिजम स्थापित करना; निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- कार्रवाई तथा नीतिगत अनुसंधान सहित उपयुक्त अंतक्षेपों के माध्यम से विषमताएं दूर करने और सफलता दर में सुधार की दृष्टि से केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की उद्यमशीलता विकास तथा अन्य स्कीमों का उत्थान।
- प्रधानमंत्री युवा योजना" के अंतर्गत समन्वयकारी/सुविधाजनक गतिविधियों को चलाना, जिसमें लाभार्थियों का आकलन और प्रमाणन भी शामिल हैं।
- देश में स्टार्ट-अप तथा स्व-रोजगार के माध्यम सुगमतापूर्वक व्यवसाय चलाने के उद्देश्य से गतिविधियों की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु अनुसंधानों तथा अन्य अंतक्षेपों का उपयोग करना।
- भावी स्टार्ट-अप, नए उद्यमियों और एमएसएमई के उपयोग के लिए सूचना ज्ञान कोश, सहायक सामग्री एवं सरकारी नीतियों आदि का सृजन और विकास।

4.6.2 **2016-17 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम**

यह संस्थान नोएडा सेक्टर 62 में 2.5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले हुए अपने एकीकृत परिसर से काम कर रहा है। इस संस्थान का देहरादूर में एक क्षेत्रीय कार्यालय भी है। यह संस्थान पिछले 10 से अधिक वर्षों से वित्तीय रूप से आत्म निर्भर है। इस संस्थान में अब तक 2,022 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 60,097 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। अप्रैल-नवंबर, 2016 के बीच अयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का श्रेणी-वार ब्यौरे नीचे दिया गया है।

तालिका 8 : प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा

क्र.सं.	कार्यक्रम की श्रेणी	कार्यक्रम की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1	टीओटी/एमडीपी	29	579
2	ईडीपी/ईएसडीपी (प्रायोजित)	197	14876
3	ईडीपी/ईएसडीपी (भुगतान किया है)	163	3198
4	वीडियो आधारित उद्यमशीलता उन्मुखीकरण कार्यक्रम	1587	37103
5	सम्मेलन/कार्यशालाएं	39	4187
6	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	7	154

वर्ष के शेष 4 माह में संस्थान की योजना 4000 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग कुल 1 लाख प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करना है।

4.6.3 **प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विशेषताएं**

- ई-आधारित उद्यमशीलता उन्मुखीकरण के तहत 37,103 व्यक्ति नामांकित हुए। कार्यक्रम 15 दिन का था, जिसमें से 1 दिन उन्मुखीकरण तथा 14 दिन स्व-शिक्षण के लिए है। इसके पश्चात ऑनलाइन परीक्षा होगी। इसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- शुल्क आधारिक बाजार संचालित गतिविधियों पर सतत ध्यान केंद्रित। ऐसे कुल कार्यक्रमों में से 3198 लाभार्थियों के लिए ईडीपी/ईएसडीपी द्वारा आयोजित थे।
- उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) सीएससी, ई-गवर्नेंस, इंडिया लिमिटेड के तत्वाधान के अधीन 11 राज्यों में ग्रामीण स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के लिए।
- मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीमों के तहत 42 विभिन्न देशों से आए 154 प्रतिभागियों के साथ विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 7 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

4.6.4 **विशेषज्ञ सेवाएं**

- 38 विभिन्न जॉब रोलों के लिए अर्हता पैक्स (क्यूपी) तथा राष्ट्रीय पेशा मानकों (एनओएस) तैयार करने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को सहायता।
- 10 क्यूपी/एनओएस बहु-कौशलीकरण उद्यमियों के तथा 5 क्यूपी/एनओएस उद्यमशीलता तैयार करना।
- विभिन्न लक्ष्य समूहों में उद्यमशीलता संस्कृति का संवर्धन करने के लिए प्रेरक फिल्म (मों) का निर्माण।
- दो उद्यमशीता संबंधी सीडियों, आईटीआई तथा एनएसडीसी के विद्यार्थियों के लिए एक-एक, पर काम शुरू। यह उद्यमशीलता को कौशल से जोड़ेगा। ईडीपी पर भी संस्थान की सीडी में सुधार किया जा रहा है।
- यूएनडीपी के साथ मिलकर उद्यमशीलता विकास हेतु संरक्षण सपोर्ट पर एक राष्ट्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया गया था। इस परामर्शी बैठक में विभिन्न एनजीओ, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, मंत्रालयों, बहु-पक्षीय वित्तीय संस्थानों तथा मेंटरशिप और उद्यमशीलता विकास से जुड़े प्रख्यात व्यक्तियों से संबंधित 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

4.6.5 **2016-17 के दौरान अन्य गतिविधियां**

- राष्ट्रीय डिजीटल सक्षरता मिशन के तहत प्रमाणन और आकलनकर्ता एजेंसी के रूप में कार्य करना।
- प्रधानमंत्री युवा योजना आरंभ करने की तैयारी के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की सहायता करना। स्कीम के अंतर्गत उत्तर भारत के लिए राष्ट्रीय ई-हब तथा क्षेत्रीय ई-हब की संस्थान में स्थापना।
- तीन राज्यों ओडिशा, हरियाणा तथा छत्तीसगढ़ के उद्यमशील अभिमुखीकरण को संबंधित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ संघठित करने के कौशल विकास मिशन को सहायता प्रदान करना।
- पश्चिम बंगाल राज्य के 2012-13 के पीएमईजीपी लाभार्थियों का 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष सत्यापन करना।
- नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशलन ट्रेड फेयर, 2016 में मुरादाबाद के पीतल कारीगरों को भाग लेने की सुविधा प्रदान करना।

4.6.6 **सुविधा प्रदान करने हेतु अंत:क्षेप**

- संस्थान के प्रशिक्षित व्यक्तियों तथा अन्यों द्वारा उद्यमों की स्थापना को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से संरक्षकों और भावी उद्यमियों के बीच परस्पर संपर्क स्थापित करने के लिए संरक्षक सहायता नेटवर्क स्थापित करना।
- संस्थान के लाभार्थियों को संरक्षण/हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करने के लिए आई-क्रियेट, बैंगलूरू के साथ आबद्धता।
- संस्थान द्वारा एनसीआर, उत्तराखंड तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षित व्यक्तियों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए इंडियन बैंक के साथा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करना।

- संस्थान के प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उत्तराखंड के पारंपरिक कला, आईपन आधारित सुवेनिर के विकास और मार्किटिंग में सहायता प्रदान करना।
- संस्थान के प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उत्तराखंड में तीन विभिन्न स्थानों में एक्जीविशन कम सेल लगाने की सुविधा प्रदान करना। यहां मार्किटिंग किए जा रहे उत्पादों में बैग, सजावटी सामान, फोल्डर, पेपर, आभूषण, बैड कवर तथा लेडिज सूट इत्यादि हैं।
- रायथाल उत्तरकाशी के आस-पास के क्षेत्रों में व्यवसाय की विस्तृत श्रंखला स्थापित करने के माध्यम से हितधारकों के क्षमता निर्माण में पर्यटन उद्यमशीलता के संघठित मॉडल का विकास करने हेतु उत्तराखंड राज्य सरकार की सहायता करना।
- साधन द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कांफ्रेंस के दौरान 18 एमएफआई तथा लघु वित्त बैंकों को आबद्ध करने की संभावना तलाशना।

4.6.7 **समझौता ज्ञापन/अनुबंध**

i. निस्बड तथा इंटरनेशनल फिनांस कार्पोरेशन (आईएफसी)

विश्व बैंक समूह के सदस्य इंटरनेशनल फिनांस कार्पोरेशन (आईएफसी) के साथ मौजूदा सहयोग समझौते की अवधि 19.04.2016 से आगे तीन वर्षों के लिए बढ़ाना।

ii. निस्बड और पश्चिम बंगाल सरकार का एमएसएमई फैस्लिटेशन सेंटर प्रोजेक्ट (फेस-2) प्रक्रियारत है

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग तथा पश्चिम बंगाल सरकार के बीच द्वितीय चरण के एमएसएमई फैस्लिटेशन सेंटर के संबंध में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित।

फेस-1 के दौरान संस्थान ने पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले तथा आसनसोल में एक, कुल 23 एमएसएमई फैस्लिटेशन सेंटरों की स्थापना में सहायता प्रदान की। यद्यपि, दूसरे फेस के दौरान सामान्य तौर पर प्रथम चरण में इन नव स्थापित एमएफसी की क्षमताओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया जाएगा, तथापि, इस फेस के दौरान संस्थान की विशेष जिम्मेदारी निम्नलिखित बातों की होगी।

- एमएफसी को प्रति एमएफसी प्रति तिमाही एक दौरा करने के माध्यम से मौके पर हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करना। एमएफसी, कोलकाता से सभी एमएफसी आधिकारियों को रोटेटिंग आधार पर सुदूर हैंड होल्डिंग सहायता।
- एमएफसी कोलकाता से उद्यमियों को टोल-फ्री टेलीफोन के माध्यम से हैल्प डेस्क सहायता प्रदान करना।
- चुनौतियों/रूकावटों की पहचान करना तथा उनके उन्मूलन के लिए उपायों के माध्यम से सिंगल एप्लीकेशन गेट वे (एसएजी) सुविधा के कार्यों पर निगाह रखना।
- एसएजी के साथ उनके स्वामित्व प्रणालियों के संघठन हेतु एसएजी डेवलेपर तथा अन्य सरकारी विभागों के बीच विचार-विमर्श कराना।
- एमएफसी अधिकारियों तथा आईडीओ के लिए क्षमता विकास मॉड्यूल विकसित करके तथा एक वर्ष में ऐसे न्यूनतम दो कार्यक्रमों आयोजित करना/सुगम बनाना।
- एमएफसी प्रचालनों पर संक्षिप्त रिपोर्ट हेतु सूचना प्रणाली तथा डाटा विश्लेषण सहायता उपलब्ध कराना।

4.6.8 **प्रशासनिक पुनर्गठन**

गत वर्ष संस्थान के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय को हस्तांतरित किए जाने के परिणामस्वरूप इसका प्रशासनिक पुनर्गठन का कार्य शुरू हुआ था, जो 2016-17 के दौरान पूरा हो गया। संस्थान को अपनी नई भूमिका प्रभावी रूप से निभाने में सक्षम बनाने के कार्य में अनेक बातों के साथ-साथ इसकी वित्तीय आत्मनिर्भरता के दृष्टिगत संस्थान की मिश्रित गतिविधियां निर्धारित करने, जन-शक्ति आवश्यकताओं को आंकने, विभिन्न कर्मियों के बीच कार्यों/ड्युटियों के पुनर्वितरण को अनेक बातों के साथ-साथ उनकी क्षमता और रूझान के अनुसार निर्धारित करने; प्रशासनिक प्रक्रियाओं/प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने तथा सहयोगात्मक गतिविधियों आदि के लिए गाइड लाइन तैयार के संबंधी पहलू शामिल हैं।

4.7 भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आईआईई)

भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आईआईई) का गठन 1993 में तत्कालीन उद्योग मंत्रालय, एसएसआई तथा एआरआई विभाग, भारत सरकार द्वारा स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान के रूप में किया गया था, जिसका उद्देश्य लघु तथा सूक्ष्म उद्यमों के उद्यमशीलता विकास संबंधी गतिविधियों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श कार्यों पर काम करना था। तदंतर, यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के मंत्रालय (एमएसएमई) के अंतर्गत आ गया और वर्तमान में यह 27 मई, 2015 से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अधीन कार्यरत है।

ये संस्थान लाल माटी, बशिष्ठ चारयाली, 37 राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास, गुवाहटी में स्थित हैं, इसमें दो प्रशासनिक ब्लॉक, दो हॉस्टल, 25 स्टॉफ क्वाटर तथा आईआईई परिसर के अंदर निदेशक के लिए एक आवासीय क्वाटर है। इसके तहत शहर के बीचो-बीच गणेशगुढ़ी में 12 फ्लैट अफसरों के लिए भी हैं। इसके अलावा, इस संस्थान के सात राज्यों, नागालैंड, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय में शाखा कार्यालय हैं।

4.7.1 उद्देश्य

- उद्यमशीलता विकास का संवर्धन करना।
- उद्यमशीलता विकास के लिए अनुसंधान करना और परामर्श सेवाएं प्रदान करना।
- संस्थान की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा अन्य गतिविधियों में अन्य संगठनों के साथ समन्वय और सहयोग करना।
- प्रत्याशित उद्यमियों को परामर्श तथा निगरानी सेवाएं प्रदान करना और प्रतिभागियों की नियोजनीयता में वृद्धि करना।
- आईआईई के कार्यों/गतिविधियों में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से वृहतर संवर्धन करना।

4.7.2 कार्य

- विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों को निर्धारित तथा आयोजित करना एवं संगत क्षेत्र में अनुसंधान करना।
- दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाना तथा एजेंटों और विकास कार्यकर्ताओं अर्थात प्रशिक्षकों तथा निर्माण उद्यम में लगे सहायकों और संगठनों का संवर्धन करना।
- भावी तथा मौजूदा उद्यमियों को परामर्शकारी सेवाएं प्रदान करना।
- संस्थान की गतिविधियों की पहुंच को सहयोगी प्रबंध तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न कारकों के प्रयोग के माध्यम से बढ़ाना और उनकी प्रभावशीलता में वृद्धि करना।

4.7.3 प्रमुख गतिविधियां

- प्रशिक्षण कार्यक्रम: संस्थान प्रत्याशित उद्यमियों, विद्यार्थियों, अध्यापकों, विकास कार्य में लगे संगठनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। इन कार्यक्रमों को उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी); उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम/कैंप (ईएपी/ईएसी); उद्यमशीलता उन्मुखीकरण कार्यक्रम (ईओपी); कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी); उद्यमशीलता तथा कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी); प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी); संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी); प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) तथा संपोषण प्रशिक्षण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- अनुसंधान: संस्थान स्वयं के तौर पर अथवा प्रायोजित आधार पर अनुसंधान और अध्ययन कराता है तथा पूर्वोत्तर भारत के एसएमई विकास और संवर्धन के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है। अन्य ध्यान केंद्रित क्षेत्रों में विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के संगठन और स्कीमों का मूल्यांकन आता है। एसएमई के विकास पर अनुसंधान कार्रवाई भी की जा रही है।

- **परामर्शकारी:** यह उद्यम आयोजना; उद्यम प्रबंधन; उद्यम विस्तार, विविधिकरण तथा संवर्धन; प्रबंधन परामर्शकारी सेवा; मार्किटिंग परामर्शकारी के साथ सीमांत व्यापार तथा निर्यात पर विशेषज्ञता के साथ मार्किट परामर्श; प्रौद्योगिकी सोर्सिंग; प्रौद्योगिकी संवर्धन तथा परियोजना एवं रिपोर्टों सहित उद्यमशीलता के क्षेत्र में विभिन्न परामर्श कारी पेशकस करता है।
- **सेमिनार और कार्यशालाएं:** यह संस्थान स्व-रोजगार तथा उद्यमशीलता कार्यक्रमों कार्यान्वयन तथा समसामयिकी विषयों तथा जागरूकता सृजन पर कार्यान्वयन और अनुभव को साझा करने के लिए कार्याशालाएं और सेमिनार आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त, संस्थान परियोजनाओं को आरंभ करने तथा उनका सफलातपूर्वक प्रबंधन कराने में सामने आने वाली समस्याओं को जानने और उस पर कार्रवाई करने हेतु उद्यमियों के साथ बैठकें आयोजित करता है।
- **परियोजनाएं:** यह विभिन्न परियोजनाओं यथा केंद्र सतत आजीविका संवर्धन (सीएसएलपी); क्लस्टर विकास हेतु प्रादेशिक संसाधन केंद्र (आरआरसी); विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता विकास (एसटीईडी) परियोजना; ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम (आरआईपी); मॉडल ग्रामीण अंगीकार कार्यक्रम; कोमपेलों (सूक्ष्म योजना तथा आजीविका अवसरों को बढ़ाने हेतु कंसोर्टियम) तथा एनयूएलएम (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) परियोजना आदि।
- **प्रकाशन:** संस्थान समाचार पत्रिकाएं, पुस्तकें, वार्षिक रिपोर्टें, अध्ययन, अनुसंधान, सर्वेक्षण रिपोर्टें प्रकाशित करता है।

4.7.4 **भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आईआईई) ने निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं:**

i. युवा कार्य तथा खेल मंत्रालय (एनएसएस सैल);
ii. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त-पोषण तथा विकास निगम (एनबीसीएफडीसी);
iii. नेहरू युवा केंद्र संस्थान (एनयूकेएस);
iv. स्फूर्ती के लिए नोडल एजेंसी (एमएसएमई);
v. एस्पायर तथा स्फूर्ती के लिए तकनीकी एजेंसी - (एमएसएमई) आरआरसी;
vi. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम (आईआईएफसीएल-एनएसटीएफडीसी, सीएसआर कार्यान्वयन हेतु);
vii. ऑयल इंडिया लिमिटेड (ऑयल-दुलियाजान); केंद्रीय रेशम बोर्ड;
viii. राष्ट्रीय उत्पाद विकास तथा डिजाइन केंद्र (एनसीडीपीडी);
ix. हस्तशिल्प हेतु निजात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच);
x. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी);
xi. राजीव गांधी युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी);
xii. पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इनडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई);
xiii. गुवाहटी विश्वविद्यालय (जीयू);
xiv. असम राजीव गांधी सहकारी प्रबंधन विश्वविद्यालय (एआरजीयूसीएम); तथा
xv. पूर्वोत्तर प्रादेशिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी)

स्कीमें और पहलें

साओ पाउलों, ब्राजील में विश्व कौशल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2016 में इलेक्ट्रानिक्स कौशल की शोकेसिंग

5. स्कीमें और पहलें

क. एनएसडीसी के माध्यम से स्कीमें और पहलें

5.1 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)

पीएमकेवीवाई, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप परिणाम आधारित कौशल प्रशिक्षण स्कीम है। इस कौशल प्रमाणन और पुरस्कार स्कीम का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को परिणाम आधारित कौशल प्रशिक्षण लेने और नियोजनीय बनने और अपनी आजीविका कमाने में समर्थ बनाना और प्रेरित करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मार्च, 2015 को भारत के सबसे बड़ी कौशल प्रमाणन स्कीम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीई) का अनुमोदन किया था। आगे चल कर 15 जुलाई, 2015 को विश्व कौशल दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस स्कीम का शुभारंभ किया गया था। इसके कार्यान्वयन के सफल प्रथम वर्ष पूरा होने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 10 मिलियन युवाओं का कौशलीकरण करने के लिए 12,000 करोड़ रूपए के परिव्यय से अगले चार वर्षों के लिए स्कीम का अनुमोदन कर दिया है। इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

5.1.1 पीएमकेवीवाई (2016-20) स्कीम का कार्यान्वयन केंद्र और राज्यों द्वारा किया जाएगा। इसके दो घटक होंगे।

- **केंद्रीय प्रायोजित केंद्रीय प्रबंधित (सीएससीएम):** पीएमकेवीवाई (2016-20) की 75 प्रतिशत धनराशि, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से कौशलीकरण किए जाने के लिए एमएसडीई को उपलब्ध होगी।
- **केंद्रीय प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम):** पीएमकेवीवाई 2.0 की 25 प्रतिशित धनराशि राज्यों आवंटित की जाएगी।

5.1.2 केंद्रीय प्रायोजित केंद्रीय प्रबंधित (सीएससीएम) के तीन घटक हैं जैसा कि नीचे प्रदर्शित किया गया है:

i. **अल्पकालिक प्रशिक्षण**

पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) पर प्रदान किए जा रहे अल्पकालिक प्रशिक्षण से ये उम्मीद है कि भारतीय राष्ट्रीकता के ऐसे उम्मीदवार लाभ प्राप्त करेंगे, जो स्कूल कॉलेजों के ड्रॉपआउट्स हैं, अथवा बेरोजगार हैं। राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुसार प्रशिक्षण दिए जाने के अलावा टीसी, सॉफ्ट स्किल्स, उद्यमशीलता, वित्तीय तथा डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण की अवधि प्रति जॉब रोल भिन्न-भिन्न होती है। उम्मीदवारों का सफलतापूर्वक मूल्यांकन पूरा होने के बाद उन्हें प्रशिक्षण भागीदारों (टीपी) द्वारा तैनाती सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। टीपी को भुगतान सामान्य मानदंडों के अनुरूप किया जाएगा। स्कीम के अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत दिए गए प्रशिक्षण एनएसक्यूएफ स्तर 3 और 4 के होंगे।

ii. **पूर्व शिक्षण मान्यता**

पूर्व शिक्षण अनुभव अथवा कौशल प्राप्त व्यक्तियों का मूल्यांकन और प्रमाणन, स्कीम के पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) घटक के अंतर्गत किया जाएगा। आरपीएल का उद्देश्य, देश के अनियमित कार्यबल की क्षमताओं को एनएसक्यूएफ से संरेखित करना है। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए), जैसे सेक्टर कौशल परिषद (एसएससी) अथवा एमएसडीई/एनएसडीसी द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य एजेंसियों को तीन परियोजना प्रकारों (आरपीएल शिविर, नियोक्ता के परिसर में आरपीएल और आरपीएल केंद्र) में से किसी को भी आरपीएल परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ज्ञान के अंतराल के समाधान के लिए पीआईए, आरपीएल उम्मीदवारों को ब्रिज पाठ्यक्रम उपलब्ध करा सकता है।

iii. **विशेष परियोजनाएं**

पीएमकेवीवाई के स्पेशल परियोजना घटक में ऐसा प्लेटफार्म सृजित करना है, जो विशेष क्षेत्रों और/अथवा सरकारी निकायों, कार्पोरेट अथवा उद्योग निकायों के परिसरों में प्रशिक्षण को सुविधाजनक बनाए और उपलब्ध अर्हता पैकों (क्यूपी)/राष्ट्रीय पेशा मानकों (एनओएस) के अंतर्गत परिभाषित न किए गए विशेष जॉब रोलों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराए। विशेष परियोजनाएं ऐसी परियोजनाएं होती है, जिनके बारे में किसी स्टेक होल्डर के लिए पीएमकेवीवाई के अंतर्गत अल्पकालिक प्रशिक्षण की शर्तों से कुछ विचलन अपेक्षित होता है। कोई प्रस्तावक स्टेक होल्डर, केंद्र अथवा राज्य सरकार (सरकारों)/स्वायत्त निकाय/सांवधिक निकाय अथवा उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के इच्छुक कोई अन्य समकक्ष निकाय अथवा निगम हो सकता है।

5.1.3 केंद्रीय प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) के लिए पीएमकेवीवाई (2016-20) का राज्य संलग्नता घटक, कुल धनराशि का 25 प्रतिशत और इसके समकक्ष वास्तविक लक्ष्य,

राज्य/स्थानीय स्तर पर कौशल विकास के लिए संस्थागत क्षमता निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों को आवंटित किए गए हैं।

सीएसएसएम घटक के अंतर्गत राज्य कौशल विकास मिशन, कार्यक्रम के निष्पादन के लिए नेटवर्क प्रबंधक (नीचे डायग्राम दिया गया है) की भूमिका निभाएंगे।

चार्ट 4 : राज्य कौशल विकास मिशन की भूमिका

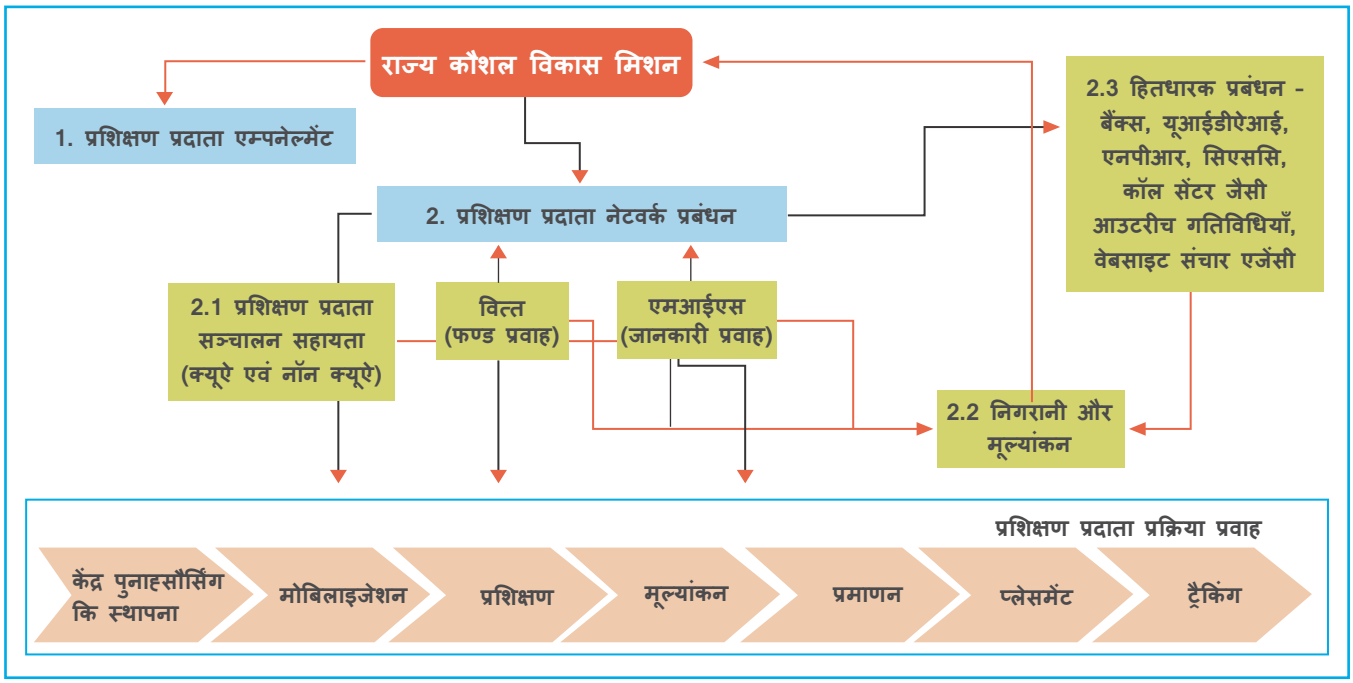

एसएसडीएम, पीएमकेवीवाई 2.0 के कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग की सहायता के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

(क) प्रशिक्षण प्रदाताओं का पैनल बनाना।

(ख) प्रशिक्षण प्रदाता नेटवर्क प्रबंधन।

(i) प्रशिक्षण प्रदाता प्रचालन सहायता (क्यूए और गैर-क्यूए)

(ii) एमआईएस के जरिए निगरानी और मूल्यांकन

(iii) स्टेक होल्डर प्रबंधन

राज्य सरकारें, अपने-अपने राज्य कौशल विकास मिशनों (एसएसडीएम) के जरिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएंगे। सीएसएसएम के अंतर्गत राज्यों को स्कीम के कार्यान्वयन पर पर्यवेक्षण के लिए 5-6 व्यक्तियों की एक समर्पित टीम की भर्ती/नियुक्त करना होगा।

समर्पित निगरानी समिति (जैसा कि संलग्नता दिशा-निर्देश में प्रस्ताव किया गया है) के जरिए राज्य स्कीम का पर्यवेक्षण करेंगे और आवश्यकता अनुसार एसएसडीएम को सहायता प्रदान करेंगे।

5.1.4 **अब तक की प्रगति**

एमएसडीई में राज्य कौशल विकास मिशनों/राज्य में नोडल कौशल एजेंसी से प्रस्ताव प्राप्त हो रहा है। प्रस्तावों की स्थिति नीचे दर्शायी गई है:

तालिका 9 : पीएमकेवीवाई प्रस्तावों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य के प्रस्ताव	प्राप्त (हां /नहीं)	स्थिति	प्रारंभिक डेस्क मूल्यांकन	एमएसडीई से भेजा गया स्पष्टीकरण	तारीख को प्राप्त	टिप्पणी
1	पंजाब	हां	पीएसी द्वारा मूल्यांकित	किया गया	भेजा गया	20 दिसंबर, 2016	स्वीकृति आदेश जारी किया जाना है
2	उत्तर प्रदेश	हां	पीएसी द्वारा मूल्यांकित	किया गया	भेजा गया	20 दिसंबर, 2016	स्वीकृति आदेश जारी किया जाना है
3	राजस्थान	हां	पीएसी द्वारा मूल्यांकित	किया गया	भेजा गया	20 दिसंबर, 2016	स्वीकृति आदेश जारी किया जाना है
4	छत्तीसगढ़	हां	पीएसी द्वारा मूल्यांकित	किया गया	भेजा गया	04 जनवरी, 2017	स्वीकृति आदेश जारी किया जाना है
5	मध्य प्रदेश	हां	पीएसी द्वारा मूल्यांकित	किया गया	भेजा गया	03 जनवरी, 2016	स्वीकृति आदेश जारी किया जाना है
6	त्रिपुरा	हां	पीएसी द्वारा मूल्यांकित	किया गया	भेजा गया	05 जनवरी, 2017	स्वीकृति आदेश जारी किया जाना है
7	पुडुचेरी	हां	पीएसी द्वारा अभी मूल्यांकित किया जाना है	नहीं किया गया	नहीं भेजा गया	30 जनवरी, 2017	डेस्क मूल्यांकन किया जा रहा है
8	तमिलनाडु	हां	पीएसी द्वारा अभी मूल्यांकित किया जाना है	नहीं किया गया	नहीं भेजा गया	31 जनवरी, 2017	डेस्क मूल्यांकन किया जा रहा है
9	अरूणाचल प्रदेश	हां	पीएसी द्वारा अभी मूल्यांकित किया जाना है	नहीं किया गया	नहीं भेजा गया	01 फरवरी, 2017	डेस्क मूल्यांकन किया जा रहा है
10	आंध्र प्रदेश	हां	पीएसी द्वारा अभी मूल्यांकित किया जाना है	नहीं किया गया	नहीं भेजा गया	27 जनवरी, 2017	एमएसडीई पीएमयू द्वारा डेस्क मूल्यांकन पूरा किया गया

5.1.5 **बजटीय राशि:** प्रत्येक राज्य के लिए बजट की गणना, कुल लक्ष्यों के आधार पर और प्रति प्रशिक्षार्थी औसत प्रशिक्षण लागत (लगभग 14,100 रूपए) पर विचार करते हुए की जाएगी। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य को प्रशिक्षण राशि के चार प्रतिशत के बराबर धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वह प्रशासनिक खर्चों का भुगतान कर सके। पीएमकेवीवाई के लिए विस्तृत राज्य संलग्न दिशा-निर्देश का संदर्भ लिंक के जरिए ग्रहण किया जा सकता है http://pmkvyoffical.org/App Documents/News/State Engagement Guidelines PMKVY Guidelines Booklet NEW SIZE.pdf

5.1.6 पीएमकेवीवाई के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में बांटे गए लक्ष्य नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं:

तालिका 10 : पीएमकेवीवाई के अंतर्गत बांटे गए लक्ष्य

श्रेणी	लक्ष्य (2016-20)	वार्षिक लक्ष्य
आरपीएल	40,00,000	10,00,000
केंद्रीय प्रायोजित केंद्रीय प्रबंधित	39,50,000	9,87,500
- अल्पकालिक प्रशिक्षण	35,55,000	8,88,750
- विशेष परियोजनाएं	3,95,000	98,750
केंद्रीय प्रायोजित राज्य प्रबंधित	20,50,000	5,12,500

5.1.7 पीएमकेवीवाई (2015-16) और पीएमकेवीवाई (2016-20) की तुलना निम्नलिखित खंड में प्रस्तुत की गई है:

(i) **अल्पकालिक प्रशिक्षण**

पैरामीटर	पीएमकेवीवाई (2015-2016)	पीएमकेवीवाई (2016-2020)
केंद्र विधिमान्यता	सेक्टर कौशल परिषद द्वारा किया गया	क्यूसीआई द्वारा किया गया
तैनाती	स्कीम के दूसरे आधे भाग में तैनाती ट्रेकिंग और प्रोत्साहन देना शुरू किया गया	20 प्रतिशत भुगतान, तैनाती और निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के आधार पर
संवितरण	सफल उम्मीदवारों को उनके बैंक खाते में पुरस्कार राशि प्राप्त हुई	सामान्य मानदंडों के अनुसार टीपी को संवितरण
जॉब रोल	स्तर 1 से 5 में सभी जॉब रोल	केवल स्तर 3 और 4 के जॉब रोल से संबंधित प्रशिक्षण
आवंटित लक्ष्य	सेक्टर-वार, निर्वाचन क्षेत्र-वार और केंद्र-वार	प्रशिक्षण केंद्र स्तर पर जॉब रोल-वार
प्रशिक्षार्थियों के लिए हैंडबुक	प्रशिक्षार्थियों के लिए कोई मानक हैंडबुक नहीं	मानक प्रशिक्षार्थी पुस्तिका, सभी उम्मीदवारों को दी जा रही है।
प्रमाणन	तृतीय पक्ष एकीकरण के जरिए प्रमाण पत्र और कौशल कार्ड बनाया गया	प्रमाण पत्रों और अंक पत्रों को रखने के लिए डिजीटल लॉकर
उपस्थिति	केवल प्रशिक्षार्थियों के टीसी पर कागज आधरित उपस्थिति	प्रशिक्षार्थियों, प्रशिक्षकों और मूल्यांककों की **आधार** आधारित बायोमीट्रिक उपस्थिति जे एंड के और पूर्वोत्तर क्षेत्र में टीसी के लिए यद्यपि प्रोत्साहित किया जाता है, किंतु अनिवार्यता नहीं है

(ii) **पूर्व शिक्षण मान्यता**

पैरामीटर	पीएमकेवीवाई (2015-2016)	पीएमकेवीवाई (2016-2020)
निष्पादन का तरीका	प्रशिक्षण भागीदार वाया प्रशिक्षण केंद्र (लक्ष्य आवंटन एनएसडीसी - एसएससी - टीपी)	परियोजना का तरीका टाइप 1. आरपीएल शिविर, टाइप 2. @ नियोक्ता का परिसर और टाइप 3. आरपीएल केंद्र पीआईए (एसएससी/एनएसडीसी नाम निर्दिष्ट एजेंसी)
आरपीएल प्रक्रिया	३ चरण की प्रक्रिया: मोबिलाइजेशन और कांउसलिंग, मूल्यांकन और प्रमाणन, भुगतान	5 चरण की प्रक्रिया: मोबिलाइजेशन, कांउसलिंग और पूर्व जांच, अभिमुखीकरण (ब्रिज पाठ्यक्रम का विकल्प), अंतिम मूल्यांकन, प्रमाणन और भुगतान
मूल्यांकन और प्रमाणन	उम्मीदवारों के उत्तीर्ण होने की प्रतिशतता (क्यपी पर 60-70 प्रतिशत) पर प्रमाण पत्र। उम्मीदवारों के उत्तीर्ण न होने, किंतु 24 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर अंक पत्र जारी किया जाना।	"कोर एनओएस" और "गैर-कोर एनओएस" में क्यूपी अधिमान औसत के रूप में परिकलित कुल अंकों का 50 प्रतिशत अंक उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त करने पर प्रमाणन (कोर एनओएस से 70 प्रतिशत अंक + गैर कोर एनओएस से 30 प्रतिशत अंक पर) सभी उम्मीदवारों (उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण) को अंक पत्र दिया जाता है
वित्तीय	प्रमाणित/अंक पत्र पाने वाले उम्मीदवारों को सीधे भुगतान (500 रूपए) टीपी को सीधे भुगतान [संगठित सेक्टर 1600 रू (एस)/1800 (एम) और असंगठित सेक्टर 2600 रू (एस)/2800 (एम)] इसमें मूल्यांकन शुल्क 600/800 रू शामिल है	मूल्यांकित उम्मीदवारों को सीधे भुगतान: 500 रू पीआईए को सीधे भुगतान: 1400 रू (टाइप II) 1600 रू (टाइप III) 1700 रू (टाइप I) सीधे भुगतान मूल्यांकन शुल्क: 600/800 रू (सेवाएं/विनिर्माण) पीआईए को 2 अलग-अलग हिस्सों में भुगतान (नामांकन पर 30 प्रतिशत, सफलतापूर्वक प्रमाणन पर 50 प्रतिशत, प्रमाण पत्र वितरण समारोह के साक्ष्य आधारित प्रमाण के सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए जाने पर 20 प्रतिशत

5.1.8 **वर्तमान स्थिति (14 फरवरी, 2017 की स्थिति के अनुसार)**

तालिका 11 : पीएमकेवीवाई (2015-16)

पैरामीटर	नव प्रशिक्षण	आरपीएल
नामांकन	18,04,141	1,80,690
पूरा हुआ प्रशिक्षण	18,03,453	1,80,690
परिणाम अपलोड किया गया	17,67,619	1,75,222
प्रमाणित	12,97,550	1,10,773

तालिका 12 : पीएमकेवीवाई (2016-20) - 14 फरवरी, 2017 की स्थिति के अनुसार

पैरामीटर	अल्पकालिक प्रशिक्षण	आरपीएल	विशेष परियोजनाएं	कुल
आवंटित लक्ष्य	7,41,953	5,73,552	33,606	13,16,775
टीसी की संख्या	1,471	-	-	1,471
पीआईए की संख्या	-	53	12	65
नामांकित उम्मीदवारों की संख्या	1,17243	52,778	491	1,70,512

तालिका 13 : एनएसडीएफ से एनएसडीसी को अंतरित धनराशि

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (05-12-2016 तक)	कुल
स्टार	585.00	415.00	-	-	1,000.00
पीएमकेवीवाई	-	-	435.00	900.00	1,335.00
पीएमकेवीवाई -2	-	-	-	550.00	550.00
कुल					**2,885.00**

5.2 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके)

Pradhan Mantri Kaushal Kendra

5.2.1 **पृष्ठभूमि**

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को लेना सुनिश्चित करते हुए देश के प्रत्येक जिले में मॉडल कौशल केंद्र की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) स्कीम का कार्यान्वयन करता है।

5.2.2 **पीएमकेके में निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है**

- ऐसी बैंचमार्क संस्थाएं बनाना, जो कार्यक्रम के बड़े पैमाने पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर सक्षमता आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए आकांक्षीय महत्व प्रदर्शित करे
- कौशल प्रदान करने की प्रक्रिया में गुणवत्ता, निरंतरता और स्टेक होल्डरों से संपर्क पर ध्यान केंद्रित करना
- अनिवार्यता प्रेरित स्वतंत्र मॉडल से सतत संस्थागत मॉडल में रूपांतरण

5.2.3 **पीएमकेके की मुख्य विशेषताएं:**

- अत्याधुनिक अवसंरचना
- पीएमकेके विशिष्ट बाहरी और आंतरिक ब्रांडिंग
- स्मार्ट क्लासरूम - प्रत्येक पीएमकेके के लिए वास्तविक प्रशिक्षण, पारस्परिक वार्तालाप सत्र और उद्योग सेमिनार/वेबिनार चलाने के लिए दृश्य-श्रव्य सुविधाओं से युक्त कम से कम एक क्लासरूम रखना अपेक्षित होगा।
- विनिर्माण ट्रेडों में अनिवार्य प्रशिक्षण
- प्रति एसएससी विनिर्देशों के अनुसार मॉडल पाठ्यक्रम विवरण और प्रशिक्षक

5.2.4 **वर्तमान स्थिति**

- भारत के 443 जिलों (341 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र) में 463 पीएमकेके की स्थापना के लिए 36 प्रशिक्षण प्रदाताओं (टीपी) को चुना गया है।
- पीएमकेके चरण 1: 269 जिलों को 24 प्रशिक्षण प्रदाताओं (टीपी) के लिए आवंटित किया गया है।
- पीएमकेके चरण 2: 174 जिलों में 194 पीएमकेके, 22 प्रशिक्षण प्रदाताओं (टीपी) को आवंटित किया गए हैं (चरण 1 और चरण 2 दोनों में 10 टीपी का चयन किया गया है)।
- 07 फरवरी, 2017 की स्थिति के अनुसार 78 पीएमकेके की स्थापना की गई है और 197 अतिरिक्त पीएमकेके की स्थापना के लिए स्थान को अंतिम रूप दिया गया है।
- 78 पीएमकेके में से 62 पीएमकेके का उद्घाटन माननीय सांसदों द्वारा किया गया है।
- 1,72,360 का लक्ष्य, पीएमकेवीवाई ।। के अंतर्गत 59 पीएमकेके के लिए आवंटित किया गया है।
- पीएमकेके की स्थापना के लिए आवंटित 341 पीसी में से टीपीज, 254 निर्वाचन क्षेत्रों में संसद सदस्यों से मिलने में समर्थ रहे हैं।
- टीपी से प्राप्त चलाई गई परियोजना के आधार पर 130-140 पीएमकेके मार्च 2017 तक स्थापित किए जाएंगे।

5.2.5 **आगे की प्रगति**

प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की परिकल्पना, जिले में प्रशिक्षण केंद्रों का नेटवर्क वाले कौशल विकास प्रशिक्षण की डिलीवरी के केंद्र (हब) के रूप में विकसित करना है। प्रत्येक हब, कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए पहुंच बनाना और स्थानीय तौर पर डिलीवरी के लिए बहु केंद्र का प्रचालन करेगा। यह हब गुणवत्ता नियंत्रण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण विषय-वस्तु, आंतरिक मूल्यांकन, मोबिलाइजेशन, प्रचालन और तैनाती संपर्क के रूप में केंद्रों की सहायता करेगा।

वेल्डिंग सिमुलेटर की सहायता से वेल्डिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षण लेते हुए कामगार

5.3 उडान

जे एंड के लिए गृह मंत्री द्वारा वित्त पोषित और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एसआईआई) द्वारा कार्यान्वित विशेष उद्योग पहल (एसआईआई) है। यह कार्यक्रम, जे एंड के में आर्थिक मामलों के समाधान के लिए समग्र पहल का भाग है। जे एंड के में शिक्षित बेरोजगारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उडान कार्यक्रम एक विशेष पहल है। उडान कार्यक्रम का केंद्र बिंदु, जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) के ऐसे युवा हैं, जो स्नातक, स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय डिप्लोमाधारी इंजीनियर हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल और जॉब के अवसर प्रदान करन है। इसके साथ-साथ जे एंड के में उपलब्ध समृद्ध प्रतिभा के लिए कार्पोरेट इंडिया को भी प्रदर्शन का अवसर उपलब्ध कराना है। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्ष में जे एंड के में 40,000 युवाओं तक पहुंचना था।

5.3.1 **स्कीम का उद्देश्य:**

- जम्मू और कश्मीर के स्नातकों और स्नातकोत्तरों को सर्वोत्तम कार्पोरेट इंडिया के लिए प्रदर्शन का अवसर प्रदान करना है।
- राज्य में उपलब्ध समृद्ध प्रतिभा समूह के लिए कार्पोरेट इंडिया को प्रदर्शन का अवसर प्रदान करना है।

30 नवंबर, 2016 की स्थिति के अनुसार रिटेल, आईटी, आईटीज, विनिर्माण, बीएफएसआई, ऑटो, रियल एस्टेट, अवसंरचना और वस्त्र आदि जैसे भिन्न-भिन्न सेक्टरों में 84 अग्रणी कार्पोरेटों ने 31 मार्च, 2017 तक 19,245 युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि स्कीम इतने समय के लिए बढ़ा दी गई है। टाइटन, सेनिडर, टीसीएस, इंफोसिस, एक्सेंचर, केपीएमजी, इंडियन ओवरसीज बैंक, येस बैंक, अपोलो मेडिस्किल, फ्रॉस्ट एवं सूलीवॉन, बजाज आलियांज, टाटा मोटर्स, जेनपैक्ट, कॉग्निजेंट आदि जैसे 84 कार्पोरेटों ने अब तक इस स्कीम के अंतर्गत 113 उडान मेगा चयन अभियान चलाया है और वर्तमान वर्ष में भिन्न-भिन्न सेक्टरों के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए 24,312 उम्मीदवारों का चयन किया है। उडान मेगा अभियान एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करता है, जहां बहुत से कार्पोरेट संयुक्त रूप से जम्मू और कश्मीर के युवाओं को संगठित करने के लिए राज्य भर में उडान प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं।

30 नवंबर, 2016 की स्थिति के अनुसार 24,312 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण जॉइन किया है, जिसमें से इस समय 5,480 उम्मीदवार भारत के 18 शहरों में प्रशिक्षण ले रहे है। 17,111 उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जिसमें से 9,632 उम्मीदवारों को विभिन्न सेक्टरों में जॉब का आफर दिया गया है।

5.3.2 **2015-16 के दौरान की गई महत्वपूर्ण पहल:**

- जे एंड के राज्य सरकार की सहायता के लिए श्रम साध्य मार्केटिंग अभियान।
- उडान कार्यक्रम का भाग बनने तथा उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए टाइटन, स्केनिडर, टेक महिंद्रा, एम एंड एम तथा और भी बहुत से कार्पोरेट सहित कार्पोरेटों तक पहुंच।
- पोर्टल पर डाटा बेस के साथ आधार एकीकरण प्रवेश बिंदु से आधार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उडान मेगा अभियानों में नामांकन शिविर आयोजित किया जा रहा है।
- राज्यों से स्थानीय निकायों की संलग्नता - कॉलेज के प्रिंसिपलों, वीडियों, डीसी, रोजगार कार्यालय, अग्रणी छात्र और उडान मिशल प्रबंधन युनिट इस स्कीम के कार्यान्वयन और सुदृढ़ करते है।

ख. डीजीटी के माध्यम से स्कीम और पहल

5.4 शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम

स्कीम: शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) की शुरूआत घरेलू उद्योग के लिए विभिन्न ट्रेडों में कुशल कामगारों का निरंतर प्रवाह लाना, प्रणालीगत प्रशिक्षण प्रदान करके मात्रात्मक और गुणात्मक औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, शिक्षित युवाओं को नियोजनीय कौशल प्रदान करके उनमें बेरोजगारी कम करना, युवा पीढ़ी के दिमाग में तकनीकी और औद्योगिक प्रवृत्ति का विकास और संपोषण करना सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1950 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। चूंकि यह स्कीम व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यह स्कीम शिल्पकारों को इस तरह बनाती रही है कि वे देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में फैले आईटीआई के विशाल नेटवर्क के जरिए मौजूदा और भावी जन-शक्ति की आवश्यकता को पूरा कर सके। शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत

आईटीआई का दैनिक प्रशासन वर्ष 1956 से राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों को हस्तांरित कर दिया गया था। 1 अप्रैल, 1969 से राज्य तथा संघ राज्य-क्षेत्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों को हस्तांरित कर दिया गया था। वित्तीय सहायता, पूर्व योजना आयोग और वित्त मंत्रायल के परामर्श से भारी अनुदान के रूप में उन्हें मंजूर किया गया था।

5.4.1 **देश में आईटीआई का विकास:**

शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) को देश के औद्योगिक विकास के लिए कुशल जन-शक्ति की आवश्यकता को पूरा करने हेतु विभिन्न व्यावसायिक ट्रेडों में कौशल प्रदान करने के लिए लगभग 50 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की स्थापना करके 1950 में शुरू किया गया था। अनेक निजी आईटीआई की स्थापना 1980 में दक्षिण के राज्यों अधिकांशत: केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में की गई थी, जहां प्रशिक्षित शिल्पकारों ने खाड़ी देशों में नौकरियां प्राप्त की। वर्ष 1980 में 831 आईटीआई थे और प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या वर्ष 1987 में बढ़कर 1887 हो गई। यही वह समय था जब निजी प्रशिक्षण संस्थानों का नाम ''औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र'' होकर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों से अलग रूप में हो गए। तथापि, हाल ही में संशोधन किया गया और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों को समान रूप से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के रूप में जाना जाता है और उन्हें यथा स्थिति ''सरकारी'' अथवा ''निजी'' शब्द जोड़कर जाना जाता है।

पिछले दो दशकों में सरकारी और निजी आईटीआई में काफी वृद्धि हुई है और गत पांच वर्षों में इनकी वृद्धि प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से हो रही है। वर्तमान में (दिसंबर 2016 की स्थिति के अनुसार) 13,350 सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (2,150 सरकारी और 11,200 निजी) हैं, जिनकी सीटिंग क्षमता 28.47 लाख (अधिक संख्या सहित) है।

नीचे दिए गए आंकड़े देश में गत लगभग पांच दशकों में सरकारी और निजी आईटीआई की वृद्धि दर्शाते हैं:

चार्ट 5 : आईटीआई की वृद्धि

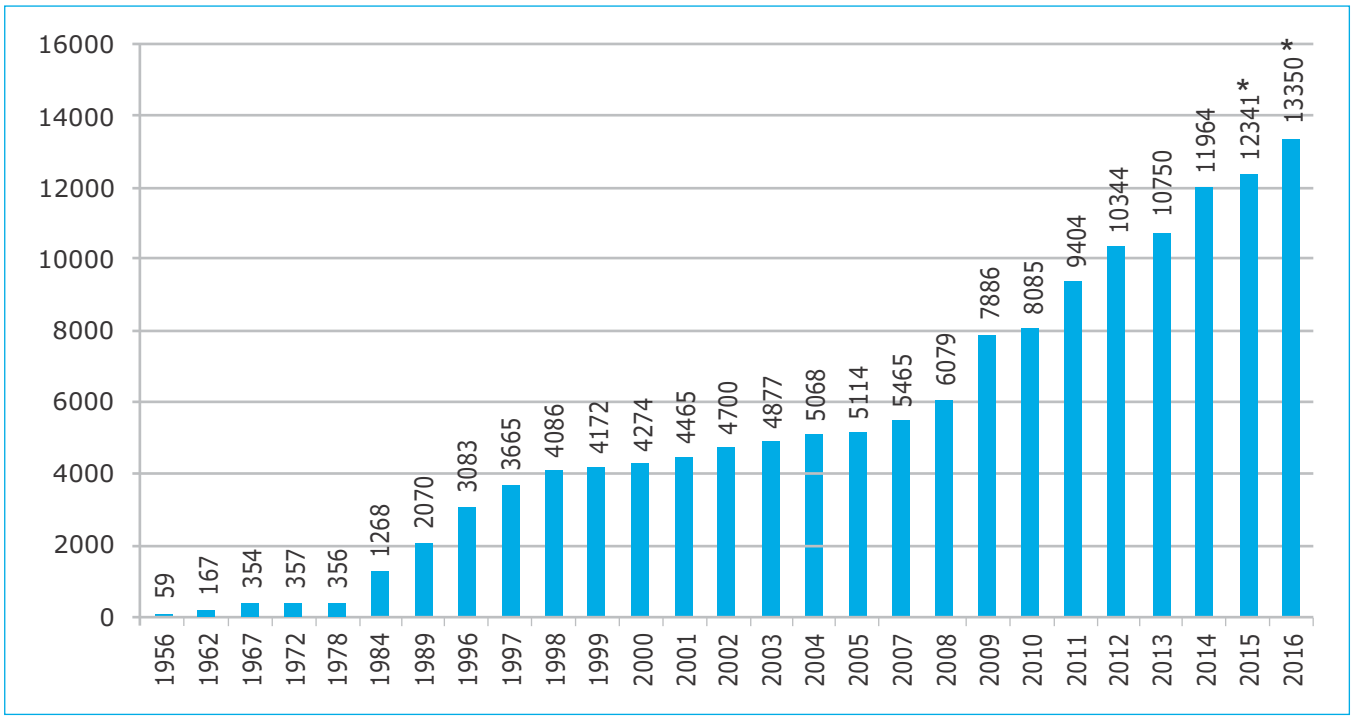

आईटीआई की संख्या →

शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का ऑफर पूरे देश में स्थित 13,350 सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के नेटवर्क के जरिए किया जा रहा है, जिनकी कुल सीटिंग क्षमता 28.47 लाख है और इसका उद्देश्य उद्योग को 126 ट्रेडों में कुशल कार्यबल उपलब्ध कराना है। 14 वर्ष या इससे ऊपर के उम्मीदवार इस स्कीम के तहत नामांकन करवा सकते हैं। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है।

सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की दृष्टि से प्रशिक्षण अवसंरचना में पर्याप्त वृद्धि हुई है और इस वृद्धि का स्तर 11वीं पंच वर्षीय योजना के प्रारंभ में लगभग 5,114 से बढ़कर 12वीं पंचवर्षीय योजना में 13,350 हो गया है। सीटिंग क्षमता भी, 2007 के 7.42 लाख से बढ़कर 31.12.2016 तक 28.47 लाख हो गई है।

5.4.2 सीटीएस के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकार का उत्तरदायित्व

i. केंद्र सरकार:

- कौशल विकास के लिए समग्र रूप से नीतियां, मानदंड और मानक बनाना।
- युवाओं के कौशल विकास के लिए नई प्रशिक्षण स्कीमें तैयार करना।
- प्रशिक्षण अवसंचना का विस्तार करना।
- पाठ्यक्रम - पाठ्य विवरण का विकास/संशोधन करना।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को संबद्धता प्रदान करना।
- ट्रेड परीक्षण और प्रमाणन करना।
- आईटीआई के सेवारत और संभावित अनुदेशकों के लिए अनुदेशक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलना।
- विशेषज्ञता वाले/नए क्षेत्रों में अनुदेशकों का कौशल स्तर बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम चलाना।
- महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों में प्रशिक्षण को समकक्ष रखने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्विपक्षीय करार और सहयोग।

कुशल भारत केंद्र में परिधान तथा वस्त्र निर्माण प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण

ii. राज्य सरकार:

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का दैनिक प्रशासन।
- आईटीआई में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना।
- नए संस्थानों की स्थापना करना, मौजूदा संस्थानों में स्थानीय उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त ट्रेड यूनिटों को जोड़ना।
- वास्तविक ट्रेड परीक्षण संचालित करना और सफल प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र बांटना।
- आईटीआई के उन्नयन के लिए केंद्रीय स्कीमों का कार्यान्वयन करना।
- डीजीईटी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए अनुदेशकों की प्रतिनियुक्ति करना।

5.4.3 **स्कीम का उद्देश्य:**

- कौशल प्रशिक्षण के जरिए जीवन पर्यंत केरिअर उपलब्ध कराना।
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर की आवश्यकता के अनुसार समुचित कौशल/बहु-कौशल से कार्यबल को सज्जित करना।
- मजदूरी और उद्यमशीलता संवर्धन दोनों के लिए नियोजनीय कौशल प्रदान करके युवाओं को उत्पादक बनाना।
- उच्च गुणवत्ता के शिल्पकार तैयार करना।
- औद्योगिक/सेवा सेक्टरों में कुशल कामगारों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करना।
- संभावित कामगारों को व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रदान करके औद्योगिक उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाना।

5.4.4 **स्कीम की मुख्य विशेषताएं:**

- 14 वर्ष और इससे ऊपर के अभ्यर्थी, सरकारी और निजी आईटीआई में प्रवेश लेने के पात्र होंगे। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है।
- सरकारी और निजी आईटीआई में प्रवेश प्रति वर्ष अगस्त महीने में दिए जाते हैं।
- आईटीआई में ट्यूशन शुल्क का निर्णय, संबंधित राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की सिफारिश के आधार पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा, जैसा वह उचित समझे, लिया जाता है। डीजीईटी/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अंतर्गत संस्थानों के मामलों में ट्यूशन शुल्क प्रति माह प्रति प्रशिक्षार्थी 100 रू है। तथापि, एसी/एसटी उम्मीदवारों एवं दिव्यांगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
- प्रशिक्षार्थियों को पुस्तकालय, खेल और चिकित्सीय सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।
- संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एसी/एसटी की आबादी के अनुपात में उनके लिए सीटें आरक्षित होती हैं। दिव्यांगों के लिए 3 प्रतिशत सीटों के आरक्षण और महिला उम्मीदवारों के लिए 30 प्रतिशत सीटों के आरक्षण से संबंधित दिशा-निर्देश राज्य सरकारों को जारी किए गए हैं और इन्हें प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सामान्य आरक्षण नीति के आधार पर भरा जा सकता है और कुल आरक्षण 50 प्रतिशत तक सीमित है। रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए भी सीटें आरक्षित होती हैं। सरकारी सेवाओं में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों के अनुपात में संबंधित राज्यों में उनके लिए भी सीटें आरक्षित होती हैं।
- सरकारी और निजी आईटीआई में दूसरी और तीसरी पालियों का भी प्रावधान है और उनका समय अलग-अलग है ताकि अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अधिकतम उपयोग हो सके और इसके लिए प्रशिक्षार्थियों के लिए एक अतिरिक्त ट्रेड अनुदेशक नियुक्त करके और अतिरिक्त प्रशिक्षार्थी किट देकर दूसरी पाली चलाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है।
- प्रत्येक सरकारी और निजी आईटीआई में एक "तैनाती कक्ष" की स्थापना की जाती है ताकि भिन्न-भिन्न उद्योगों में तैनाती प्राप्त करने में स्नातकों को सुविधा हो सके।
- उद्योग और औद्योगिक संस्थानों के बीच सहयोग में सुधार के लिए शीर्ष उद्योग निकायों के परामर्श से आईटीआई के लिए संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) बनाई गई है।

कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग प्राप्त करते हुए छात्र

5.4.5 **प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संरचना:**

- स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण 126 ट्रेडों में प्रदान किया जाता है। सीटीएस के अंतर्गत इंजीनियरी और गैर-इजीनियरी ट्रेडों की सूची अनुबंध-3 में दी गई है। विभिन्न ट्रेडों के लिए प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष और 2 वर्ष की है। प्रवेश योग्यता, आठवी पास से 12वीं पास तक ट्रेडों के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की संरचना अगस्त, 2013 से दीर्घकालिक के स्थान पर सेमेस्टर प्रणाली में बदल दी गई है।
- पाठ्यक्रमों को ट्रेडों में बुनियादी कौशल और जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है ताकि प्रशिक्षार्थी को अर्ध-कुशल कामगार के रूप में रोजगार के लिए अथवा स्व-रोजगार के लिए तैयार किया जा सके।
- चूंकि 70 प्रतिशत प्रशिक्षण अवधि, प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए निश्चित की जाती है और शेष अवधि ट्रेड सिद्धांत, कार्यशाला, गणना और विज्ञान, इंजीनियरिंग ड्राईंग से संबंधित विषयों के लिए होती है, इसलिए कौशल निर्माण पर जोर दिया जाता है।
- प्रशिक्षार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए ''नियोजनीयता कौशल'' से संबंधित पाठ्यक्रम प्रशिक्षार्थियों को पढ़ाया जाता है। इस विषय में पेशेगत सुरक्षा और स्वास्थ्य, गुणवत्ता वाले उपकरण, संप्रेषण कौशल, टीम वर्क, उद्यमशीलता, पर्यावरण शिक्षा, आईटी सक्षरता और श्रम कल्याण कानूनों पर चलाए गए अध्याय होते हैं।

5.4.6 **सीटीएस की गुणवत्ता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने से संबंधित उपाय:**

सरकारी और निजी आईटीआई की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से एनसीवीटी द्वारा अनेक उपाय निर्धारित किए गए हैं, जिनमें नए संस्थान/ट्रेड शुरू करने और एनसीवीटी से उनकी संबद्धता करने के लिए दिशा-निर्देश भी शामिल हैं।

- आईटीआई का एनसीवीटी से संबद्धता के लिए निर्धारित सक्त मानदंड किए गए हैं, जिनसे अवसंरचनात्मक सुविधाएं, योग्य स्टॉफ आदि सुनिश्चित हो सकेगा।

- एनसीवीटी संबद्धता केवल उन्हीं सरकारी और निजी आईटीआई को प्रदान की जाती है, जो एनसीवीटी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप होते हैं तथा यह संबद्धता 5 वर्ष के लिए ही होती है।
- संबद्ध सरकारी और निजी आईटीआई के मूल्यांकन के लिए सुपरिभाषित प्रक्रिया होती है तथा जो संस्थान/ट्रेड निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करने वाले नहीं होते हैं, उनकी संबद्धता को समाप्त करने की भी प्रक्रिया है।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आईटीआई के लिए यह आवश्यक कर दिया है कि वे अपनी वेबसाइट रखें और संबद्ध एनसीवीटी ट्रेड यूनिटों, प्रशिक्षार्थियों की तैनाती, अवसंरचनात्मक सुविधाओं आदि के लिए ऑफर किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित सभी सूचनाएं लिंक करें।
- उद्योग में तेजी से बदल रही प्रौद्योगिकी से कदम मिलाने के लिए विभिन्न ट्रेडों की पाठ्यचर्याओं को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
- स्कीम के अंतर्गत उद्योग की आवश्यकता के अनुसार अप्रचलित ट्रेडों को छोड़ दिया जाता है और नए ट्रेडों को शुरू किया जाता है।

5.5 शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण स्कीम:

5.5.1 **पृष्ठभूमि:** शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण, डीजीटी को सौंपी गई जिम्मेदारी है और यह शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के शुरू होने के समय से ही प्रचालनरत है। अनुदेशक प्रशिक्षार्थियों को कौशल और प्रशिक्षण पद्धति दोनों में वृहद प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि उन्हें अपने कौशलों को हस्तांरित करने की तकनीक से सुपरिचित कराया जा सके और उद्योग के लिए कुशल जन-शक्ति को प्रशिक्षित किया जा सके।

वर्तमान परिदृश्य में 28 लाख से अधिक की सीटिंग क्षमता वाले 13,350 आईटीआई को लगभग 90,000 अनुदेशकों की आवश्यकता है। किंतु इनमें से वर्तमान में लगभग केवल 15 प्रतिशत सीआईटीएस के अंतर्गत प्रशिक्षित हैं। एनसीवीटी ने यह अनिवार्य कर दिया है कि आईटीआई के सभी प्रशिक्षकों को सीआईटीएस में प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय संस्थानों (सीएफआई) में वर्तमान क्षमता प्रति वर्ष 5,168 है, जबकि कुल सीटिंग क्षमता 8,648 (निजी आईटीओटी- 12,128 सहित) है। 2016-17 में कुल 3,627 उम्मीदवारों ने सीएफआई में प्रवेश (70 प्रतिशत सीटें भरी गई) लिया है।

सीआईटीएस कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार वे हैं, जो एनटीसी / एनएसी / डिप्लोमा / डिग्री अर्हता रखते हों। 27 इंजीनियरी ट्रेडों और 9 गैर-इंजीनियरी ट्रेडों में 27 प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय संस्थाओं में ऑफर किए जा रहे हैं।

5.5.2 **सीआईटीएस के विस्तार के लिए नई पहल:**

आईटीआई की बढ़ती हुई संख्या और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीमों के लिए प्रशिक्षकों की आवश्यकता है। क्षमता में वृद्धि के लिए सरकार ने नई पहल की है, जिससे क्षमता 27,000 तक बढ़ जाएगी।

- निजी क्षेत्रों में 12 नए प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की एनसीवीटी द्वारा संबद्धता दी गई है, जिससे सीटें बढ़कर 8,000 हो गई है।
- चार एमआईटीआई का एटीआई में उन्नत किया गया है।
- वीटीआईपी के अंतर्गत चार प्रशिक्षण प्रशिक्षण संस्थान (आईटीओटी)
- पीपीप मोड में 27 एटीआई की स्थापना की जानी है

5.5.3 **सीआईटीएस पाठ्यक्रमों की रूप रेखा:** प्रवेश, केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा (सीईई) के माध्यम से दिया जाता है और यह सेमेस्टर पैटर्न पर होता है।

5.5.4 **शिल्पकार प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान:**

क. निम्नलिखित केंद्रीय संस्थानों में प्रशिक्षण चलाया जाता है:

- हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, लुधियाना स्थिति एटीआई।
- देहरादून और हैदराबाद स्थिति एटीआई-ईपीआई।
- बैंगलोर स्थित एफटीआई।

- चेन्नई स्थित सीटीआई।
- चौडवार, कालीकट, हैदराबाद, हल्द्वानी, जोधपुर स्थित एटीआई (पूर्ववर्ती एमआईटीआई)
- नोएडा में महिलाओं के लिए एनवीटीआई
- महिलाओं के लिए पानीपत, इंदौर, जयपुर, इलाहबाद, तिरूवनंतपुरम, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई, वडोदरा स्थित आरवीटीआई
- महिलाओं के लिए मोहाली, शिमला, पटना, अगरतला और त्रिचिरापल्ली स्थित नए आरवीटीआई

ख. 12 निजी प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीओटी) की सूची नीचे दी गई है:

क्र.सं	संस्थान के नाम
1.	एसडीएम प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, हिसार, हरियाणा
2.	आधुनिक निजी प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कांगडा, हिमाचल प्रदेश
3.	एसबीसी प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कालानवली, सेरशा, हरियाणा
4.	एस. गीता राम प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, हिसार, हरियाणा
5.	श्यादवाड प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, वाघपत, उत्तर प्रदेश
6.	जैन प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, फजीलका, पंजाब
7.	सरस्वती प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भटींडा, पंजाब
8.	शिवालिक प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान,पटियाला, पंजाब
9.	एसआर प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, अंबाला, हरियाणा
10.	खाटुजी प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, फजीलका, पंजाब
11.	बागड़ प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, झुंनझुनु, राजस्थान
12.	सेंटुरियन प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जतनी, खुरदा, ओडिशा

5.6 कौशल विकास पहल स्कीम (एसडीआई स्कीम)

एसडीआई स्कीम का शुभारंभ मई 2007 में किया गया था, जिसका उद्देश्य देश भर में स्थिति व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वीटीपी) के नेटवर्क के जरिए उद्योग के लिए कुशल जन शक्ति तैयार करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना था। 11वीं पंच वर्षीय योजना अवधि (2007-12) में अनुमोदित 500 करोड़ रू के विरूद्ध 407 करोड़ रू की राशि खर्च की गई थी और 13.67 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था अथवा स्कीम के अंतर्गत उनकी सीधे परीक्षा ली गई थी। यह स्कीम 12वीं पंच वर्षीय योजना अवधि तक कुछ परिवर्तनों सहित जारी रही और 12वीं योजना के लिए स्कीम हेतु 2,000 करोड़ रू का परिव्यय रखा गया था तथा इस अवधि के दौरान अनुमानित 25 लाख व्यक्तियों को कुशल बनाना और उन्हें प्रमाणित किया जाना था। वर्तमान में एसडीआई स्कीम की अधिकांश गतिविधियों को वेब पोर्टल के जरिए निष्पादित किया जाता है। वर्तमान में स्कीम के अंतर्गत 70 सेक्टरों में 629 मॉड्यूलों को तैयार किया गया। इनमें 129 मॉड्यूल एनएसक्यूएफ के अनुसार हैं और शेष में इसके संरेखण की प्रक्रिया चल रही है।

5.6.1 **एसडीआई स्कीम के अंतर्गत वीटीपी और मूल्यांकन निकायों (एबी) को क्रमश:** प्रशिक्षण लागत और मूल्यांकन लागत तथा प्रशासनिक खर्चों की प्रतिपूर्ति के रूप में डीजीटी द्वारा खर्चे पूरा के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उपलब्ध कराई गई थीं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्त-वर्ष 2016-17 में प्रतिपूर्ति के लिए एसडीआई स्कीम को कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई थी। अत: अधिकांश राज्यों में कोई प्रशिक्षण चलाया गया था। तथापि, राज्य और केंद्र सरकार की भिन्न-भिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों का सीधा उम्मीदवार मूल्यांकन (डीसीए) अभी भी किया जा रहा है और एसडीआई स्कीम के नए पोर्टल के जरिए निष्पादन किया जा रहा है। इस डीसीए विकल्प के अंतर्गत पूर्व अनुभव वाले व्यक्ति, एसडीआई स्कीम के अंतर्गत मूल्यांकन निकाय (एबी)

के रूप में पैनलीकृत परीक्षण केंद्रों पर किए जाने वाले मूल्यांकन के लिए नामांकन करवा सकते हैं और उनके समक्ष उपस्थित हो सकते हैं तथा जिस मॉड्यूल में उनका मूल्यांकन किया जा रहा है, उस मॉड्यूल के अनुसार उनकी सक्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। अब तक वित्त-वर्ष 2016-17 में 5,03,007 व्यक्तियों का मूल्यांकन सीधे किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए मौजूदा 180 एबी के अलावा, 275 और मूल्यांकन निकायों का पैनल बनाया गया है। वित्त-वर्ष 2015-16 में चलाए गए प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की पूर्व देयताएं 241.50 करोड़ रू है, जिसकी उन्हें प्रतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता है।

5.6.2 एसडीआई के अंतर्गत 'निर्माण कामगारों की पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)' स्कीम के तहत निर्माण सेक्टर में कामगारों का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है और इन पर निगरानी नए वेब पोर्टल के जरिए की जा रही है। अनौपचारिक साधनों के जरिए कामगारों द्वारा अर्जित कौशलों का भी मूल्यांकन पूर्व निर्धारित पैरामीटरों पर किया जाता है और परियोजना स्थाल पर ही कामगारों को कौशल अंतराल प्रशिक्षण दिया जाता है। सफल उम्मीदवारों को एनसीवीटी प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस आरपीएल स्कीम के तहत राजमार्ग निर्माण सेक्टर में कामगारों का प्रशिक्षण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रायल द्वारा हाथ में ली गई परियोजनाओं में) तथा प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई - जी) के अंतर्गत ग्रामीण राजगीरों के लिए भी शुरू किया गया है। इन स्कीमों के लिए प्रशिक्षण और मूल्यांकन खर्च, संबंधित विभागों/मंत्रालयों द्वारा वहन किया जाता है।

5.7 शिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण

5.7.1 पृष्ठभूमि

मानव संसाधन विकास, किसी भी नेशन के औद्योगिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कौशलों का उन्नयन, मानव संसाधन विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। सस्थाओं में केवल प्रशिक्षण प्रदान करना ही कौशल अर्जन के लिए पर्याप्त नहीं है और इसके लिए कार्यस्थल पर प्रशिक्षण देकर इस आवश्यकता को पूरा किया जाना है। शिक्षुता अधिनियम 1961 का अधिनियमन, उद्योग के लिए कुशल जन शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने की बात को ध्यान में रखकर प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योग में उपलब्ध सुविधाओं का पूरी तरह से उपयोग किए जाने के लिए मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया था। प्रारंभ में इस अधिनियम में ट्रेड शिक्षुओं के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण लिया गया था और आगे चलकर 1973, 1986 और 2014 में इसके कार्य क्षेत्र में क्रमश: स्नातकों, तकनीशियनों, तकनीशियनों (व्यावसायिक) और वैकल्पिक ट्रेड शिक्षुओं को लाने के लिए संशोधन किया गया।

5.7.2 उद्देश्य

शिक्षुता अधिनियम 1961 में निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर संशोधन किया गया था:-

- उद्योग में शिक्षुओं के प्रशिक्षण का कार्यक्रम विनियमित करना, ताकि निर्धारित पाठ्यचर्या, प्रशिक्षण की अवधि आदि केंद्रीय शिक्षुता परिषद के निर्धारण के अनुरूप हो सके; और
- उद्योग के लिए कुशल जन शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्योग में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना।

5.7.3 शिक्षुओं की श्रेणियां: शिक्षुओं की पांच श्रेणियां हैं:

- ट्रेड शिक्षु
- स्नातक शिक्षु
- तकनीशियन शिक्षु
- तकनीशिन (व्यावसायिक) शिक्षु
- वैकल्पिक ट्रेड शिक्षु

5.7.4 अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग

- कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशलय (डीजीटी), केंद्र सरकार के विभागों और उपक्रमों में ट्रेड शिक्षुओं के बारे में अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार है। मॉनिटरिंग का कार्य कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और फरीदाबाद में स्थित छ: क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण महानिदेशालयों के जरिए किया जाता है।
- राज्य सरकार के उपक्रमों/विभागों तथा निजी स्थापनाओं में ट्रेड शिक्षुओं के बारे में अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य शिक्षुता सलाहकार जिम्मेदार हैं।

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन शिक्षा विभाग स्नातक, तकनीशिन और तकनीशिन (व्यावसायिक) शिक्षुओं के बारे में अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। मॉनिटरिंग का कार्य कानपुर, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में स्थित चार शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड के जरिए किया जाता है।

5.7.5 **कवरेज**

- जैसा कि अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है, 40 या इससे अधिक की जन शक्ति रखने वाले और आवश्यक प्रशिक्षण अवसंरचना रखने वाले नियोक्ता शिक्षुओं को लगाने के लिए बाध्य होते हैं।
- नियोक्ता अपने स्थापनाओं की कुल जन शक्ति, जिनमें संविदा पर रखे गए स्टाफ भी शामिल हैं, के 2.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बैंड में शिक्षुओं को कार्य पर लगाएंगे।
- 2.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बैंड में कार्य पर लगाए गए कुल शिक्षुओं में स्थापना द्वारा लगाए गए शिक्षुओं की सभी श्रेणियां शामिल हैं।
- स्थापना/नियोक्ता, ऑन द जॉब प्रशिक्षण/अपने कार्यस्थल पर प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उनके पास उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर शिक्षुओं और ट्रेड (ट्रेडों) की श्रेणियां निर्धारित कर सकते हैं।

5.6.7 **ट्रेड शिक्षुओं का प्रशिक्षण**

- शिक्षुओं/उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष है।
- 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कक्षा 8 पास से 12वीं पास के लिए अर्हताएं भिन्न-भिन्न होती हैं।
- प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष और 3 महीने से 2 वर्ष की हो सकती है।
- शिक्षुता प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण घटक होता है और प्रत्येक ट्रेड के लिए निर्धारित पाठ्यचर्या के अनुसार प्रायोगिक प्रशिक्षण होता है।
- जिस ट्रेड में ऑन द जॉब प्रशिक्षण दिया जाना हो, उस ट्रेड के संबंध में बुनियादी प्रशिक्षण में सैद्धांतिक और प्रायोगिक अनुदेश होता है। जिन्होंने किसी आईटीआई में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया हो, उनके लिए यह अनिवार्य है और पीएमकेवीवाई/एमईएस के अंतर्गत उन पाठ्यक्रमों के लिए अनिवार्य है, जिसमें बुनियादी प्रशिक्षण के साथ समतुल्यता प्रदान की गई हो।
- बुनियादी प्रशिक्षण की अवधि शिक्षुता प्रशिक्षण की समग्र अवधि का 1/5वीं से 1/4वीं होती है। शेष अवधि का उपयोग, प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए किया जाएग।
- बुनियादी प्रशिक्षण, बेसिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक सुविधाओं/अवसंरचना रखने वाले उद्योग/नियोक्ता द्वारा स्थापित बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र (बीटीसी) में दिया जा सकता है। ऐसे सभी बीटीसी को बीटीसी के रूप में नाम निर्देशित किए जाने से पहले सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा।
- बुनियादी प्रशिक्षण, सरकारी अथवा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी प्रदान किया जा सकता है, बशर्ते कि इन संस्थानों के पास बुनियादी प्रशिक्षण चलाने के लिए खाली सीटें (समग्र संबद्धता के अंदर) उपलब्ध हों। इसे उद्योग क्लस्टर द्वारा स्थापित/सहायता प्राप्त बीटीसी में भी प्रदान किया जा सकता है।

5.7.7 **वृत्तिका (स्टाइपेंड)**

ट्रेड शिक्षुओं को प्रतिमाह देय वृत्तिका की दरें 22 सितंबर, 2014 की राजपत्र अधिसूचना के द्वादा बढ़ा दी गई हैं। वृत्तिका की न्यूनतम दरें प्रतिमाह निम्न प्रकार हैं, अर्थात:-

प्रथम वर्ष	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित अर्ध-कुशल कामगारों की 70 प्रतिशत न्यूनतम मजदूरी
द्वितीय वर्ष	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित अर्ध-कुशल कामगारों की 80 प्रतिशत न्यूनतम मजदूरी
तृतीय और चतुर्थ वर्ष	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित अर्ध-कुशल कामगारों की 90 प्रतिशत न्यूनतम मजदूरी

5.7.8 **स्नातक, तकनीशियन और तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षुओं का प्रशिक्षण**

- स्नातक और तकनीशियन शिक्षुओं की श्रेणी के लिए 163 विषय फिल्ड का नाम निर्देशन किया गया है।
- तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षुओं की श्रेणी के लिए 137 विषय फिल्ड का नाम निर्देशन किया गया है।
- इन श्रेणियों के लिए उत्तर योग्यता प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष की है।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षुता सलाहकार और संबंधित स्थापना के बीच संयुक्त परामर्श से तैयार किया जाता है।
- प्रशिक्षण पूरा होने पर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं

5.8 राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस)

शिक्षुता, मौजूदा उत्पादन स्थापनाओं में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का इस्तेमान करके उद्योग के लिए कुशल जन शक्ति तैयार करने का सर्वाधिक सक्षम तरीका है। एनएपीएस का शुभारंभ, शिक्षुओं को 2.3 लाख कार्य पर लगाने से 2020 तक संचयी रूप से 50 लाख तक वृद्धि करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया था।

5.8.1 **मुख्य मील पत्थरों के संक्षिप्त क्रम में निम्नलिखित शामिल है:**

व्यय वित्त समिति का अनुमोदन	01.07.2016
मंत्रिमंडल का अनुमोदन	05.07.2016
दिशा-निर्देशों की अधिसूचना	19.09.2016
शुरू किया गया पोर्टल	15.08.2016

5.8.2 **स्कीम में निम्नलिखित शामिल हैं:**

- नियोक्ताओं के साथा सभी शिक्षुओं के लिए प्रति शिक्षु प्रति माह न्यूनतम 1500 रू के अध्यधीन 25 प्रतिशत निर्धारित वृत्तिका की प्रतिपूर्ति।
- फ्रेशर शिक्षुओं के बारे में बुनियादी प्रशिक्षण की लागत की हिस्सेदारी (जो औपचारिक प्रशिक्षण के बिना शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए सीधे आते हैं)

5.8.3 **इस स्कीम के तहत निर्धारित लक्ष्यों में निम्नलिखित शामिल किए गए हैं:**

स्कीम के तहत निर्धारित लक्ष्य 2016-17 में 5 लाख शिक्षु होंगे, 2017-18 में 10 लाख शिक्षु होंगे, 2018-19 में 15 लाख शिक्षु होंगे और 2019-20 में 20 लाख शिक्षु होंगे। फ्रेशल शिक्षुओं की संलग्नता कुल वार्षिक लक्ष्य की 20 प्रतिशत होगी। वित्त-वर्ष 2016-17 के लिए वास्तविक लक्ष्य 2.5 लाख से 3 लाख के बीच हो सकती है।

5.8.4 **स्कीम को सुविधाजनक करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:**

प्रयोक्ता अनुकूल ऑनलाइन पोर्टल (www.apprenticeship.gov.in) तैयार किया गया है, ताकि संपूर्ण शिक्षुता चक्र की प्रक्रिया आसान की जा सके। पोर्टल सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

- स्थापनाओं, उम्मीदवारों और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदाताओं का रजिस्ट्रीकरण।
- स्थापनाएं, अपनी शिक्षुता सीटें/रिक्तियां घोषित कर सकती हैं।
- स्थापनाएं, सेक्टर, ट्रेडों, क्षेत्र आदि से संबंधित उम्मीदवारों को खोज सकती हैं और उनकी सूची बना सकती हैं।
- स्थापनाएं अपनी विवरणियां ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकती हैं और उसके साथ अपने दावों का रिकार्ड कर सकती हैं।
- शिक्षु, स्थापनाओं से ऑनलाइन ऑफर लेटर प्राप्त कर सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं।
- सभी आवश्यक संविदागत दायित्वों की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
- शिक्षुता संविदाओं का समयबद्ध अनुमोदन किया जाएगा।
- अनुपालन और मॉनिटरिंग के लिए केंद्रीयकृत डाटाबेस बनाया जाएगा।
- शिक्षा प्रणाली को ऑनलाइन किया जाएगा, जिसमें हॉल टिकट तैयार करना और जारी किया जाना शामिल है।

5.9 उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम (एवीटीएस)

औद्योगिक कामगारों के लिए कौशलों को उन्नत और अद्यतन करने के लिए पूर्व डीजीई एंड टी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा यूएनडीपी/आईएलओ के सहयोग से 1977 में एवीटीएस को शुरू किया गया था। यह स्कीम डीजीई एंड टी के तहत तत्कालीन 6 उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) और 15 राज्य सरकारों के 16 आईटीआई में शुरू की गई थी।

इस स्कीम के अंतर्गत चुनिंदा कौशल क्षेत्रों में एक से छह सप्ताह की अवधि वाले अल्पकालिक मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों के जरिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। औद्योगिक स्थापनाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप टेलर-मेड पाठ्यक्रम भी ऑफर किए जाते हैं। 3.5 लाख से अधिक औद्योगिक कामगारों/तकनीशियनों ने एटीआई में सितंबर 2007 से प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग किया है। विश्व बैंक से वित्तीय सहायता से अतिरिक्त क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाएं एटीआई में सृजित की गई थी और मौजूदा प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ भी किया गया था।

एटीआई-ईपीआई हैदराबाद की स्थापना 1974 में स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (एसआईडीए), आईएलओ की सहायता से की गई थी और देहरादून में दूसरी एटीआई-ईपीआई की स्थापना, अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों पाठ्यक्रमों का ऑफर करके विशेषकर इलेक्ट्रानिक और प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में, उद्योगों/संगठनों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई है।

5.10 महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.10.1 परिचय और एक दृष्टि

सरकार की विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का हमेशा उद्देश्य भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति के लिए होता है। इस प्रयास में पूर्व डीजीई एंड टी ने देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्य देखने वाली नोडल एजेंसी के नाते विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत महिला उम्मीदवारों तथा महिला अनुदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। डीजीटी के अधीन महिला प्रशिक्षण कक्ष, राज्यों तथा केंद्रीय संस्थानों में महिला आईटीआई को तकनीकी दिशा-निर्देश प्रदान कर रहा है एवं उनकी प्रगति पर निगरानी रख रहा है।

5.10.2 संस्थागत नेटवर्क

केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के अधीन संस्थानों के नेटवर्क की स्थापना महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए की गई हैं, जिसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तरों और आयु समूहों की महिलाओं में रोजगार के अवसरों को उत्प्रेरित करना है।

i. केंद्रीय सेक्टर

- केंद्रीय सेक्टर के अंतर्गत संस्थागत नेटवर्क में 16 केंद्रीय संस्थान अर्थात नोएडा स्थित राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान और 16 क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं, जो केवल महिलाओं के लिए कौशलों में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जिससे उच्च वेतन वाला रोजगार और स्व-रोजगार की संभावनाएं प्रदान करेगा। इस महिला अनुदेशक प्रशिक्षण के अलावा, प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इन संस्थानों में उपलब्ध कराए जाते हैं।
- एनवीटीआई नोएडा में स्थित है और आरवीटीआई बंगलौर, तिरूवनंतपुरम, जयपुर, इलाहबाद, कोलकाता, त्रिपुरा, पानीपत, वडोदरा, इंदौर, मुंबई, शिमला, मोहाली, त्रिची, अगरतल्ला और पटना में स्थित हैं।
- वर्ष 2016-17 में जनवरी 2017 की स्थिति के अनुसार कुल 4436 नियमित सीटों (2936 सीटीएस + 1500 सीआईटीएस) की स्वीकृति एनवीटीआई/आरवीटीआई में दी गई है।
- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं एनवीटीआई/आरवीटीआई में क्रमिक रूप से बढ़ती रही हैं। प्रशिक्षित महिलाओं की वृद्धि नीचे चार्ट एक में देखी जा सकती है:-

चार्ट 6 : प्रशिक्षित महिलाएं

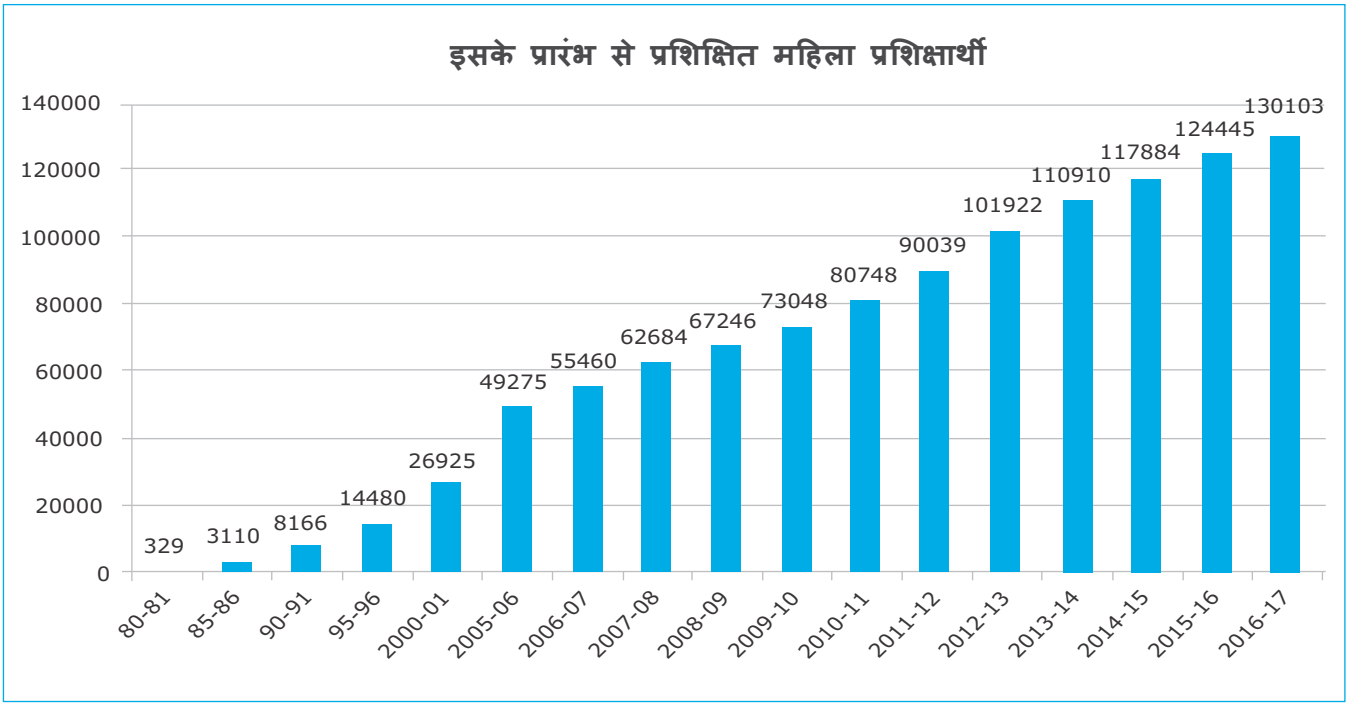

ii. राज्य सेक्टर

- शिल्पकार स्तर (सीटीएस) पर महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं, राज्य सरकारों द्वारा महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (डब्ल्यूआईटीआई) / सामान्य आईटीआई में महिला खंडों के नेटवर्क के जरिए प्रदान की जाती है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार लगभग 405 महिला आईटीआई हैं और सामान्य आईटीआई / आईटीसी में 1003 महिला खंड हैं, जिनमें दिसंबर 2016 की स्थिति के अनुसार कुल 83,270 प्रशिक्षण सीटें हैं। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (डब्ल्यूआईटीआई) / सामान्य आईटीआई में महिला खंडों में एनसीवीटी द्वारा अनुमोदित 67 इंजीनियरी और 60 गैर-इंजीनियरी ट्रेडों में से चुनिंदा ट्रेडों में बुनियादी कौशल पाठ्यक्रम (शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत) में प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाता है।
- शिल्पकार प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक बढ़ाने के लिए एनसीवीटी द्वारा सामान्य आईटीआई में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।

  राष्ट्रीय / क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्वीकृत प्रशिक्षण सीटों (2016-17 सत्र के दौरान) के पाठ्यक्रम-वार ब्यौरे अनुबंध-4 में दिए गए हैं और डब्ल्यूआईटीआई का राज्य-वार बटवारे के ब्यौरे अनुबंध-5 दिए गए हैं।

5.11 आईटीआई के उन्नयन के लिए स्कीमें

प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा आईटीआई की अवसंरचनाओं के आधुनिकरण का कार्य, डीजीटी में एक सतत गतिविधि है। इन गतिविधियों से संबंधित ब्यौरा निम्न प्रकार है:

5.11.1 पाठ्यचर्याओं को अद्यतन करना;

- आईटीआई के जरिए कार्यान्वित ट्रेडों की पाठ्यचर्या को अद्यतन करने के लिए नियमित आधार पर प्रयास किए जाते हैं। नए ट्रेड आरंभ किए जाते हैं और अप्रचलित ट्रेड स्कीम से निकाल दिए जाते हैं। इन गतिविधियों का कार्यान्वयन ट्रेड समितियों की सुस्थापित प्रणाली के जरिए किया जाता है। ट्रेड समितियां पाठ्यचर्या, उपस्कर की आवश्यकता, अवधि, शिक्षण पद्धति, मूल्यांकन प्रणाली और आधुनिक प्रशिक्षण पद्धति के बारे में सुझाव देती हैं, जिनमें दूरस्थ शिक्षा टेक्नोलॉजी से युक्त प्रशिक्षण और अवसंरचना सुधार की पहचान करना आदि शामिल हैं। ट्रेड समितियों में उद्योग, डीजीटी के फिल्ड संस्थानों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं।

- अंग्रेजी बोलना, कम्प्यूटर साक्षरता सहित सॉफ्ट कौशल को सभी कौशल विकास प्रशिक्षणों का अभिन्न भाग बनाया गया है।
- राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) की मंत्रिमंडल सूचना के एनएसक्यूएफ के अनुपालन में सीटीएस के अंतर्गत पाठ्यचर्या को संरेखित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब तक 33 सीटीएस ट्रेडों के पाठ्यचर्या को एनएसक्यूएफ से संरेखित किया जा चुका है।
- आईटीआई के अनुदेशकों को भी पाठ्यचर्या में संशोधन के आधार पर नए क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए डीजीटी, दूरस्थ शिक्षण प्रणाली के जरिए आईटीआई के अनुदेशकों के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुदृढ़ करने के लिए आईटीआई की स्थापना हेतु अवसंरचना का मानकीकरण करने, सिविल मानदंडों (भवन मानदंड) और प्रक्रियागत मानदंडों में सुधार (तीन चरणों में संबद्धता प्रक्रिया) का प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए किया गया है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए, कि आईटीआई की अवसंरचना का उन्नयन किया गया है और नए उपस्कर और मशीनरी लगाई गई है। नए आईटीआई की संबद्धता केवल पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाती है।

5.11.2 आईटीआई की अवसंरचना का उन्नयन और आधुनिकीकरण

आईटीआई की अवसंरचना का आधुनिकीकरण निम्नलिखित स्कीमों के जरिए आईटीआई का उन्नयन करके किया गया है:

क. 400 सरकारी आईटीआई का उन्नयन- बाहरी सहायता प्राप्त योजना (ईएपी) - विश्व बैंक से सहायता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी):

व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना (वीटीआईपी) में 400 सरकारी आईटीआई के उन्नयन की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना में 34 राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र भाग ले रहे हैं। औद्योगिक सेक्टर के आधार पर उन्नयन के लिए लगभग 2 से 3.5 करोड़ रू आईटीआई को आवंटित किए गए है। स्कीम के उद्देश्य में आईटीआई अनुदेशकों के ज्ञान और कौशल में विस्तार करना, 14 केंद्रीय संस्थानों में सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करना, पाठ्यचर्या विकास, क्षमता निर्माण का सुदृढ़ीकरण करना आदि भी शामिल हैं।

परियोजना के अंतर्गत शुरू किए गए मुख्य संस्थागत सुधार, आईटीआई स्तर पर संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) का गठन किया जाना है, जिसका अध्यक्ष उद्योग की तरफ से होगा। आईएमसी में उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा सभी प्रमुख ट्रेडों को कवर किया जाएगा। आईएमसी को दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए उसे सशक्त किया जाएगा। इसके वास्तविक घटकों में नए क्लास रूम की स्थापना करना और कार्यशालाएं, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, उपकरणों, उपस्करों, मशीनरी का आधुनिकीकरण तथा अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

यह परियोजना दिसंबर 2007 में शुरू की गई और इसकी विस्तारित समापन तारीख सितंबर 2018 है। अब तक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तथा केंद्रीय रूप से वित्त-पोषित संस्थानों को 1792 करोड़ रू जारी किए जा चुके हैं, जिसके विरूद्ध अक्तूबर 2016 तक लगभग 1708 करोड़ रू का उपयोग किया गया है।

ख. पीपीपी के जरिए 1396 सरकारी आईटीआई का उन्नयन

पीपीपी के जरिए 1396 सरकारी आईटीआई का उन्नयन स्कीम के अंतर्गत 1227 सरकारी आईटीआई लिए गए हैं और एक उद्योग भागीदार (आईपी), स्कीम के अंतर्गत लिए गए प्रत्येक आईटीआई के साथ जुड़ा हुआ है। प्रति आईटीआई 2.50 करोड़ रू का ब्याज रहित ऋण केंद्रीय सरकार द्वारा आईटीआई आईएमसी सोसाइटी को सीधे जारी किए गए हैं। वित्तीय और शैक्षिक स्वायत्तता आईएमसी सोसाइटी को दी गई है। ब्याज रहित ऋण आईएमसी द्वारा 10 वर्ष के ऋण स्थगन पर देय होगा और उसके बाद समान वार्षिक किस्तों में 20 वर्ष की अवधि में देय होगा। स्कीम के अंतर्गत 31 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को लिया गया है और 11वीं योजना अवधि के दौरान देश भर में 1227 सरकारी आईटीआई को 3067.50 करोड़ रू जारी किए गए हैं।

ग. सरकारी आईटीआई का मॉडल आईटीआई में उन्नयन

स्कीम के अंतर्गत किसी राज्य में मौजूदा आईटीआई को मॉडल आईटीआई में उन्नत किया जा रहा है, जो सर्वोत्तम प्रथाओं, सक्षम और उच्च गुणवत्ता की प्रशिक्षण डिलीवरी तथा सतत और प्रभावी उद्योग संबंध प्रदर्शित करने वाले संस्थान के रूप में निम्नलिखित रूप में विकसित किया जाएगा:

- प्रशिक्षण में अपनी विशेषज्ञता और सर्वोत्तम निष्पादन के रूप में स्थानीय उद्योग के रूप में मांग केंद्र बनकर।
- स्थानीय उद्योगों के साथ बेहतर संलग्नता करके
- उद्योग की विशिष्ट कौशल आवश्यकताओं पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु उद्योग के साथ फ्लैक्सी एमओयू पर हस्ताक्षर करके। ऐसे अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा/मूल्यांकन और प्रमाणन एनसीवीटी द्वारा किया जाएगा।
- असंगठित सेक्टर के कामगारों को प्रशिक्षण देकर
- मौजूदा औद्योगिक कार्यबल को प्रशिक्षण देकर

इस स्कीम का अनुमोदन दिसंबर 2014 में 300 करोड़ रू की कुल लागत से किया गया था। स्कीम की कार्यान्वयन अवधि 3 वर्ष की है अर्थात वित्त-वर्ष 2016-17 तक। अब तक परियोजना के अंतर्गत 24 राज्यों से 25 आईटीआई की पहचान की गई है और 78.87 करोड़ रू की धनराशि जारी की गई है, जिनमें राज्य का शेयर भी शामिल है।

5.12 फ्लैक्सी एमओयू

प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, जो पूर्व डीजीई एंड टी और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का भाग था, ने उद्योगों को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार उच्च रोजगार की संभावनाओं वाले पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए विभिन्न स्कीमों का लाभ उठाने के लिए अनुमति प्रदान की है। शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत

अब तक संगठनों के साथ 18 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनकी सूची नीचे दी गई है:

क्र.सं.	वे संगठन जिनके साथ फ्लैक्सी - एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं
1.	फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड
2.	गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड (जीआईपीसीएल)
3.	लेबर नेट प्रबंधित सेवाएं (लेबर नेट)
4.	स्टिर (रेमंड द्वारा कुशल सिलाई संस्थान)
5.	कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
6.	मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड
7.	टाटा समूह
8.	परिधान प्रशिक्षण एंड डिजाइन सेंटर (एटीडीसी)
9.	इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड
10.	भारत - जर्मन टूल रूम
11.	रेमंड लिमिटेड
12.	यशस्वी कौशल अकादमी
13.	ट्राइडेंट लिमिटेड
14.	सेंचुरियन प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय
15.	जेएन टाटा व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान
16.	ड्राइविंग कौशल एवं अनुसंधान संस्थान (डीएसआईआर)
17.	औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल राज्य तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास परिषद
18.	डी एस कुलकर्णी डेवलपर्स लिमिटेड

दरवाजे खोल दिए गए हैं, ताकि युवाओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार के लिए उद्योगों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाए। प्रशिक्षण महानिदेशालय और उद्योग/नियोक्ता अथवा कोई पात्र संगठन के बीच इस अवसर का लाभ उठाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पाठ्यक्रम, उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उच्च संभावनाओं वाले क्षेत्रों में उपलब्ध हैं।

5.13 ट्रेड परीक्षा

- डीजीटी द्वारा अपनी विभिन्न स्कीमों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) के तत्वाधान में अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षण (एआईटीटी) चलाया जाता है।
- शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के लिए एआईटीटी, 20 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए वर्ष में दो बार चलाया जाता है। एनसीवीटी से संबद्धता ट्रेडों / यूनिटों के प्रशिक्षार्थी और पात्र निजी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। अगस्त 2014 से एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल के जरिए प्रवेश, हॉल टिकट बनाने और परिणाम की घोषणा का कार्य किया जाता है।
- सीटीएस स्कीम के लिए ऑनलाइन परीक्षा मध्य प्रदेश में पाइलेट परियोजना के रूप में वर्ष 2016 से प्रणाली को तेज बनाने और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए शुरू की गई है।
- फ्लैक्सी एमओयू के अंतर्गत परीक्षाएं मांग के अनुसार चलाई जाती हैं।
- सीटीएस के एआईटीटी के सफल उम्मीदवारों को राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र (एटीसी) प्रदान किया जाता है।
- राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र को केंद्र / राज्य सरकार / निजी स्थापनाओं में संगत पदों और सेवाओं में भर्ती के लिए मान्यता प्रदान की गई है।
- प्रणाली को तेज बनाने तथा प्रमाण पत्रों के लंबित कार्य से छुटकारा पाने के लिए ई-प्रमाण पत्र शुरू किया गया है। अब अंक पत्र / एनटीसी, एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल के जरिए जारी किए जाते हैं।

5.13.1 **2016 में एनसीवीटी के तत्वाधान में भिन्न-भिन्न चलाई गई ट्रेड परीक्षाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:**

तालिका 14 : 2016 में ट्रेड परीक्षा

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वर्ष 2016	
		ट्रेड	परीक्षा
1.	शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षा (पारंपरिक, सेमेस्टर और मेंटर परिषद)	112	3
2.	शिक्षुता अधिनियम 1961 (एटीएस) के अंतर्गत शिक्षुओं की अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षा	154	1
3.	शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण स्कीम (सीआईटीएस) की अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षा - मॉड्यूलर पैटर्न, इंजीनियरी और गैर-इंजीनियरी तथा डब्ल्यूटी के लिए नया	29	4
4.	पुनर्संरचित पैटर्न स्कीम (आरपी) के अंतर्गत शिल्पकार की अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षा	22	1
5.	''उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)'' स्कीम के अंतर्गत अखिल भारतीय ट्रेड परीक्षा	21	2
6.	क्षेत्रीय शिक्षुता प्रतियोगिता (आरसीए)	15	2
7.	अखिल भारतीय शिक्षुता प्रतियोगिता (एआईसीए)	15	2
8.	अखिल भारतीय शिल्पकार कौशल प्रतियोगिता (एआईएससीसी)	14	1

5.14 पूर्वोत्तर और एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में पहल

5.14.1 **'वाम पक्ष उग्रवाद से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास'**

इस स्कीम में वाम पक्ष उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिलों के लोगों के निकट कौशल विकास अवसंरचना के सृजन की परिकल्पना की गई है। जैसा कि गृह मंत्रालय ने सलाह दी है, 13 नए एलडब्ल्यूई जिले जुड़े हैं और संशोधित स्कीम में अब 10 राज्यों के 47 एलडब्ल्यूई जिले लिए गए हैं। स्कीम के अंतर्गत लिए गए राज्यों और जिलों के ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं। स्कीम की संशोधित लागत 407.85 करोड़ रू है और इसके कार्यान्वयन की अवधि 31 मार्च, 2019 तक है।

संशोधित स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ 47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) (प्रति जिला एक आईटीआई) के लिए अवसंरचना का सृजन किए जाने की परिकल्पना की गई है। कौशल विकास केंद्रों (एसडीसी), जो पूर्व संशोधित स्कीम के भाग थे, को सहायता दी जाएगी, जहां निर्माण गतिविधियां शुरू हुई हैं। अब तक स्कीम के अंतर्गत 9 राज्यों को 123.63 करोड़ रू की केंद्रीय हिस्सेदारी जारी की गई है।

तालिका 15 : "वाम पक्ष उग्रवाद से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास" के अंतर्गत जिलों के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	पहले लिए गए जिले		अतिरिक्त जिले लिए गए	
			नाम	संख्या	नाम	संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1	-	0	विशाखापत्तनम	1
2	तेलंगाना	1	खम्मम	1		0
3	बिहार	9	जमुई, गया, औरंगाबाद, रोहतास, जहानाबाद, अरवल	6	मुजफ्फरपुर, बांका और नवादा	3
4	छत्तीसगढ़	9	दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, सरगुजा, राजनांदगांव, बीजापुर, नारायणपुर	7	सुकमा और कोंडागांव	2
5	झारखंड	16	चतरा, पश्चिम सिंहभूम, पलामू, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, हजारीबाग	10	गिरडी, खूंटी, रांची, दुमका, रामगढ़ और सिमडेगा	6
6	मध्य प्रदेश	1	बालाघाट	1		0
7	महाराष्ट्र	2	गढ़चिरोली और गोंदिया	2		0
8	उड़ीसा	6	गजपति, मलकानगिरी, रायगढ़, देवगढ़, संबलपुर	5	कोरापुट	1
9	उत्तर प्रदेश	1	सोनभद्र	1		0
10	पश्चिम बंगाल	1	पश्चिम मिदनापुर (लालगढ़ क्षेत्र)	1		
	कुल	**47**		**34**		**13**

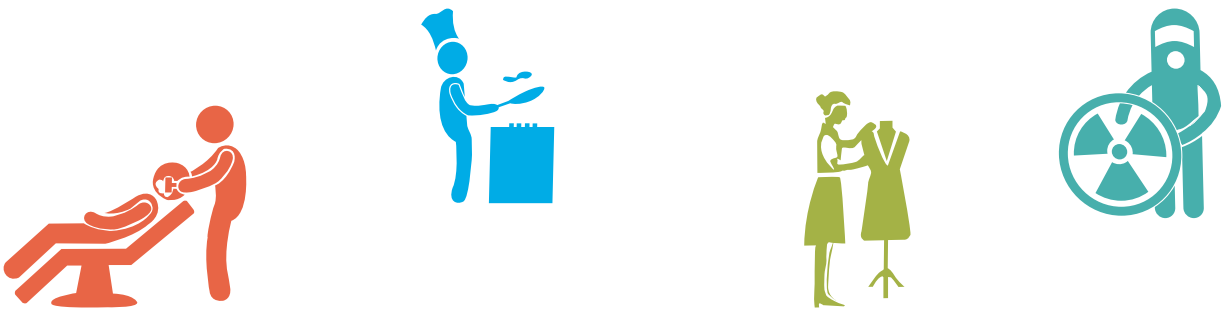

5.14.2 **पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में कौशल विकास अवसंरचना में विस्तार करना**

इस स्कीम में पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास की मौजूदा अवसंरचना में विस्तार किए जाने की परिकल्पना है। स्कीम का उद्देश्य निम्नलिखित है:

- प्रति आईटीआई 3 नए ट्रेड शुरू करके 20 आईटीआई का उन्नयन;
- नया हॉस्टल, बांउडरी वॉल निर्मित करके 28 आईटीआई में अवसंरचनागत कमियों को दूर करके सहायता करना और पुराने तथा अप्रचलित औजारों और उपस्करों के स्थान पर नया उपलब्ध कराना;
- 8 पूर्वोत्तर राज्यों में 22 नए आईटीआई की स्थापना करना;

स्कीम की कुल लागत 298.13 करोड़ रू है। स्कीम की अवधि 31 मार्च, 2017 तक है। अब तक केंद्रीय भाग के रूप में 131.88 करोड़ रू असम, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे 8 राज्यों को जारी किए गए हैं।

5.15 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के लिए अंतरिक्ष आधारित दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम (एसडीएलपी)

5.15.1 **पृष्ठभूमि**

एमएसडीई का महत्वाकांक्षी लक्ष्य समुचित कौशलयुक्त बड़े पैमाने पर कार्यबल सृजित करने के लिए देश में कौशल विकास की वृद्धि करना है, क्योंकि कुशल कार्यबल की मांग और आपूर्ति के बीच बहुत विषमता है। देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं में गत कुछ वर्षों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। लगभग 2200 सरकारी और 10,800 निजी आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) हैं, जोकि देश में सबसे बड़ी व्यावसायिक प्रशिक्षण संरचना है। अत: इन संस्थाओं को संपोषित करने की स्पष्ट आवश्यकता है, ताकि वे प्रशिक्षार्थियों को संबद्ध सुलभ रोजगार कौशल प्रदान करने के लिए सुदृढ़ किए जा सकें। एमएसडीई की योजना है कि देश में उन सभी आईटीआई के लिए दूरस्थ शिक्षण उपलब्ध कराया जा सके, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले लगभग 14 लाख छात्रों को लाभ प्रदान करने की संभावनाएं हों।

आईटीआई के शिक्षा और प्रशिक्षण के जरिए क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एमएसडीई, वर्तमान में 193 नोडों (स्पोक्स) और 10 एटीआई (उन्नत प्रशिक्षण संस्थान) के लिए डीएलपी (दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम) चला रहा है, जिन्हें स्थलीय संचार नेटवर्क के जरिए जुड़ हब के रूप में जाना जाता है। बड़े पैमाने पर कवरेज के लिए यह योजना बनाई गई है कि देश भर में फैले हजारों आईटीआई, जिनमें सुदूर और कठिन क्षेत्र भी शामिल हैं, तक पहुंच बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए।

कुशल भारत प्रतियोगिता 2016 में ऑटो बॉडी रिपेयर का प्रदर्शन

5.15.2 **संकल्पना**

एमएसडीई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि प्रशिक्षण प्रदान करने और देश मे फैले अनेक आईटीआई से संपर्क करने के लिए सटकॉम आधारित नेटवर्क की स्थापना करके दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम (डीएलपी) की पहुंच में वृद्धि की जाए।

प्रस्तावित सटकॉम नेटवर्क हब की स्थापना, अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान (निमी), चेन्नई में की जानी है। प्रारंभ में नेटवर्क का कंफीगर, 9.1 एम कू-बैंड हब, स्टूडियों/टीचिंग इंड तथा एक इंटरएक्टिव और एक ब्रॉडकास्ट चैनल का इस्तेमाल करके किया जाएगा। कार्यक्रम को इंटरैक्टिव और ब्रॉडकास्ट चैनल दोनों पर संचरित किया जाएगा, ताकि इस नेटवर्क के तहत लगाए गए सभी टर्मिनल वही कार्यक्रम रिसीव करेंगे। लगभग 10 से 20 उन्नत प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई) हैं, जिन्हें रोटेटिंग टीचिंग इंड / स्टूडियों के रूप में निमी, चेन्नई स्थित कू-बैंड हब से जोड़े जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए एटीआई से हब में सृजित किए गए कार्यक्रम/विषय लाने के लिए फाइबर ऑप्टिक/लीज्ड लाइन (बीएसएनएल, एमटीएनएल, आरआईएल टेल, एनकेएन आदि जैसे किसी सेवा प्रदाता से) के जरिए इन एटीआई को कनेक्ट करने की आवश्यकता है।

5.15.3 **इंटरैक्टिव चैनल:**

जहां कही इंटरैक्टिविटी आवश्यक हो, यह प्रस्ताव किया जाता है कि हब से वीएसएटी संपर्क (सेटेलाइट इंटरैक्टिव टर्मिनल - एसआईटी) उस एटीआई / आईटीआई विशेष को उपलब्ध कराया जाए। ये एसआईटी, कू-बैंड (1.2 एम) में होंगे और टीचिंग इन / स्टूडियों के साथ दृश्य एवं श्रव्य इंटरैक्शन करने में समर्थ होंगे।

5.15.4 **नॉन-इंटरैक्टिव/ब्रॉडकास्ट चैनल:**

जहां कही इंटरैक्टिविटी आवश्यक न हो, यह प्रस्ताव किया जाता है कि रिसीव ओनली टर्मिलन (आरओटी) अथवा आईपी-आरओटी उपलब्ध कराया जाए, जिसे संबंधित साइटों पर सेटेलाइट पर अलग डीटीएच बीडब्ल्यू की आवश्यकता न हो। ये आरओटी कू-बैंड में होंगे (0.9 एम/1.2 एम) और टीचिंग इन / स्टूडियों से संचरित कार्यक्रम रिसीव करने में ही समर्थ होंगे (डायरेक्ट टू होम - डीटीएच रिसेप्शन के समान)।

वर्तमान में एमएसडीई की योजना है कि देश भर में फैले 1000 आईटीआई पर कुल 100 एसआईटी (15 एटीआई, 01 एनवीटीआई, 15 आरवीटीआई, 16 आईटीओटी और 52 प्रमुख राज्य सरकारी आईटीआई) और आरओटी लगाया जाए।

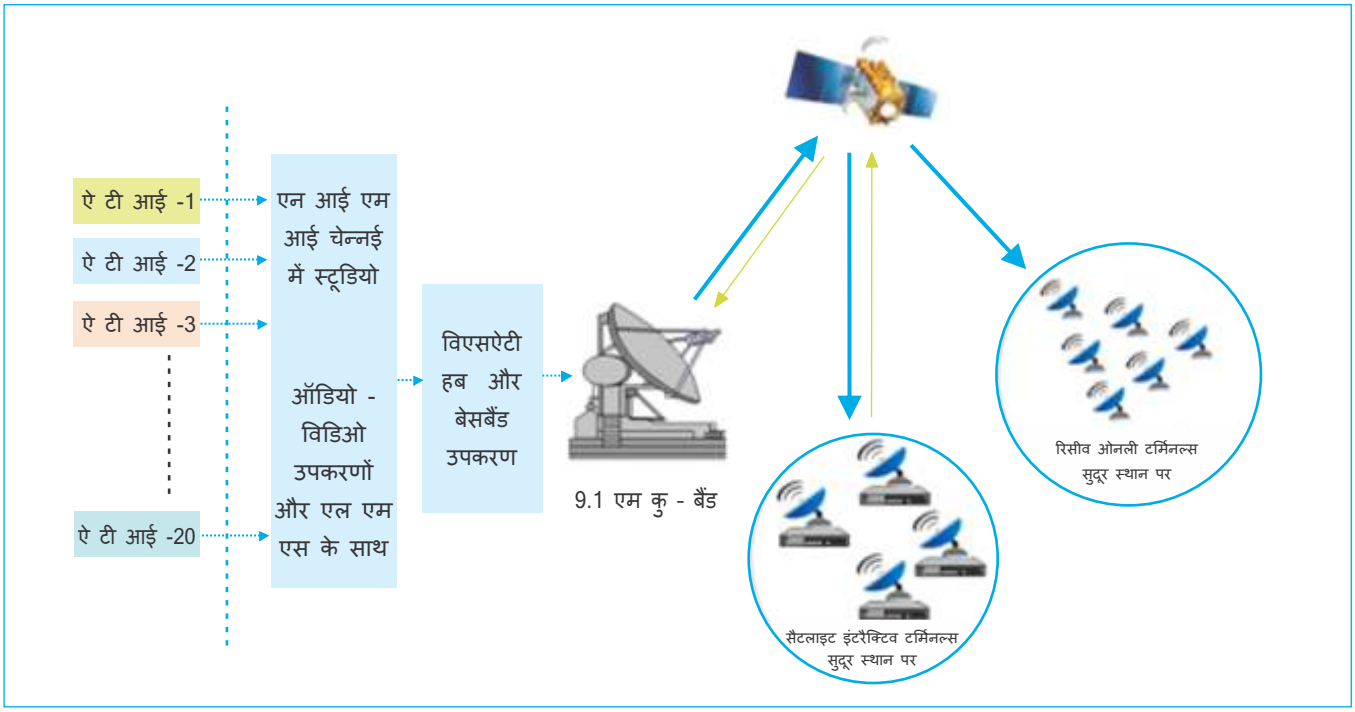

5.15.5 **नेटवर्क कंफ्यूगरेशन**

नेटवर्क में तीन तत्व हैं: (1) नेटवर्क हब (2) टीचिंग इंड / स्टूडियो (3) सेटेलाइट इंटरैक्टिव टर्मिनल (एसआईटी) और (4) रिसीव ओनली टर्मिनल (आरओटी-डीटीएच टाइप) और/अथवा (5) आईपी-आरओटी। निमी, चेन्नई स्थित स्टूडियो नेटवर्क के लिए मुख्य टीचिंग केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है। यदि प्रशिक्षण किसी भी एटीआई से चलाना हो, तो उन एटीआई (रोटेटिंग टीचिंग इंड/स्टूडियो) को एटीआई से सृजित कार्यक्रम/विषय-वस्तु हब में लाने के लिए लीज्ड लाइन से (बीएसएनएल, एमटीएनएल, रेलटेल, एनकेएन आदि) जैसे किसी भी सेवा प्रदाता से चेन्नई स्थित हब से कनेक्ट किया जाएगा।

इंटरैक्टिक नेटवर्क को स्टार स्थान विज्ञान में कंफ्युगर किया जाएगा। हब से संचार सभी एसआईटी द्वारा नेटवर्क में रिसीव (आउटबाउंड) किया जाएगा। आईटीआई में लगाए गए एसआईटी से इंटरैक्टशन, इनबाउंड केरिअर से होगा। टीचिंग/प्रशिक्षण, शिक्षण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) का इस्तेमाल करके संविरचित रूप में होगा। स्टूडियो में टीचर सामान्यत: एक समय में एक आईटीआई से इंटरैक्ट करेगा। तथापि, यह इंटरैक्टशन नेटवर्क में लगाए गए सभी आईटीआई (एसआईटी टर्मिनल) द्वारा देखा और सुना जाएगा। संपूर्ण नेटवर्क, नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली द्वारा तकनीकी रूप से प्रबंधित है। लगभग 10 केवीए ऑनलाइन यूपीएस, हब को अवाधित सप्लाई सुनिश्चित करता है।

5.16 व्यावसायिक अर्हता की शैक्षित संतुल्यता

प्रशिक्षण महानिदेशालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) ने व्यावसायिक/आईटीआई अर्हता के शैक्षिक समकक्ष के लिए एक प्रणाली लाने हेतु 14 जुलाई, 2016 को एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे आईटीआई प्रणाली के उन उम्मीदवारों की आकांक्षाओं को पूरा करने का विकल्प मिलता है, जो अपने कौशल के अतिरिक्त उच्च शैक्षिक अर्हता प्राप्त करना चाहते हैं।

5.16.1 एमओयू से माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक अर्हता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय ट्रेड प्रामण पत्र (एनटीसी) धारण करने वालों का मार्ग प्रशस्त होगा। एमओयू के तहत निम्नलिखित प्रबंध किए गए हैं:

- एनआईओएस, आईटीआई उत्तीर्ण/एनएसक्यूएफ अनुपालक ट्रेडों में आईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उम्मीदवारों का नामांकन करेगा।
- 8वीं कक्षा उत्तीर्ण और 2 वर्षीय आईटीआई पाठ्यक्रम करने वालों पर माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के लिए विचार किया जाएगा। इसी प्रकार 10वीं कक्षा उत्तीर्ण और 2 वर्षीय आईटीआई पाठ्यक्रम करने वालों पर उच्चतम माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के लिए विचार किया जाएगा।
- माध्यमिक पाठ्यक्रम वालों के लिए शिक्षार्थियों को एनआईओएस द्वारा ऑफर किए गए शैक्षिक विषयों को लेना होगा, जिनमें माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नियोजनीयता कौशल और उद्यमशीलता संबंधी पाठ्यक्रम शामिल हैं।
- कुल क्रेडिट का 60 प्रतिशत, आईटीआई (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के समकक्ष) से अंतरित किया जाएगा और 40 प्रतिशत शिक्षार्थी द्वारा एनआईओएस से प्राप्त किया जाएगा।
- शिक्षार्थी, वर्ष में दो बार आयोजित होने वाली एनआईओएस की लोक परीक्षा अथवा क्षेत्रीय केंद्रों में मांग होने पर परीक्षा में बैठेंगे।

5.16.2 डीजीटी 15 केंद्रीय फिल्ड संस्थानों को शैक्षिक और कौशल विकास के लिए विशेष प्रत्यायित संस्थान (एसएआईएएसडी) के रूप में एनआईओएस को रजिस्ट्रीकृत किया गया है, ताकि उपर्युक्त व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए वे शिक्षार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया और एनआईओएस की परीक्षा में उनकी भागीदारी में सहायता कर सकें। विशेषकर आईटीआई शिक्षार्थियों की प्रथम परीक्षा 10 से 11 दिसंबर, 2016 तक सफलतापूर्वक चलाई गई थी और 949 शिक्षार्थी परीक्षा में बैठें।

5.17 अनुमोदित और स्वीकृत नए संस्थान

- कौशल विकास के लिए पीपीपी मोड में 27 एटीआई, 8 नए आरवीटीआई, 3 नए आरडीएटी और केंद्रीय वित्त-पोषित राष्ट्रीय संस्थान की भी योजना बनाई गई है। इसमें डीजीटी के अधीन केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण और उन्नयन किया जाना भी शामिल है।
- 4 एटीआई को राष्ट्रीय कौशल संस्थान (आईआईएस) में उन्नत किया जाएगा।

5.18 राष्ट्रीय कौशल संस्थान (आईआईएस)

उच्च कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की तत्काल आवश्यकता है, जिससे प्रशिक्षार्थी, वर्तमान औद्योगिक आवश्यकताओं के प्रसंग में अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में समर्थ होंगे। ये प्रशिक्षण केंद्र, आईटीआई के आगे भी कौशल पिरामिड उपलब्ध कराएंगें।

आईटीआई, बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को बुनियादी तकनीकी/व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाता है। आईआईएस में प्रशिक्षण, प्रशिक्षार्थियों को ऐसा अवसर उपलब्ध कराएगा कि वे सीएनसी मशीनिंग, ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी, वेल्डिंग, प्लंबिंग, निर्माण आदि जैसे विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में अपने कौशल को अधिक धारदार बनाएंगे। इन केंद्रों में प्रशिक्षण में पर्याप्त रूप से प्रायोगिक जानकारी और विशेषज्ञता का उच्च अनुपात होगा। प्रशिक्षण अवधि का एक चौथाई भाग, औद्योगिक संलग्नता के रूप में होगा।

भवन और उपस्कर सहित समग्र अवसंरचना विश्व में सर्वोत्तम व्यवस्था से मेल खाएगी। वे छात्र के अनुपात में बहुत अनुकूल मशीनें रखेंगे। प्रारंभिक तौर पर कानपुर, मुंबई, भुवनेश्वर और चेन्नई में उन्नत प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई) के कैम्पस के अंदर ऐसे चार केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

ऐसे पहले संस्थान की नीव कानपुर में रखी गई है। अत्याधुनिक नई प्रशिक्षण सुविधाएं सृजित की जाएंगी। सभी उपस्कर और मशीनरी का अंतर्राष्ट्रीय मानकों से बैंचमार्क किया जाएगा। यह निम्नलिखित उन्नत डिप्लोमा कार्यक्रम ऑफर करेगा।

1.	मिलिंग	6.	एडीटिव टेकोलॉजी
2.	टर्निंग	7.	मेकॉन्ट्रानिक्स
3.	सीएनसी मिलिंग	8.	इलेक्ट्रानिक्स (औद्योगिक, उपभोक्ता, मेडिकल)
4.	सीएनसी टर्निंग	9.	प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर (पीएलसी)
5.	आधुनिक वेल्डिंग	10.	ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी

ये पाठ्यक्रम, एनएसक्यूएफ अनुपालक (स्तर 5) होंगे और इन पाठ्यक्रमों में कोर कौशल में प्रशिक्षण, वैकल्पिक विषय और उद्योग में प्रशिक्षण होगा। कई वैकल्पिक विषय तैयार किए जाएगें, जिससे प्रशिक्षार्थियों को बड़े पैमाने पर विकल्प प्राप्त होगा। एक वैकल्पिक विषय शिक्षण पर होगा, जिससे प्रशिक्षार्थी, अनुदेशक बन सकेंगे। प्रशिक्षार्थी उद्योग में छह महीने बिताएंगे (ऑन द जॉब ट्रेनिंग), जिससे उन्हें मूल्यवान प्रायोगिक अनुभव प्राप्त होगा।

इन संस्थानों में प्रस्तावित उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्रशिक्षार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए शैक्षिक संतुल्यता उपलब्ध होगी। व्यावसायिक सेक्टर में उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम, स्पष्ट केरिअर मार्ग परिभाषित करेंगे और इससे सेक्टरीय विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे।

5.19 दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली

दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली, उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च नियोजनीयता वाले पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) (सरकारी और निजी) के साथ भागीदारी करने में उद्योगों को समर्थ बनाएगी। सुरक्षा और औजार, उपस्कर तथा फाउंडेशन प्रायोगिक के बारे में सैद्धांतिक पक्ष और बुनियादी पाठ्यक्रम आईटीआई चलाया जाएगा। पाठ्यचर्या के प्रायोगिक/लैब प्रशिक्षण भाग के संबंध में औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के लिए प्रशिक्षार्थियों को उद्योग में प्रशिक्षित किया जाएगा।

5.19.1 दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली आवश्यकता

- दोहरी प्रणाली में उद्योग में प्रायोगिक प्रशिक्षण और आईटीआई में सैद्धांतिक प्रशिक्षण दोनों मिश्रित होता है, जिससे बेहतर आईटीआई - उद्योग संपर्क प्राप्त होता है।
- छात्रों के लिए उद्योग में यथा उपलब्ध नवीनतम/अद्यतन प्रौद्योगिकी से संबंधित बेहतर अनुभव।

5.19.2 **एमओयू:** दोहरी प्रणाली के अंतर्गत प्रशिक्षार्थी को प्रवेश दिए जाने से पहले किसी आईटीआई (सरकारी और निजी) और उद्योग भागीदार के बीच संबंधित राज्य सरकार को सूचना देते हुए एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उद्योग भागीदार को एमएसएमई और इससे ऊपर रजिस्ट्रीकृत होना होगा।

5.19.3 **डिलीवरी संरचना**

- दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए यह उम्मीद की जाती है कि नौ महीने का प्रशिक्षण उद्योग में दिया जाएगा और शेष अवधि का प्रशिक्षण आईटीआई में दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के आखिरी तीन महीने अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण पूरा करने के लिए आईटीआई में होंगे। इस अवधि का इस्तेमाल छात्रों का मूल्यांकन करने और अंतिम रूप में उनकी परीक्षा लिए जाने के लिए भी किया जाएगा।
- इसी प्रकार एक वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए यह उम्मीद की जाती है कि पांच महीने का प्रशिक्षण उद्योग में दिया जाएगा और शेष अवधि का प्रशिक्षण आईटीआई में दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के आखिरी दो महीने अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण पूरा करने के लिए आईटीआई में होंगे।

5.19.4 **वृत्तिका**

- उद्योग द्वारा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित अर्धकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम 70 प्रतिशत मजदूरी के बराबर वृत्तिका (स्टापेंड) का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि शिक्षुओं के मामले में देय होता है।
- अधिकतम 1500 रू प्रति माह प्रति शिक्षु के अध्याधीन 25 प्रतिशत निर्धारित वृत्तिका की हिस्सेदारी नियोक्ताओं को की जाएगी (राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम के अनुसार)।

5.19.5 **ट्रेड**

वर्तमान में शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कुल 126 ट्रेड चल रहे हैं। इस समय दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली निम्नलिखित 10 लोकप्रिय ट्रेडों के लिए उपलब्ध है:

i. इलेक्ट्रीशियन
ii. फिटर
iii. मशीनिस्ट
iv. टर्नर
v. इलेक्ट्रानिक्स मकेनिक
vi. वेल्डर
vii. मकेनिक डीजल
viii. मकेनिक (मोटर वाहन)
ix. कॉस्मेटोलॉजी
x. टूल एंड डाई मेकर (डाई और मोल्ड)

5.19.6 **अब तक हस्ताक्षरित एमओयू**

दोहरे प्रशिक्षण मोड में पाठ्यक्रम चलाने के लिए भिन्न-भिन्न उद्योग भागीदारों के साथ 15 आईटीआई ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

5.20 आईटीआई की ग्रेडिंग

स्कीम का उद्देश्य विभिन्न संस्थानों में तुलना के लिए और फिस्सडी संस्थानों में पूर्णता और गुणवत्ता में वृद्धि करने के उद्देश्य से ऑफर किए जाने वाले ट्रेडों के लिए बैंचमार्क उपलब्ध कराना है। इससे छात्र और नियोक्ता, आईटीआई में प्रशिक्षण और सुविधा की गुणवत्ता के बारे में चयन करने में समर्थ भी होंगे। डीजीटी के लिए आईटीआई की ग्रेडिंग से समस्यागत क्षेत्रों की पहचान करने और समुचित तंत्र संबंधी हस्तक्षेप तैयार करने के लिए प्रबंधन टूल के रूप में प्रयोजन सिद्ध होगा। इससे डीजीटी को इसकी विभिन्न विकास स्कीमों के अंतर्गत आईटीआई को समुचित रूप से लाभ पहुंचाने में भी मदद होगी।

मध्य प्रदेश आईटीओटी में प्रशिक्षुओ को तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाते हुए

5.20.1 **स्कीम**

- स्व-मूल्यांकन- यह परिभाषित पैरामीटरों के विरूद्ध आईटीआई का स्व-मूल्यांकन करने के लिए सभी आईटीआई के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। यह प्रयोग स्वच्छिक होगा।
- क्राउड सोर्सिंग- प्रशिक्षार्थी, उनके अभिभावक, उद्योग/नियोक्ता और संस्थान के भी अनुदेशक आईटीआई के ऑनलाइन मूल्यांकन में भागीदार होंगे।
- आईटीआई और क्राउड सोर्सिंग द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल्यांकन का संकलन किया जाएगा।
- डीजीटी की आंतरिक समिति उपर्युक्त का मूल्यांकन करेगी।
- बाहरी एजेंसी का आडिटर आईटीआई का दौरा करेगा और वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर आईटीआई का मूल्यांकन करेगा।
- आईटीआई को ग्रेड प्रदान किए जाने के लिए डीजीटी द्वारा अंतिम अनुमोदन।

5.21 भारतीय कौशल विकास सेवाएं

सरकार ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशिक्षण निदेशालय के लिए "भारतीय कौशल विकास सेवा" की स्थापना को अधिसूचित कर दिया है। यह 04 जनवरी, 2017 से लागू है। यह अन्नय और समर्पित समूहकर सेवा है।

निदेशालय विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में लगा हुआ है, जैसे 126 ट्रेडों को लेते हुए शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस), 259 ट्रेडों को कवर करते हुए शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एटीएस) और 578 मॉड्यूलों को कवर करते हुए मॉड्यूलर नियोजनीय कौशल (एमईएस) के लिए कौशल विकास पहल स्कीम (एसडीआईएस), राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) के अंतर्गत परीक्षा चलाना और प्रमाण पत्र प्रदान करना और उन्नत कौशल प्रशिक्षण, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण, स्टॉफ प्रशिक्षण आयोजित करना और संचालित करना तथा देश भर में फैले इसके विभिन्न फिल्ड संस्थानों के जरिए व्यावसायिक अनुसंधान करना।

संगठित समूहकर सेवा की हैसियत और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित भारतीय इंजीनियरी सेवा परीक्षा के जरिए वरिष्ठ स्तर पर इसका इंडक्शन, युवा और प्रतीभाशाली अधिकारियों को आकर्षित करेगा। इस प्रकार भर्ती किए गए इंजीनियरों द्वारा अर्जित ज्ञान से कौशल विकास के लिए तथा स्कीमों के दक्षतापूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन के भी लिए सरकार की पहल को नई प्रेरणा मिलेगी।

इस कैडर में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के तीन पद, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के 28 पद, वरिष्ठ टाइम स्केल में 120 पर और करिष्ठ टाइम स्केल में 112 पर होंगे।

ग. उद्यमशीलता से संबंधित स्कीमें

5.22 प्रधानमंत्री युवा योजना

5.22.1 **परिचय**

इस स्कीम का उद्देश्य शिक्षुता शिक्षा और प्रशिक्षण, एडवोकेसी, उद्यमशीलता सहायता नेटवर्क तक आसान पहुंच और सामाजिक उद्यमशीलता के संवर्धन के जरिए युवाओं के बीच उद्यमशीलता के संवर्धन के लिए समर्थकारी पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करना है। प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान (युवा) योजना स्कीम का शुभारंभ माननीय मंत्री एमएसडीई द्वारा दिनांक 09.11.2016 को हुआ था।

इस स्कीम के अंतर्गत उद्यमशीलता शिक्षा कार्यक्रम, अगले वित्त-वर्ष के प्रारंभिक भाग में चलाया जाएगा।

स्कीम का विशिष्ट उद्देश्य निम्न प्रकार है:

(क) संभावित और शुरूआती चरण वाले उद्यमियों को शिक्षित और सुसज्जित करना;

(ख) पीयर्स, मेंटर्स, इंस्यूबेटर्स, वित्त-पोषण और व्यापार सेवाओं के नेटवर्क के जरिए उद्यमियो को जोड़ना;

(ग) उद्यमशीलता हबों (ई-हब) के जरिए उद्यमियों को सहायता करना और

(घ) आकांक्षी उद्यमियों को सहायता करने के लिए स्थितियां बदलने में उत्प्रेरित करना।

स्कीम का कार्यान्वयन सार्वजनिक और निजी स्टेक होल्डरों दोनों की भागीदारी से किया जा रहा है।

5.22.2 **परिणाम**

इस स्कीम में 499.94 करोड़ रू का अनुमानित व्यय शामिल है और पांच वर्षों में लगभग 30,000 स्टार्ट-अप सृजित करने की संभावना है, जिसका परिणाम यह होगा कि लगभग 2,60,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जॉब सृजित होगा।

इसके अलावा, इस स्कीम से कुल 360 सामाजिक उद्यमों की स्थापना होगी। इस प्रक्रिया में 'मेंटरों और संकाय सुविधा प्रदातों' का एक मजबूत पूल इस स्कीम के तहत सृजित होगा।

5.22.3 **शासी तंत्र**

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में परियोजना संचालन समिति, परियोजना की प्रचालन डिलीवरी का पर्यवेक्षण करेगी।

(ख) परियोजना कार्यान्वयन यूनिट अन्य बातों के साथ-साथ स्कीम कें अंतर्गत धनराशि जारी किए जाने के लिए जिम्मेदार होगा और प्रगति रिपोर्ट (वास्तविक और वित्तीय), परियोजना संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(ग) मॉनिटरिंग और मूल्यांकन यूनिट, स्कीम की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करेगा।

(घ) वित्तीय प्रबंधन यूनिट, राष्ट्रीय ई-हब, क्षेत्रीय ई-हब, नोडल ई-हब और परियोजना संस्थानों को धनराशि सुलभ कराने और उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए जिम्मेदार होगा।

यद्यपि, परियोजना संचलान समिति और परियोजना कार्यान्वयन यूनिट का गठन पहले ही हो चुका है, फिर भी मॉनिटरिंग और मूल्यांकन यूनिट तथा वित्तीय प्रबंधन यूनिट के पर्यवेक्षण के लिए संगठन के चयन की प्रक्रिया चल रही है।

5.22.4 **तकनीकी जानकारी वाले भागीदार**

कैलिफोर्निया बेस वाला वाधवानी फाउंडेशन, जोकि लाभ न कमाने वाला संगठन है, स्कीम के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी जानकारी वाला भागीदार है।

वाधवानी प्रचालन फाउंडेशन का वस्तु के रूप में अंशदान, जो स्कीम की लागत का कुल 10 प्रतिशत है, पहुंच के अधिकार के रूप में होगा (एक लिंक से) और भिन्न-भिन्न लाभार्थियों के लिए शिक्षण प्रबंधन प्रणाली और

उद्यमशीलता प्रशिक्षण विषय-वस्तु; उच्च शिक्षण संस्थान के वार्षिक कार्यक्रमों में भागीदारी; उद्यमशीलता पुस्तिका के इलेक्ट्रानिक पार्ट के लिए फैक्लटी को पहुंच प्रदान करना; कैंपस पारिस्थितिकी तंत्र विकास और स्कीम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता आधारित परामर्श / प्रशिक्षण / सलाहकारी सेवाओं का इस्तेमाल करेगा।

स्कीम के अंतर्गत फाउंडेशन के अंशदान के बारे में इसके साथ करार, अंतिम रूप दिए जाने के चरण में हैं।

5.22.5 **उद्यमशीलता पाठ्यक्रम**

(क) उच्च शिक्षण संस्थान: 6 स्तर, प्रत्येक छह महीने के सेमेटर का है, शिक्षण उद्यमशीलता के लिए संस्तुत अवधि में 6 चरणों का मैप, जो इस प्रकार हैं: अभिमुखीकरण, खोज, प्रैक्टिस, स्टार्ट-अप, वृद्धि और विस्तार। उद्यमिता शिक्षण के प्रथम तीन स्तर प्रत्येक नामांकित छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। इसके अलावा, 15 घंटे की सामाजित उद्यमशीलता पर पाठ्यक्रम ऑफर किए जाने के लिए चुनिंदा उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ख) स्कूल (10+2): स्कूलों (10+2) में नामांकित छात्रों को दो पाठ्यक्रम ऑफर किए जाएंगे, (i) फाउंडेशन पाठ्यक्रम: उद्यमशीलता की संभावना तलाश करना और (ii) उन्नत पाठ्यक्रम: कोई उद्यम शुरू करने के लिए तैयार होना, प्रत्येक की 15 घंटे की अवधि।

(ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान: आईटीआई में नामांकित छात्रों को स्कूल के स्तर का पाठ्यक्रम भी ऑफर किया जाएगा, किंतु इसकी अवधि क्रमश: 3 महीने (15 घंटे) और 6 महीने (60 घंटे) की होगी।

(घ) उद्यमशीलता विकास केंद्र: 30 घंटे का पाठ्यक्रम 3 महीने में होगा, जो विशिष्ट व्यापार कौशलों के लिए अल्पकालिक मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त होगा।

5.22.6 **कार्यान्वयन तंत्र**

राज्य सरकारों के निकट समन्वय से इस स्कीम का कार्यान्वयन उद्यमशीलता संसाधन नेटवर्क और समन्वय हब के जरिए किया जाएगा। इस नेटवर्क निस्बड नोएडा में स्थापित शीर्ष निकाय की तरह राष्ट्रीय उद्यमशीलता संसाधन और समन्वय हब (राष्ट्रीय ई-हब) होगा। इसके अलावा, नोएडा, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद और गुवाहटी में 05 क्षेत्रीय उद्यमशीलता संसाधन और समन्वय हब (क्षेत्रीय ई-हब) होगा और 50 नोडल संसाधन और समन्वय हब (नोडल ई-हब) का गठन देश भर में किया जाएगा।

05 क्षेत्रीय ई-हबों की स्थापना के लिए संस्थाओं की पहचान कर ली गई है। स्कीम के प्रथम वर्ष के दौरान कुल 09 नोडल ई-हब की स्थापना की जाएगी।

5.22.7 **संस्था के स्तर पर उद्यमशीलता हब**

उद्यमशीलता शिक्षा कार्यक्रमों डिलीवरी, पूर्व परिभाषित मानदंडों: उच्च शिक्षण संस्थानों में 2200 ई-हब; स्कूलों में 300; आईटीआई में 500 और ईडीसी में 50 के आधार पर मौजूदा चुनिंदा/पहचाने गए संस्थाओं में 3,050 उद्यमशीलता हबों की स्थापना करके की जाएगी।

स्कीम के अंतर्गत अब तक कुल 260 परियोजना संस्थानों को नामांकित किया गया है। इसके अलावा, डीजीटी के परामर्श से लगभग 140 सरकारी आईटीआई के पैनल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न श्रेणियों में लगभग 100 आवेदन देर से प्राप्त हुए हैं, जिन पर कार्रवाई चल रही है।

5.22.8 **परियोजना संस्थानों को वित्तीय सहायता**

सभी सरकारी परियोजना संस्थानों और उद्यमशीलता विकास केंद्रों को स्कीम के अंतर्गत अवसंरचना की स्थापना के लिए अधिकतम 3,00,000 रू /- की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो उपस्करों के मामले में वार्षिक रखरखाव प्रभार के अतिरिक्त होगी।

सभी पैनलीकृत परियोजना संस्थानों को स्कीम के अंतर्गत पहचाने गए संकाय सुविधा प्रदाताओं के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता और संकाय सुविधा प्रदाताओं को मानदेय दिया जाएगा।

घ. अन्य स्कीमें

5.23 कौशल ऋण स्कीम

देश में जो युवा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में जाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें मदद करने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री ने 15.07.2016 को कौशल ऋण स्कीम का शुभारंभ किया था। इस स्कीम का उद्देश्य, पात्र संस्थाओं में एनएसक्यूएफ संरेखित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामांकित किसी भी व्यक्ति को वित्तीय संस्थाओं के जरिए 5000 रू से 1.5 लाख रू तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराएगी और छह महीने से एक वर्ष तक ऋण स्थगन अवधि रहेगी तथा पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर तीन से सात वर्ष तक आसान किस्तों में अदायगी का विकल्प होगा। राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी न्यास कंपनी (एनसीजीटीसी), स्कीम के अंतर्गत ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराती है।

ड. आने वाली परियोजनाएं

5.24 आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प)

संकल्प, विश्व बैंक से 1 बिलियन अमरीकी डॉलर से सहायता प्राप्त ऐसी परियोजना है, जिसका उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता और मार्केट से जुड़े कौशल प्रशिक्षण तक पहुंच बढ़ाने के लिए तंत्र की क्षमता और प्रभावोत्पादकता बढ़ाना है।

- संकल्प परियोजना, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा इस विस्तृत उद्देश्य के साथ तैयार की गई थी कि समग्र रूप से कौशलीकरण के माहौल को सुदृढ़ तथा क्षमता निर्मित करना है और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के अंतर्गत विभिन्न उप-घटकों की स्केलिंग (जैसे प्रशिक्षक, विदेश संलग्नता, अवसंरचना का लाभ उठाना) करना है।
- वर्तमान में मंत्रालय के पास एनएसडीएम को प्रचालनरत करने की कोई कार्यात्मक स्कीम नहीं है। संकल्प, अल्पकालिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं (आईटीआई प्रणाली के विरूद्ध) को पूरा करने के लिए है, जिससे भारत को तीव्र जवाबी तंत्र के जरिए उसकी श्रम संबंधी बाजार आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- एमएसडीई को पहले से ही किए गए बजट आवंटन, स्कीम/कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं और इसलिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण, नए कौशलीकरण अवसंरचना तैयार करने के लिए निजी सेक्टरों की सहभागिता, राज्यों के साथ प्रोत्साहन आधारित अभिसरण, प्रौद्योगिकी प्रणाली और आईसीटी पहल में सुधार, गुणवत्ता आश्वासन और बाजार संगतता सुनिश्चित करने आदि जैसे क्षेत्रों के लिए कोई धनराशि उपलब्ध नहीं है। ये सभी एनएसडीएम के महत्वपूर्ण घटक हैं।
- सैद्धांतिक रूप से आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) की जांच समिति का अनुमोदन प्राप्त करते समय नीति आयोग का अनुमोदन 14.12.2015 को प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव का अनुमोदन डीईए द्वारा 21 नवंबर, 2015 को किया गया।
- इस प्रस्ताव में विश्व बैंक से 500 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता का प्रस्ताव किया गया है। राज्य और उद्योग (मुख्यत: सीएसआर के जरिए) क्रमश: 100 मिलियन और 75 मिलियन डॉलर का अंशदान करेंगे। प्रस्तावित स्कीम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों और घटकों का स्केल व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की पहले आयोजित बैठक की टिप्पणियों के अनुसार समुचित रूप से कम कर दिया गया है। परियोजना का कार्यान्वयन चार वर्ष की अवधि में किया जाएगा।
- प्रस्ताव पर ईएफसी, व्यय विभाग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अगली कार्रवाई की जा रही है।

5.25 स्ट्राइव

औद्योगिक महत्व संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव), विश्व बैंक वित्तीय सहायता प्राप्त नई परियोजना है, जिसका अनुमोदन व्यय वित्त समिति द्वारा नवंबर 2016 में कुल 2200 करोड़ रू (318 मिलियन अमरीकी डॉलर) की लागत से किया गया है। यह परियोजना विश्व बैंक की परिणाम आधारित श्रेणी की परियोजना के अंतर्गत आती है, जो परिणाम आधारित वित्त-पोषण सुनिश्चित करती है। परियोजना का उद्देश्य, उद्योग क्लस्टर/भौगोलिक चैंबरों के जरिए जागरूकता सृजित करना है, जिससे लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) की भागीदारी की चुनौती का निराकरण होगा। परियोजना का उद्देश्य, आईटीआई का एकीकरण और उसकी गुणवत्ता की डिलीवरी में विस्तार करने का भी होगा। स्कीम के अंतर्गत आईटीआई के बीच उन्नयन के लिए प्रतियोगी चयन किया जाएगा। विश्व बैंक से सलाह मशविरा के बाद स्ट्राइव परियोजना को आर्थिक कार्य की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

5.26 बहु-कौशल प्रशिक्षण संस्थान

यह स्कीम, देश के असेवित ब्लॉकों में पीपीपी मोड में 1500 एमएसटीआई की स्थापना के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा परिचालित की गई है और इसका समर्थन किया गया है।

- स्कीम में यह परिकल्पना की गई है कि देश के सभी असेवित ब्लॉकों में उच्च गुणवत्ता, सरकारी सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए देश के सभी व्यक्तियों को दीर्घकालिक कौशल प्रशिक्षण के अवसर की पहुंच उपलब्ध हो। वर्तमान में भारत में 2500 से अधिक असेवित ब्लॉक हैं।
- स्कीम के पीपीपी तत्व से यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी अनुदान सहायता के अतिरिक्त निजी प्रशिक्षण भागीदार से अदला-बदली होगी।

कुशल भारत केंद्र में फैशन प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण

प्रतियोगिता और पुरस्कार

हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट

6. प्रतियोगिता और पुरस्कार

6.1 कौशल भारत और विश्व कौशल

भारत को विश्व में "कौशल राजधानी" बनाने के लिए विश्व भर में भिन्न-भिन्न कौशलों में देश की उत्कृष्टता को दर्शाना आवश्यक है। भारत को "कौशल राजधानी" बनाने का सपना पूरा करने के लिए आंतरिक रूप से "कौशल प्रतियोगिता" का समग्र उद्देश्य, कौशलों में उत्कृष्टता प्रदर्शित करना और प्रेरित करना है, जिससे युवा वर्ग, कौशलों में अपना संभावित कैरिअर शुरू होगा। प्रतियोगिता ऐसा अवसर प्रदान करती हैं कि कौशलयुक्त व्यवसाय शुरू किया जाए और व्यावसायिक कैरिअर के लिए विकल्पों को प्रेरित किया जाए। कौशल प्रतियोगिताओं का प्रेरणाप्रद पहलू इसे एडवोकेसी के लिए उत्कृष्टता मंच प्रदान करता है। विश्व भर में कौशल प्रतियोगिताएं स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर आयोजित की जाती हैं। अत: कौशल प्रतियोगिताओं पर पर्याप्त जोर देने की आवश्यकता है ताकि यह सभी स्तरों पर फैल जाए और युवा अपनी क्षमता का बैंचमार्क कर सकें, जिनमें जागरूकता और उत्पादकता में विस्तार भी शामिल है।

भारत की वर्ष में दो बार आयोजित होने वाली विश्व कौशल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी हेतु प्रदर्शन और प्रतिभा चयन के लिए कौशल भारत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा आयोजित की जानी वाली राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता है। कौशल भारत में भागीदारी करने वाले राज्य स्तर और आगे चलकर क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के विजेताओं में से आगे आएंगे। कौशल भारत 2016 के विजेता, विश्व कौशल और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। कौशल भारत, प्रतिभा पूल को और सघन तथा विस्तृत करेगा, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन होगा।

प्रतियोगिता का पहला आयोजन 15 से 17 जुलाई, 2016 में डीजीटी, कार्पोरेट भागीदार, एसएससी, उद्योग संघ और शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग से किया गया था। प्रतियोगिता का उद्घाटन, 15 जुलाई, 2016 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया था।

6.1.1 भारत ने साओ पाओलो में 27 कौशलों में विश्व कौशल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया था और निम्नलिखित कौशलों में आठ उत्कृष्टता पदक का पुरस्कार जीता था:

- वेल्डिंग
- ग्राफिक डिजाइनिंग
- प्लास्टिक डाई इंजीनियरिंग
- हेयर ड्रेसिंग
- ब्यूटी थिरेपी
- ब्रिकलेइंग
- प्रोटोटाइप मॉडलिंग
- ज्वैलरी

6.1.2. **प्रतियोगिता चरण**

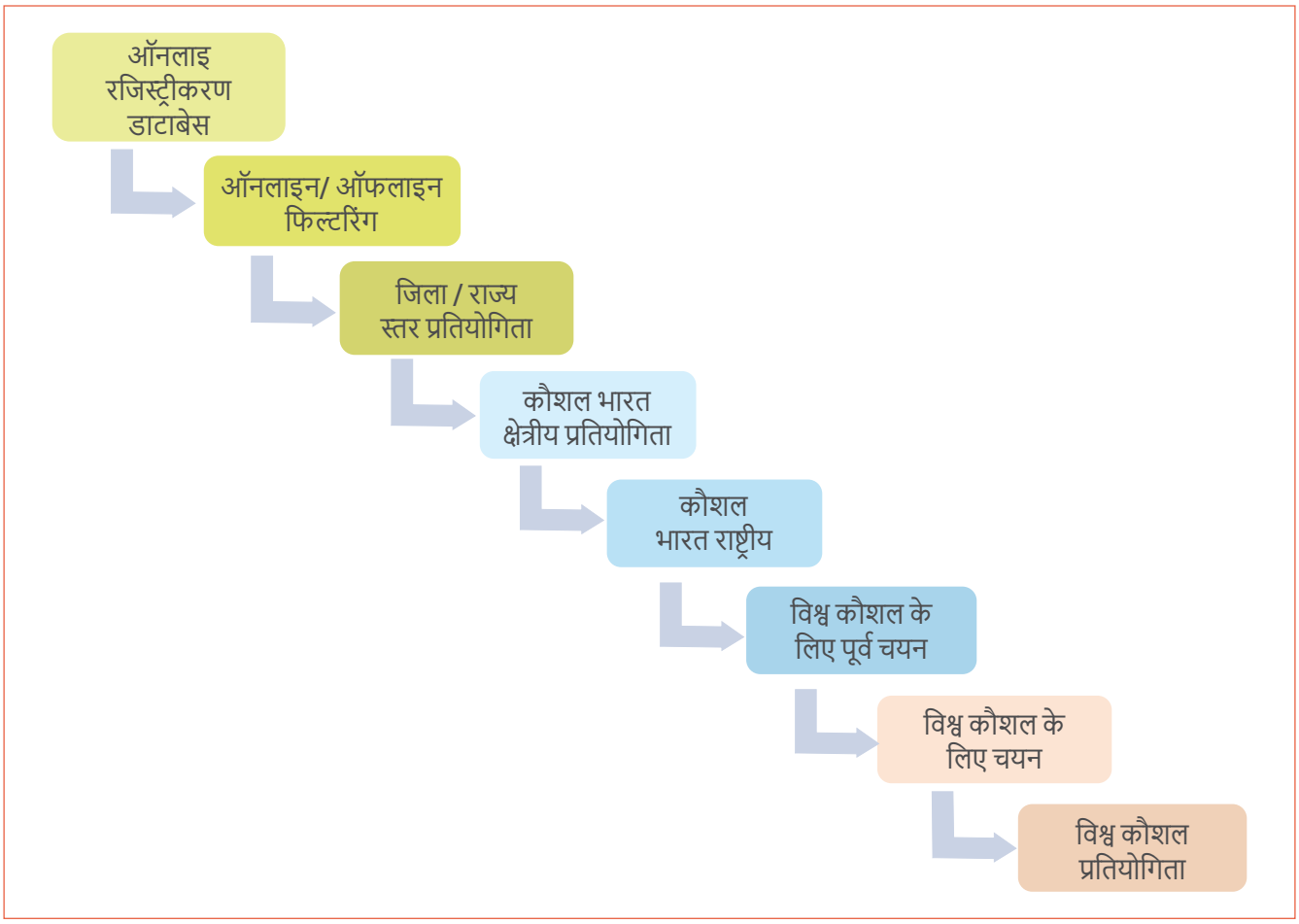

6.2 अखिल भारतीय शिल्पकार कौशल प्रतियोगिता स्कीम:

इसे आईटीआई के प्रशिक्षार्थियों ने स्वस्थ प्रतियोगिता के संपोषण के लिए वर्ष 1964 में शुरू किया गया था।

यह प्रतियोगिता अब प्रत्येक वर्ष 15 ट्रेडों में आयोजित की जाती है। अर्थात इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर वाहन, फाउंड्री मेन, इलेक्ट्रीशियन, कटिंग और सिलाई, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ड्राफ्टमेन (सिविल), ड्राफ्टमेन (मैकेनिकल), मैकेनिक डीजल और "मैकेनिक रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर"।

6.2.1 राज्य स्तर प्रतियोगिता में उपर्युक्त ट्रेडों में से प्रत्येक सर्वोत्तम प्रशिक्षार्थी, अखिल भारतीय कौशल प्रतियोगिता में जीतता है। अखिल भारतीय स्तर पर उपर्युक्त प्रत्येक 15 ट्रेडों में सर्वोत्तम शिल्पकार को प्रत्येक को मेरिट प्रमाण पत्र और 50,000 /- रू का नकद पुरस्कार दिया जाता है। अखिल भारतीय कौशल प्रतियोगिता में विजेता को मेरिट प्रमाण पत्र दिया जाता है और उसके/उसकी आईटीआई को सर्वोत्तम घोषित किया जाता है।

जिस राज्य के प्रशिक्षार्थी सभी ट्रेडों में कुल उच्चतम अंक प्राप्त करते हैं, उस राज्य को मेरिट प्रमाण पत्र और शिल्ड प्रदान की जाती है।

6.2.2 **गत तीन प्रतियोगिताओं में "सर्वोत्तम राज्य पुरस्कार" विजेता निम्न प्रकार हैं:-**

क्र.सं.	कौशल प्रतियोगिता	परिणाम
1.	50 वीं कौशल प्रतियोगिता	पश्चिम बंगाल
2.	51 वीं कौशल प्रतियोगिता	महाराष्ट्र
3.	52 वीं कौशल प्रतियोगिता	पश्चिम बंगाल

6.3 ट्रेड शिक्षुओं की कौशल प्रतियोगिता

- शिक्षुओं तथा स्थापनाओं में स्वस्थ प्रतियोगिता के संपोषण को ध्यान में रखकर स्थानीय, क्षेत्रीय, और अखिल भारतीय स्तर पर कौशल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है।
- कौशल प्रतियोगिता 15 ट्रेडों में आयोजित की जाती है अर्थात; फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर (गैस और इलेक्ट्रिक), इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक (मोटर वाहन), टूल और डाई मेकर (डाई और मोल्ड), टूल और डाई मेकर (प्रेस टूल, जिग्स और फिक्सर), इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्राफ्टमेन (मैकेनिकल), मैकेनिक मशीन टूल मेंटिनेंस, वायरमैन, मैकेनिक (डीजल), रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक।

6.4 उद्यमशीलता पुरस्कार

प्रौद्योगिकी, उन्नत और उच्च प्रभाव वाले नवोन्मेष के आगे भी बड़े पैमाने पर उद्यमिता का वातावरण है। सतत/वर्धमान नवोन्मेष अथवा विद्यमान जानकारी के आधार पर उद्यमशीलता, व्यापार और बड़े पैमाने पर रोजगार विकसित करने की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, इस बड़े पैमाने पर उद्यमिता का वातावरण का संवर्धन करने तथा साथ में उद्यमशीलता के लिए कौशल विकास पहल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्रालय ने महिलाओं, एससी, एसटी, अल्पसंख्यकों और दिव्यांगों जैसे सामाजिक और भौगोलिक वंचित समूहों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है।

इस वातावरण को आकांक्षीय बनाने और वांछित परिणाम उत्पन्न करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता नीति, 2015 के अनुसार उत्कृष्ट उद्यमियों और उनके वातावरण निर्माताओं के प्रयासों को मान्यता प्रदान करने के लिए 'राष्ट्रीय उद्यमशीलता पुरस्कार' का गठन किया है।

राष्ट्रीय उद्यमशीलता पुरस्कार 2016 का शुभारंभ

इस कार्यक्रम का प्रमुख जोर, युवा उद्यमियों को सहायता एवं प्रेरित करने तथा उनके वातावरण निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 'राष्ट्रीय उद्यमशीलता पुरस्कार' हेतु मजबूत ढांचे को संस्थागत बनाना है। युवाओं के लिए यह स्कीम और अधिक आकांक्षीय बनाने के लिए मंत्रालय ने कोर समिति बनाई है, जिसमें देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईटी मुंबई, टीआईएसएस मुंबई, आईआईटी चेन्नई, एक्सएलआरआई जमशेदपुर और आईआईटी कानपुर की भागीदारी है। आईआईटी दिल्ली, इस स्कीम के कार्यान्वयन का मुख्य भागीदार है।

6.4.1 दो चयन ट्रेकों के अंतर्गत कुल 19 पुरस्कारो का प्रस्ताव किया गया है-

- पुरस्कार ट्रैक: उभरते हुए सेक्टर विशेष के क्षेत्र में कुल १६ प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को दिए जाएंगे। इस श्रेणी में महिलाओं, एससी/एसटी, दिव्यांगों, कठिन क्षेत्रों और सामाजिक उद्यमशीलता को समर्पित विशेष श्रेणी के सेगमेंट भी शामिल हैं।
- मान्यता ट्रैक: उद्यमशीलता विकास में संलग्न तीन प्रसिद्ध वातावरण निर्माताओं - संस्थान, शिक्षकों, मेंटरों और हैंड होल्डिंग संगठनों को मान्यता दी जाएगी।

6.4.2 विजेजाओं को ट्राफी, प्रमाण पत्र और 10,00,000 /- रू (संगठनों) और 5,00,000 /- रू (अलग-अलग व्यक्तियों) का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन भागीदारों की एक कोर समिति नामित की जाएगी, जिसमें सात प्रमुख संस्थान होंगे। प्रत्येक वर्ष इनमें से प्रत्येक संस्थान को पुरस्कार के कार्यान्वयन के लिए अग्रणी संस्थान के रूप में नामित किया जाएगा, जबकि अन्य संस्थान, इस प्रक्रिया में अग्रणी को सहायता करेंगे। कम से कम एक ज्ञान भागीदार को देश के प्रत्येक जोन - पूर्वोत्तर, पश्चिम, दक्षिण और मध्य से अभिनिर्धारित किया जाएगा। आईआईटी दिल्ली को राष्ट्रीय उद्यमशीलता पुरस्कार 2016-17 के लिए अग्रणी संस्थान के रूप में नामित किया जाएगा।

गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह उद्यमशीलता पुरुस्कार 2016 देते हुए

कौशल संलग्नता

कुशल भारत केंद्र में इलेक्ट्रीकल फिटिंग प्रशिक्षण

7. कौशल संलग्नता

7.1 केंद्रीय मंत्रालयों के साथ संलग्नता

एमएसडीई ने कौशलीकरण वातावरण में कौशल पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 16 केंद्रीय मंत्रालयों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय (एमओडी) और रेल मंत्रालय (एमओआर) ने एमओयू पर कार्रवाई करने में विशेष प्रगति का प्रदर्शन किया है। एमओयू का विस्तृत सूची तालिका 16 में दी गई है।

तालिका:16 केंद्रीय मंत्रालयों के साथा एमओयू

क्र.सं.	मंत्रालयों के नाम	हस्ताक्षरित एमओयू
1	रक्षा मंत्रालय	13.07.2015
2	रेल मंत्रालय	14.07.2015
3	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	11.07.2015
4	इस्पात मंत्रालय	10.07.2015
5	खान मंत्रालय	10.07.2015
6	भारी उद्योग विभाग	08.12.2015
7	विद्युत मंत्रालय	15.09.2015
8	उर्वरक विभाग	09.07.2015
9	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	09.07.2015
10	औषधि विभाग	09.07.2015
11	विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग	21.03.2015
12	दूरसंचार विभाग	21.01.2016
13	वस्त्र मंत्रालय	07.08.2016
14	विदेश मंत्रालय	02.07.2016
15	नागरिग विमानन मंत्रालय	20.10.2016
16	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	28-11-2016

7.1.1 रक्षा मंत्रालय

रक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के बीच जुलाई 2015 में एमओयू हस्ताक्षरित हुआ था। एमएसडीई तथा एमओडी के बीच कार्य नीति संबंधी गठजोड़ के तहत एनएसडीसी सशस्त्र सेनाओं - भारतीय थल सेना, भारतीय नौ सेना के अवकाश प्राप्त कार्मिकों को द्वितीय केरिअर का विकल्प प्रदान करने तथा उनकी सेवाओं को कौशल विकास पारिस्थितिकी हेतु प्रशिक्षकों तथा आकलनकर्ताओं के रूप में उनकी सेवाओं का उपयोग करने हेतु कार्यरत है। आज की स्थिति के अनुसार 2000 थल सेना कार्मिकों, 129 वायु सेना कार्मिकों तथा 70 नौ सेना कार्मिकों ने प्रशिक्षण प्राप्त करके आकलनकर्ताओं/प्रशिक्षकों के रूप में तैनाती प्राप्त की है।

अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीआई): मौजूदा आर्मी अवसंरचना का आर्मी कौशल प्रशिक्षण केंद्रों (एएसटीसी) के रूप में उन्नयन करके रक्षा कार्मिकों की पत्नियों और बच्चों के लिए एक पहल आरंभ की गई है। अब तक हस्तशिल्प, सौंदर्य और स्वास्थ्य, परिधान तथा आईटी क्षेत्र में ऐसे चार केंद्र परिचालित हैं।

रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (डीपीएसयू): डीपीएसयू तथा आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफसी) के भर्ती नियमों में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है। इस समय एसएससी एनएसक्यूएफ के संरेखण हेतु जॉब रोलों को क्यूपी-एनओएस के अनुरूप बनाने के लिए प्रक्रियारत हैं।

पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर): डीजीआर द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों को एनएसक्यूएफ के अनुरूप तैयार करने का कार्य भी चल रहा है।

राजीव प्रताप रूडी, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के सेवामुक्त कर्मियों के लिए कौशल प्रमाणन समारोह

7.1.2 रेल मंत्रालय

एमएसडीई तथा एमओआर ने कौशल विकास पहलों के लिए भागीदारी हेतु जुलाई 2015 में एमओयू हस्ताक्षर किया हैं। एमओयू के अंतर्गत गतिविधियों में, रेलवे स्थलों में खाली पड़ी अतिरिक्त अवसंरचना को कौशलीकरण गतिविधियों में लगाना एक प्रमुख गतिविधि है। एमएसडीई ने रेलवे की अतिरिक्त अवसंरचना का कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के गठन में उपयोग करने हेतु स्थलों की पहचान की है तथा उन स्थलों के लिए नोडल एनएसडीसी प्रशिक्षण भागीदारों की भी पहचान कर ली गई है। पीएमकेवीवाई-2 के अंतर्गत दानापुर रेलवे केंद्र में 120 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है तथा अन्य 120 उम्मीदवार प्रशिक्षण ले रहे हैं। पीएमकेवीवाई-2 के अंतर्गत महाराजगंज रेलवे केंद्र में 200 उम्मीदवारा अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

7.1.3 रेलवे सहायक के लिए आरपीएल प्रशिक्षण

प्रयोगात्मक आधार पर उत्तरी रेलवे के चार रेलवे स्टेशनों नामत: अंबाला, लुधियाना, मुरादाबाद और लखनऊ कार्यरत कुलियों के लिए पूर्व शिक्षण मान्यता के तहत प्रशिक्षण आरंभ किया गया था। कुलियों को सॉफ्ट स्किल तथा एर्गोनोमिक्स से संबंधित विषयों में प्रशिक्षण पर जोर देने की दृष्टि से परियोजना तैयार की गई है। प्रशिक्षण का उद्देश्य समान उठाते वक्त ठीक शारीरिक मुद्रा अपनाने के माध्यम से स्वास्थ्य बेहतर करने तथा प्रबंधन हेतु सुधरे हुए परिवेश के माध्यम से सेवा की बेहतरी सुनिश्चित करना है।

इस क्रिया के अंत में, रेलवे बजट 2016 में माननीय रेल मंत्री द्वारा की गई उदघोषणा के अनुसार कुलियों को 'सहायक' का नया नाम दिया जाएगा। आरपीएल के तहत समस्त प्रायोगिक स्थानों से 17,211 उम्मीदवारों को नामांकित तथा आकलित किया गया है। चार प्रायोगिक स्थानों से प्राप्त अनुकूल फीडबेक के आधार पर इस परियोजना को उत्तर रेलवे के सभी 18 स्थानों के लिए तैयार किया गया है।

7.2 मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संलग्नता

i. **यूके**

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय तथा डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इनोवेशन एंड स्कील्स, यूके के बीच अप्रैल, 2015 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों का निर्धारण किया गया और यूकेआईईआरआई-।। के अंतर्गत अनेक कार्यशालाओं, आदान-प्रदान दौरों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, यूके मानकों के साथ भारतीय प्रशिक्षण मानकों को निर्दिष्ट करने हेतु भारतीय क्षेत्र की 15 कौशल समितियों और उनके यूके के समकक्षों के साथ सहयोग शुरू किए गए हैं। येकेआईईआरआई-।। 31 मार्च, 2015 को समाप्त हो गया। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, यूके और भारत के बीच कौशलों, तैयार हो रहे पेशागत मानकों, प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रशिक्षण, शिक्षुता और नियोक्ता संलग्नता तथा सर्वोत्तम प्रथाओं की हिस्सेदारी में संस्थागत भागीदारी के लिए येकेआईईआरआई-।।। पहल से जुड़ गया है।

ii. **जर्मनी**

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने अप्रैल, 2015 में होनोवर मेस्सी में भाग लिया था तथा कौशल मंडप की स्थापना की। अप्रैल, 2015 में अनेक क्षेत्रों में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें शामिल था: औद्योगिक समूहों में प्रशिक्षण आधारित कार्यशाला का स्तर बढ़ाना, प्रशिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या का उन्नयन, मौजूदा संस्थाओं का उन्नयन आदि। दोनों पक्षों द्वारा आगे बढ़ने के लिए रोडमैप पर सहमति हुई है और संयुक्त गतिविधियां शुरू किए गए हैं।

iii. **आस्ट्रेलिया**

एनएसडीसी, इस सहयोग को प्रचालनरत करने के लिए अनेक आस्ट्रेलियाई संस्थाओं के साथा कार्य कर रहा है। एक एमओयू पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए जनवरी 2015 में एनएसडीसी और टीएएफई एसए और हैरॉड के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। आस्ट्रेलिया के एक अध्ययन दौरा, भारत के लिए आस्ट्रेलिया के कौशल तंत्र तथा दस्तावेजी पाठ समझने के लिए कौशल प्रशिक्षण पर कार्य कर रहे मुख्य अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था।

iv. **कनाडा**

एनएसडीसी ने अप्रैल 2015 में माननीय प्रधानमंत्री, भारत के कनाडा दौरे के दौरान कनाडा के कुछ मुख्य प्रशिक्षण संस्थाओं के साथा 13 एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। एमओयू पर मुख्य ध्यान सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, मानकों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान करने तथा भारत में नए उत्कृष्टता केंद्र सृजित करने पर दिया गया है।

v. **यूरोपियन यूनियन**

जून 2014 में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय और ईयू के बीच भारत सरकार की कौशल विकास नीति के कार्यान्वयन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस भारत- यूरोपियन कौशल विकास परियोजना के अंदर अनेक प्रकार की क्षमता निर्माण गतिविधियां शुरू की गई हैं, जिनमें इस सहयोग के जरिए किया गया अध्ययन दौरा, प्रतिनिधिमंडल का दौरा, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, मूल्यांकक आदि शामिल हैं। यह परियोजना जनवरी 2017 में पूरी हुई

vi. **फ्रांस**

भारत और फ्रांस में अर्हता रजिस्टर को तैयार करने और उसका कार्यान्वयन करने की जानकारी का आधार समझने के लिए जनवरी २०१५ में एनएसडीए और सीएनसीपी (कमिशन नेशनेल डि ला सर्टिफिकेशन प्रोफेशनेल - सीएनसीपी) के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस सहयोग के अंतर्गत सीएनसीपी के प्रतिनिधियों द्वारा भारत में और एनएसडीए के प्रतिनिधियों द्वारा फ्रांस में आदान-प्रदान दौरा कार्यक्रम किया गया था।

vii. **यूएई**

अर्हताओं की पारस्परिक मान्यता के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए 29 अप्रैल, 2016 को एमएसडीई और राष्ट्रीय अर्हता प्राधिकरण, यूएई के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह सहयोग ऐसे भारतीयों को विशेष लाभ प्रदान करेगा, जो विदेशों में कार्य करना चाहते हैं। प्रथम संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक 29 अप्रैल, 2016 को की गई है।

viii. **चीन**

मई 2015 में चीन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रथम संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक अप्रैल 2016 को की गई थी।

ix. **स्विटजरलैंड**

22 जून, 2016 को वेंटरथर, स्विटजरलैंड में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। एमओयू का उद्देश्य, भारत की व्यापक कौशल आवश्यकताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में स्विस व्यावसायिक और पेशेवर शिक्षा तथा प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान करना था। इसके लिए द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गई हैं।

x. **कतर**

कतर और भारत के बीच 5 जून, 2016 को एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रथम संयुक्त कार्यकारी समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक शीघ्र ही की जानी है।

xi. **जापान**

जापान और भारत के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रथम संयुक्त कार्यकारी समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक शीघ्र ही की जानी है।

7.3 डीजीटी की अंतर्राष्ट्रीय संलग्नता

7.3.1 डीजीटी और जर्मनी के बीच संलग्नता:

डीजीई और टी के दो वर्टिकलों का कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में हस्तांतरण होने के बाद एमएसडीई और संघीय शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय तथा संघीय आर्थिक सहयोग और अनुसंधान मंत्रालय के बीच जर्मन चांसलर का भारत दौरे के दौरान 5 अक्तूबर, 2015 को "कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण" (एसडी और वीईटी) के क्षेत्र में सहयोग के लिए नए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे।

उपर्युक्त एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद एसडी और वीईटी के संबंध में भारत-जर्मन की प्रथम संयुक्त कार्यकारी समूह की बैठक 26 जुलाई, 2016 को आयोजित की गई थी। एमओयू के अंतर्गत चल रही विभिन्न परियोजनाओं और उनकी स्थिति की समीक्षा इस बैठक में की गई थी।

एमओयू के अंतर्गत जर्मनी के साथ चल रही संलग्नता:

i डीजीटी संस्थानों और जर्मन सेवा प्रदाता संस्थानों के बीच मध्यमकालिक संलग्नता निम्नलिखित चार सेक्टरों में चल रही है। (i) वेल्डिंग, (ii) मेकाट्रानिक्स सीएनसी अनुरक्षण, (iii) ऑटोमोबाइल कार मेकाट्रानिक्स, (iv) इलेक्ट्रॉनिक्स।

- यह परियोजना, दो चरणों में पूरा किए जाने वाले वेल्डिंग और मेकाट्रानिक्स तथा सीएनसी अनुरक्षण क्षेत्रों में डीजीटी संस्थानों और जर्मन सेवा प्रदाता के बीच मध्यमकालिक संलग्नता के बारे में कार्रवाई करती है। बावेरियन एम्प्लायर एसोसिएशन (बीएफजेड) के प्रशिक्षण और विकास केंद्रों का चयन, डीजीटी के दो संस्थानों नामता: फोरमेन वेल्डिंग प्रशिक्षण संस्थान बेंगलोर तथा शीर्ष मेकाट्रानिक्स सीएनसी अनुरक्षण हाई-टेक संस्थान बेंगलोर के साथ वेल्डिंग और मेकाट्रानिक्स सेक्टरों में मध्यमकालिक सहयोग के लिए जर्मन भागीदार के रूप में किया गया था।
- चरण I (चार महीने) योजना चरण है और चरण II (32 महीने) कार्यान्वयन चरण है। परियोजना का चरण। पूरा हो गया है और चरण II का कार्यान्वयन किया जाना है। वेल्डिंग और मेकाट्रानिक्स प्रत्येक में दस मॉस्टर प्रशिक्षकों को 8 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें भारत में दो सप्ताह का प्रशिक्षण और जर्मनी में 6 सप्ताह का प्रशिक्षण शिक्षण शास्त्र पर था।

ii. एटीआई हावड़ा और एफटीआई जमशेदपुर के कैंपस में ऊर्जा बचत निर्माण प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण अवसंरचनाओं की स्थापना।

इस परियोजना का कार्यान्वयन, 5 कार्य पैकेजों (डब्ल्यूपी) में किए जाने का प्रस्ताव है। डब्ल्यूपी के भाग के रूप में डीजीटी, एमएसडीई से 105 सदस्यों की टीम ने जनवरी 2016 में बीएफडब्ल्यू जर्मनी का दौरा किया, ताकि वे बीएफडब्ल्यू के ड्रेसडेन प्रशिक्षण केंद्र की सुविधाओं, संकल्पना और प्रशिक्षण सुविधाओं के मानकों से स्वयं को (प्रशिक्षण केंद्र का पर्यटन) परिचित करा सकें। डब्ल्यूपी २ के भाग के रूप में दो सदस्यों वाला जर्मन प्रतिनिधि मंडल ने मार्च 2016 में भारत का दौरा किया और एटीआई हावड़ा तथा एफटीआई जमशेदपुर का दौरा डब्ल्यूपी 1 और 2 के अनुपालन में स्थानों का प्रभाव ग्रहण करने तथा आवश्यकता और विजन की पहचान करने के लिए किया। डब्ल्यूपी 3 प्रगति पर है। करार के अनुसार डब्ल्यूपी 1 और 2 का वित्त-पोषण पूर्णत: जर्मन पक्ष की ओर से किया गया है, जबकि प्रस्तावित डब्ल्यूपी 3, 4 और 5 का वित्त-पोषण डीजीटी एमएसडीई द्वारा किया जाना है।

iii. कार्यस्थल आधारित प्रशिक्षण का आयोजन ३ औद्योगिक क्लस्टरों (जीआईजेड के सहयोग से) में किया गया

- 3 औद्योगिक क्लस्टरों में कार्यस्थल आधारित प्रशिक्षण विषय पर "कार्यान्वयन करार" पर 22 अगस्त, 2016 को एमएसडीई और जीआईजेड के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण" के के लिए "भारत-जर्मन कार्यक्रम" का समग्र उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक और निजी सेक्टरों के कार्यकर्ता एक साथ काम करें, ताकि भारत में सहयोगी व्यावसायिक प्रशिक्षण में सुधार के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकें।

  इस कार्यक्रम से यह अपेक्षा की जाती है कि तीन उद्योग सेक्टरों में सहयोगी कार्यस्थल आधारित अप्रोच तीन स्थानों (क्लस्टर अप्रोच) में विकसित किया जाएगा और उसकी जांच की जाएगी: औरंगाबाद, महाराष्ट्र में ऑटोमोबाइल सप्लायर उद्योग; बैंगलोर में इलेक्ट्रानिक उद्योग; भिवाड़ी, राजस्थान में निर्माण उद्योग।

7.3.2 डीजीटी और जापान के बीच संलग्नता

i. विनिर्माण कौशल हस्तांतरण कार्यक्रम:

भारत और जापान के बीच विनिर्माण कौशल हस्तांतरण कार्यक्रम पर 11 नवंबर, 2016 को सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एमओसी का उद्देश्य निम्नलिखित परियोजनाओं के जरिए अगले 10 वर्षों में 30 हजार व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से विनिर्माण में जापानी मानक शॉप फ्लोर लीडरों और इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के लिए जापानी कंपनियो को सहयोग करना है।

ii. जापान-भारत विनिर्माण संस्थान (जेआईएम)

एमएसडीई, काईजन, 5एस जैसे जापानी स्टाइल मुख्य तत्वों और कार्य प्रणालियों से भारत में जापानी मानक स्तर के भावी शॉप फ्लोर लीडरों को प्रशिक्षित करने के लिए जापानी कंपनियों द्वारा स्थापित जापान-भारत विनिर्माण संस्थान (जेआईएम) को एनसीवीटी के जरिए पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रमों की मान्यता/प्रत्यायन उपलब्ध कराएगा।

iii. जापानी संपन्न पाठ्यक्रम (जेईसी)

भारत में इंजीनियरी कॉलेजों में विनिर्माण सेक्टर में मध्यम स्तर के प्रबंध इंजीनियरों के लिए भावी उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किए जाने के लिए जापानी संपन्न पाठ्यक्रम स्थापित किया जाएगा। मध्य स्तर के प्रबंधन स्तर के लिए पाठ्यक्रमों को इंजीनियरी कॉलेजों में चार वर्षीय पाठ्यक्रमों के घटक में जोड़ा जाएगा।

iv. जापान अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सहयोग संगठन (जेआईटीसीओ) द्वारा तकनीकी इंटर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीआईटीपी):

इस कार्यक्रम का उद्देश्य जापान से भारत में तकनीकी कौशल, प्रौद्योगिकी और ज्ञान में तकनीकी इंटर्न प्रशिक्षार्थी के जरिए कौशल का हस्तांतरण करना है। जापानी सरकार ने "तकनीकी इंटर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम" तैयार किया है, यह एक ऐसी पहल है, जो दूसरे देशों से युवाओं और प्रौढ दोनों कामगारों को औद्योगिक सोसाइटी में विशिष्ट अवधि के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है।

तकनीकी इंटर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीआईटीपी) के कार्यान्वयन के लिए डीजीटी, एमएसडीई के बीच विचार-विमर्श के रिकार्ड पर 30 नवंबर, 2015 को हस्ताक्षर किए गए थे। जापान में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को तकनीकी इंटर्न भेजने के लिए डीजीटी, एमएसडीई द्वारा ६ संगठनों को नामित किया गया है।

v. जापान व्यावसायिक योग्यता विकास एसोसिएशन (जेएवीएडीए):

इलेक्ट्रानिक उपस्कर असेंबली (ग्रेड 3) पर कौशल मूल्यांकक प्रशिक्षण और कौशल मूल्यांकन तथा सार्वजनिक निजी संयुक्त समिति (पीपीजेसी) का संचालन दिसंबर 2016 में उन्नत प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई) - हैदराबाद में किया गया था, जो डीजीटी, एमएसडीई का नई दिल्ली में एक फिल्ड संस्थान है।

जापान के मानव संसाधन विकास संवर्धन अधिनियम के आधार पर 1979 में स्थापित जेएवीएडीए, जापान में व्यावसायिक योग्यता के मूल्यांकन के लिए एक विशेषज्ञ संस्थान है।

एमएसडीई का संगठन चार्ट

कुशल भारत केंद्र में फैशन प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण

8. एमएसडीई का संगठन चार्ट

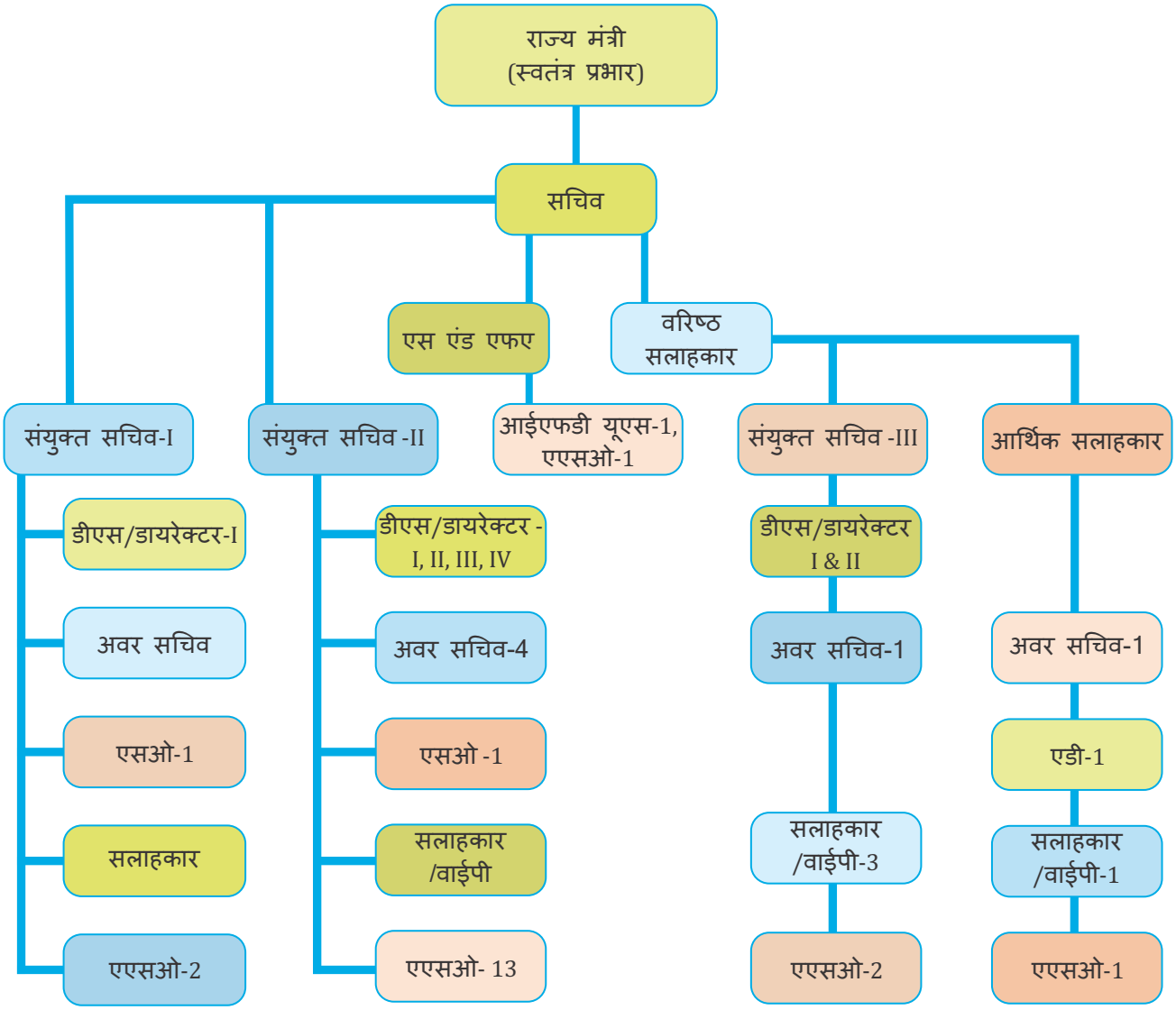

अनुबंध 1-5

आई टी आई तमिल नाडू में निर्माण प्रशिक्षण

अनुबंध - I

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कौशल विकास की स्कीमों के ब्यौरे

क्र.सं.	मंत्रालयों/विभागों के नाम	स्कीम का नाम
1.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)
		शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एटीएस)
		शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम
		शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण स्कीम
		कौशल विकास पहल स्कीम (एसडीआईएस)
2.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)
		ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआईएस)
3.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)
4.	वस्त्र मंत्रालय	एकीकृत कौशल विकास योजना (आईएसडीएस)
5.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– फामर्स फिल्ड स्कूल
		एग्री क्लिनिक और कृषि व्यापार केंद्र स्कीम
		एक्सटेंशन रिफॉर्म्स- फार्म स्कूल
		कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके)
		कृषि स्नातकों के लिए कौशल प्रशिक्षण
		किसान विस्तार के लिए किसान का संवर्धन
6.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपीएस)
		उद्यमशीलता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपीएस)
		प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपीएस)
		प्रशिक्षण संस्थान सहायता स्कीम (एटीआई - स्कीम)
		कौशल उन्नयन और गुणवत्ता सुधार एवं महिला क्वायर योजना (एमसीवाई)
		टूल रूम
		केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएमटीआई)
7.	पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय	सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण स्कीम
		हुनर से रोजगार तक पहल
8.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूली शिक्षा का व्यवसायीकरण
		पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास स्कीम
		राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान - दूरस्थ व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम (प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थानों (एवीआई) के जरिए प्रयोगिक शिक्षण)
		राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण (एनएटी) स्कीम
		जन शिक्षण संस्थान

क्रमशः

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कौशल विकास की स्कीमों के ब्यौरे

क्र.सं.	मंत्रालयों/विभागों के नाम	स्कीम का नाम
9.	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	इलेक्ट्रानिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) सेक्टर में कौशल विकास के लिए राज्य वित्तीय सहायता स्कीम
		डिजीटल इंडिया के लिए ईएसडीएम में कौशल विकास
10.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	जनजातीय युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण
11.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	महिला प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (एसटीईपी) को सहायता
12.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम
13.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनियर)	क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता
14.	गृह मंत्रालय	उडान
15.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	सीखों और कमाओं
		नई रोशनी (अल्पसंख्यक महिला नेतृत्व विकास स्कीम)
16.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	दिव्यांगों के कौशल प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता
		अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए)
		राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी)
		राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)
		राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)
17.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमएफपीआई)	एनआईएफटीईएम और आईआईसीपीटी के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम
18.	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग (डीसीपीसी)	केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी)
19.	औद्योगिक संवर्धन और नीति विभाग (डीआईपीपी)	भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (फूटवीयर डिजाइन और विकास संस्थान द्वारा कार्यान्वित)
20.	युवा कार्यक्रम विभाग (डीवाईएएस)	नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कार्यान्वित कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसयूटीपी)
		एनसीवीटी स्कीम के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
		राष्ट्रीय स्वैच्छिक सेवा स्कीम के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण

अनुबंध - 2

2016-17 में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (दिसंबर 2016 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	मंत्रालय/संगठन	अनंतिम लक्ष्य 2016-17 (व्यक्ति)	मंत्रालय/विभाग द्वारा स्वीकृत लक्ष्य	2016-17 के लिए संचयी उपलब्धि, अब तक सूचित	
				संख्या	वार्षिक लक्ष्य की प्रतिशतता
	1	2	3	4	5
1	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	25,00,000 12,50,000	20,00,000 12,50,000	4,63,221	18.52%
2	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (उद्यमशीलता प्रशिक्षण)	13,75,000	13,75,000	8,14,000	59.20%
3	कृषि मंत्रालय	17,60,000 डीएसी एंड एफडब्ल्यू (606130), डीएएचडी एंड एफ (250000), डीएआरई/आईसीएआर (903870)	17,60,000		
4	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (पीएमकेवीवाई से अलग परियोजनाओं में एनएसडीसी भागीदार, उडान स्कीम और एसएससी द्वारा किया गया मूल्यांकन शामिल है	40,26,000	19,10,500	3,34,199	17.49%
5	ग्रामीण विकास मंत्रालय	5,80,800	5,99,987	3,44,938	57.49%
6	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	6,12,700	5,57,000		
7	उच्चतर शिक्षा विभाग	5,36,866	4,88,060		
8	इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	3,96,000	3,60,000		
9	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	3,30,684	3,30,684	2,88,744	87.32%
10	महिला और बाल विकास मंत्रलाय	36,322	33,020		
11	वस्त्र मंत्रालय	4,40,000	4,40,000	33,430	7.59%
12	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	95,480	95,500	11,643	12.19%

क्रमशः

2016-17 में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (दिसंबर 2016 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	मंत्रालय/संगठन	अनंतिम लक्ष्य 2016-17 (व्यक्ति)	मंत्रालय/विभाग द्वारा स्वीकृत लक्ष्य	2016-17 के लिए संचयी उपलब्धि, अब तक सूचित	
				संख्या	वार्षिक लक्ष्य की प्रतिशतता
	1	2	3	4	5
13	पर्यटन मंत्रालय	1,10,000	1,10,000	23,909	21.74%
14	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	62,700	57,000		
15	जनजातीय कार्य मंत्रालय	94,600	86,000		
16	गृह मंत्रालय	7,700	7,000		
17	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	19,250	17,500		
18	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	88,000	80,000	22,539	28.17%
19	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	1,58,400	1,44,000	60,705	42.16%
20	भारी उद्योग विभाग	44,000	44,000	16,298	37.04%
21	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	4,400	4,000	2,809	
22	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	1,219	1,219	5,509	
	कुल	1,34,20,121	99,35,470	19,58,723	

अनुबंध - 3

जुलाई 2014 से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत इंजीनियरी और गैर- इंजीनियरी की सूची (सेमेस्टर पैटर्न)

क्र.सं.	ट्रेड का नाम	अवधि	प्रवेश योग्यता	वर्ष के दौरान प्रारंभ	वर्ष के दौरान संशोधन
	1	2	3	4	5
1.	वास्तु सहायक	2 सेमेस्टर	प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और विज्ञान और गणित में अलग-अलग 40%	2013	2014
2.	अटेंडेंट ऑपरेटर (रासायनिक संयंत्र)	4 सेमेस्टर	शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	
3.	कारपेंटर	2 सेमेस्टर	8 वीं उत्तीर्ण	2013	2014
4.	ड्राफ्टमेन (सिविल)	4 सेमेस्टर	10 वीं उत्तीर्ण	2013	2014
5.	ड्राफ्टमेन (मकेनिकल)	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	2014
6.	घरेलू पेंटर	2 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	
7.	इलेक्ट्रिशियन	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	2014
8.	इलेक्ट्रानिक मकेनिक	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण	2013	2014
9.	इलेक्ट्रोप्लेटर	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	2014
10	फिटर	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	2014
11.	फाउंडरी मेन तकनीशियन (पुराना नाम - फाउंडरी मेन)	2 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	2014
12.	सुनार	2 सेमेस्टर	8 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	
13.	सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली अनुरक्षण (पुराना नाम - आईटी एंड ईएसएम)	4 सेमेस्टर	विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10 वीं कक्षा उत्तीण	2013	2014

क्रमशः

जुलाई 2014 से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत इंजीनियरी और गैर- इंजीनियरी की सूची (सेमेस्टर पैटर्न)

क्र.सं.	ट्रेड का नाम	अवधि	प्रवेश योग्यता	वर्ष के दौरान प्रारंभ	वर्ष के दौरान संशोधन
	1	2	3	4	5
14.	औद्योगिक पेंटर	2 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	
15.	इंस्ट्रूमेंट मकेनिक	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	
16.	इंस्ट्रूमेंट मकेनिक (रसायन संयंत्र)	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	
17.	आंतरिक साज सज्जा और डिजाइनिंग	2 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	2014
18.	प्रयोगशाला सहायक (रसायन संयंत्र)	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	
19.	लिफ्ट और एस्केलेटर मकेनिक (पुराना नाम - लिफ्ट मकेनिक)	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	2014
20.	मशीनिस्ट	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	2014
21.	मशीनिस्ट (ग्राइंडर)	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	2014
22.	अनुरक्षण मकेनिक (रसायन संयंत्र)	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	
23.	मरीन इंजन फिटर_	2 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	
24.	मरीन फिटर	4 Semesters	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	

क्रमशः

जुलाई 2014 से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत इंजीनियरी और गैर- इंजीनियरी की सूची (सेमेस्टर पैटर्न)

क्र.सं.	ट्रेड का नाम	अवधि	प्रवेश योग्यता	वर्ष के दौरान प्रारंभ	वर्ष के दौरान संशोधन
	1	2	3	4	5
25.	राज मिस्त्री (भवन निर्माता)	2 सेमेस्टर	10+2 प्रणाली के अंतर्गत 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
26.	मकेनिक डीजल इंजन (पुराना नाम मकेनिक डीजल)	2 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	2014
27.	मकेनिक खनन मशीनरी	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	
28.	मकेनिक मोटर वाहन	4 सेमेस्टर	विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
29.	मकेनिक (रफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग)	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	2014
30.	मकेनिक (ट्रेक्टर)	2 सेमेस्टर	विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
31.	मकेनिक कृषि मशीनरी	4 सेमेस्टर	विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
32.	मकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक्स	2 सेमेस्टर	विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
33.	मकेनिक लेन्स/प्रिज्म ग्रांइडिंग	2 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	
34.	मकेनिक मोटर साइकिल (पुराना नाम - मकेनिक, दूपहिया वाहन मरमम्त एवं अनुरक्षण)	2 सेमेस्टर	विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
35.	मकेनिक मशीन टूल अनुरक्षण	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	2014
36.	मकेनिक मकाट्रानिक्स_	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	

क्रमशः

जुलाई 2014 से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत इंजीनियरी और गैर- इंजीनियरी की सूची (सेमेस्टर पैटर्न)

क्र.सं.	ट्रेड का नाम	अवधि	प्रवेश योग्यता	वर्ष के दौरान प्रारंभ	वर्ष के दौरान संशोधन
	1	2	3	4	5
37.	मकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	
38.	ऑपरेटर उन्नत मशीन टूल	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	2014
39.	सामान्य पेंटर	4 सेमेस्टर	8 वीं उत्तीर्ण	2013	
40.	फीजियोथेरेपी टेकनीशियन	2 सेमेस्टर	10 वी कक्षा उत्तीर्ण	2013	
41.	प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर	2 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	
42.	प्लंबर	2 सेमेस्टर	10 वीं उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण	2013	2014
43.	पम्प ऑपरेटर-सह- मकेनिक	2 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	2014
44.	रेडियोलाजी टेकनीशियन (पुराना नाम - रेडियो डायग्नोसिस और रेडियो थेरेपी)	4 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	
45.	रबड़ टेकनीशियन	2 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	
46.	शीट मेटल कामगार	2 सेमेस्टर	8 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
47.	कताई टेकनीशियन	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	2014
48.	स्टोन प्रोसेसिंग मशीन ऑपरेटर	2 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	
49.	स्टोन प्रोसेसिंग मशीन ऑपरेटर	2 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	

क्रमशः

जुलाई 2014 से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत इंजीनियरी और गैर- इंजीनियरी की सूची (सेमेस्टर पैटर्न)

क्र.सं.	ट्रेड का नाम	अवधि	प्रवेश योग्यता	वर्ष के दौरान प्रारंभ	वर्ष के दौरान संशोधन
	1	2	3	4	5
50.	सर्वेक्षक	2 सेमेस्टर (1 वर्ष)	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	2014
51.	वस्त्र मेकाट्रानिक्स	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	2014
52.	वस्त्र वैट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	2014
53.	टूल एंड डाई मेकर (डाई और मोल्ड)	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	2014
54.	टूल एंड डाई मेकर (प्रेस टूल, जिग और फिक्सर)	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	2014
55.	टर्नर	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	2014
56.	वैसल नेवीगेटर	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	
57.	वेल्डर (पुराना नाम - गैस और इलेक्ट्रिक	2 सेमेस्टर	8 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
58.	बुनकर तकनीशियन	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के तहत कक्षा 10 उत्तीर्ण और साथ में विज्ञान और गणित अथवा इसके समकक्ष	2013	2014
59.	वायरमेन	4 सेमेस्टर	8 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
	नया इंजीनियरी ट्रेड				
60.	मकेनिक ऑटो बॉडी मरमम्त	2 सेमेस्टर	विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2014	-
61.	मकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग	2 सेमेस्टर	विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2014	-

क्रमशः

जुलाई 2014 से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत इंजीनियरी और गैर- इंजीनियरी की सूची (सेमेस्टर पैटर्न)

क्र.सं.	ट्रेड का नाम	अवधि	प्रवेश योग्यता	वर्ष के दौरान प्रारंभ	वर्ष के दौरान संशोधन
	1	2	3	4	5
62.	मकेनिक एयर कंडीशनिंग संयंत्र	4 सेमेस्टर	विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2014	-
63.	सिविल इंजीनियर सहायक	4 सेमेस्टर	विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2014	-
64.	टेक्नीशियन पॉवर इलेक्ट्रानिक सिस्टम	4 सेमेस्टर	विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2014	-
65.	मकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रानिक्स उपकरण	4 सेमेस्टर	विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2014	-
66.	वेल्डर (जीएमएडब्ल्यू एंड जीटीएडब्ल्यू)	2 सेमेस्टर	8 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2014	-
67.	वेल्डर फेब्रिकेशन एंड फिटिंग	2 सेमेस्टर	8 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2014	-
68.	वेल्डर (संरचनागत)	2 सेमेस्टर	8 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2014	-
69.	वेल्डर (पाइप)	2 सेमेस्टर	8 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2014	-
70.	वेल्डर (वेल्डिंग और निरीक्षण)	2 सेमेस्टर	8 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2014	-
71.	सूचना प्रोद्योगिकी	4 सेमेस्टर	विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2014	-
72.	कम्प्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क अनुरक्षण	2 सेमेस्टर	विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2014	-
73.	रिफैक्ट्री टेक्नीशियन	4 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली की विज्ञान और गणित विषयों के साथ कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण अथवा इसके समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा	2014	-
74.	वास्तु ड्राफ्टमेन	2 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली की विज्ञान और गणित विषयों के साथ कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण अथवा इसके समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा	2014	-
	गैर-इंजीनियरी ट्रेड				
75	बेकर और हलवाई	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
76	कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
77	फूड प्रोडक्शन (सामान्य) (पुराना नाम - क्राफ्टमेन फूड प्रोडक्शन)	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014

क्रमशः

जुलाई 2014 से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत इंजीनियरी और गैर- इंजीनियरी की सूची (सेमेस्टर पैटर्न)

क्र.सं.	ट्रेड का नाम	अवधि	प्रवेश योग्यता	वर्ष के दौरान प्रारंभ	वर्ष के दौरान संशोधन
	1	2	3	4	5
78	सिलाई टेक्नोलॉजी (पुराना नाम - कटिंग और सिलाई)	2 सेमेस्टर	विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
79	कम्प्यूटर की सहायता से एम्ब्रायडरी (पुराना नाम - कम्प्यूटर की सहायता से एम्ब्रायडरी और नीडिल वर्क)	2 सेमेस्टर	विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	
80	डेयरिंग	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	-
81	डेंटल लेबोटरी	4 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	-
82	डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
83	डिजीटल फोटोग्राफर	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	-
84	ड्रेस मेकिंग	2 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
85	सरफेस ओरामेंटेशन टेक्निक्स (पुराना नाम - एम्ब्रायडरी और नीडिल वर्क)	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
86	फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी (पुराना नाम - फैशन टेक्नोलॉजी)	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
87	फूलों की खेती और बागवानी	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	-
88	फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
89	बेसिक कोस्मैटोलॉजी (पुराना नाम - हेयर एंड स्किन केयर)	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
90	स्वास्थ्य स्वच्छता निरीक्षक	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	-
91	बागवानी	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	-

क्रमशः

जुलाई 2014 से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत इंजीनियरी और गैर- इंजीनियरी की सूची (सेमेस्टर पैटर्न)

क्र.सं.	ट्रेड का नाम	अवधि	प्रवेश योग्यता	वर्ष के दौरान प्रारंभ	वर्ष के दौरान संशोधन
	1	2	3	4	5
92	अस्पताल हाउस कीपिंग	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	-
93	लेदर सामान निर्माता	2 सेमेस्टर	8 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	-
94	जूते निर्माता	2 सेमेस्टर	8 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	-
95	वृद्धावस्था की देखभाल	2सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
96	फोटोग्राफर	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	-
97	पूर्व / प्रीपरेटरी स्कूल प्रबंधन (सहायक)	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
98	फल और सब्जी प्रोसेसर	2 सेमेस्टर	विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
99	प्रोसेस कैमरामेन	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	-
100	सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस (अंग्रेजी)	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
101	आशुलिपिक और सचिवालय सहायक (अंग्रेजी)	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
102	स्पा थेरिपी	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
103	आशुलिपिक और सचिवालय सहायक (हिंदी)	2 सेमेस्टर	हिंदी अनिवार्य विषय के साथ 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण		2014
104	खाद्य और पेय पदार्थ अतिथि सेवा (पुराना नाम - स्टीवर्ड)	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
105	रेशमी और ऊनी कपड़ा बुनकर तकनीशियन (पुराना नाम- _रेशमी और ऊनी कपड़ा बुनकर)	2 सेमेस्टर	8 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
106	खान-पान और आतिथ्य सहायक	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	-
107	यात्रा और पर्यटन सहायक	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
108	मल्टीमीडिया एनिमेशन और स्पेशल ईफैक्ट	2 Semesters	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014

क्रमशः

जुलाई 2014 से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत इंजीनियरी और गैर- इंजीनियरी की सूची (सेमेस्टर पैटर्न)

क्र.सं.	ट्रेड का नाम	अवधि	प्रवेश योग्यता	वर्ष के दौरान प्रारंभ	वर्ष के दौरान संशोधन
	1	2	3	4	5
109	स्वास्थ्य, सुरक्षा और वातावरण	2 सेमेस्टर	क) कक्षा १० की परीक्षा उत्तीर्ण ख) न्यूनतम शारीरिक आवश्यकता i. ऊंचाई - 165 सेमी ii. वजन - 52 किग्रा iii. छाती - सामान्य 81 सेमी - फुलाने पर 85 सेमी iv. कोई रजिस्ट्रीकृत एमबीबीएस यह आवश्य प्रमाणित करे कि उम्मीदवार पाठ्यक्रम करने के लिए शारीरिक रूप से उपयुक्त है	2013	-
110	फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट	2 सेमेस्टर	क. 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा ख) न्यूनतम शारीरिक आवश्यकता i. ऊंचाई - 165 सेमी ii. वजन - 52 किग्रा iii. छाती - सामान्य 81 सेमी - फुलाने पर 85 सेमी iv. कोई रजिस्ट्रीकृत एमबीबीएस यह आवश्य प्रमाणित करे कि उम्मीदवार पाठ्यक्रम करने के लिए शारीरिक रूप से उपयुक्त है	2013	
111	मानव संसाधन कार्यपालक	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	-
112	मार्केटिंग कार्यपालक	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	-
113	वित्तीय कार्यपालक	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	-
114	पर्यटक मार्गदर्शक	2 सेमेस्टर	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2013	2014
115	बंबू वर्क	2 सेमेस्टर	8 वीं उत्तीर्ण	-	2014
116	दूध और दूध उत्पाद	2 सेमेस्टर	विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	-	2014
117	एग्रो प्रोसेसिंग	2 सेमेस्टर	विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	-	2014
118	खाद्य और पेय	2 सेमेस्टर	विज्ञान और गणित विषयों के साथ 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण		2014
119	डाटाबेस सिस्टम असिस्टेंट	2 सेमेस्टर	विज्ञान और गणित विषयों के साथ 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण		2014
120	सॉफ्टवेयर टेस्टिंग असिस्टेंट	2 सेमेस्टर	विज्ञान और गणित विषयों के साथ 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण		2014

क्रमशः

जुलाई 2014 से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत इंजीनियरी और गैर- इंजीनियरी की सूची (सेमेस्टर पैटर्न)

क्र.सं.	ट्रेड का नाम	अवधि	प्रवेश योग्यता	वर्ष के दौरान प्रारंभ	वर्ष के दौरान संशोधन
	1	2	3	4	5
अंधे व्यक्तियों के लिए ट्रेड					
121	मेटल कटिंग अटेंडेंट (अंधे व्यक्तियों के लिए)	2 सेमेस्टर	10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विज्ञान और गणित विषयों के साथा 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा	February - 2014	July - 2014
122	कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट	2 सेमेस्टर	10+2 पद्धति की कक्षा 10 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा उम्मीदवार अंधा/बधिर/अन्य रूप अशक्त होना चाहिए	2014	
123	डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर	2 सेमेस्टर	10+2 पद्धति की कक्षा 10 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा उम्मीदवार कम देखने वाला/शारीरिक रूप से विकलांग/बधिर/अन्य रूप से अशक्त होना चाहिए	2014	
124	कटिंग और सिलाई	2 सेमेस्टर	8 वीं कक्षा उत्तीर्ण	2014	
125	हेयर एंड स्किन केयर	2 सेमेस्टर	10+2 पद्धति की कक्षा 10 परीक्षा उत्तीर्ण अथवा इसके समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा उम्मीदवार कम देखने वाला/शारीरिक रूप से विकलांग/बधिर/अन्य रूप से अशक्त होना चाहिए	2014	

अनुबंध - 4

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय/क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में स्वीकृत कुल प्रशिक्षण सीटों के ब्यौरे (2016-17 सत्र के दौरान)

क्र.सं.	संस्थान	एनवीटीआई नोएडा	आरवीटीआई मुंबई	आरवीटीआई बैंग	आरवीटीआई तिरुवनंतपुरम	आरवीटीआई पानीपत	आरवीटीआई कोलकाता	आरवीटीआई तुरा	आरवीटीआई इलाहाबाद	आरवीटीआई इंदौर	आरवीटीआई Vad	आरवीटीआई जयपुर	आरवीटीआई शिंमला	आरवीटीआई राजपुरा	आरवीटीआई त्रिची	आरवीटीआई अगरतल्ला	आरवीटीआई पटना	कुल
	पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी गई (प्रतिवर्ष क्षमता)																	
1.	**सीटीएस पाठ्यक्रम**																	
1.	सचिवालयी प्रैक्टिस (अंग्रेजी)	20	20	40	20	20	20	20	20	20	20	20						240
2.	बेसिक कोसमैटोलॉजी	40	20		20	40	40	20	40	20	40	40		20		20		360
3.	ड्रेस मेकिंग		16	16	16	32	16	32	32	64	32	32				16		304
4.	फल एवं सब्जी प्रसंस्करण					20												20
5.	इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक	20	40	60	60	20			40	20	20			20	20		20	340
6.	सीओपीए	40	40	40	40	40	40	40	40	20	40	40						420
7.	आर्केटेक्चर ड्राफ्टमैन शिप	40	20	40	40		40			20		40	20					260
8.	डेस्क टॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर	20	20	20	20		20		20		20	20	20			20		200
9.	फ्रंट ऑफिस सहायक	20																20
10.	आशुलिपि और सचिवालय सहायक (हिन्दी)	20				20			20	40		20						120
11.	फैशन डिजाइन प्रौद्योगिकी	32		16		16	16	16	16		32	32	32	16	16		16	256
12.	आंतरिक सजावट और डिजाइन	20		20		20	20				20			20	20		20	160
13.	खाद्य उत्पादन (सामान्य)	20							20				20					60
14.	कम्प्यूटर की सहायता से एम्ब्रायडरी एवं डिजाइन	16				16				16	16							64
15.	यात्रा और पर्यटन सहायक						20										20	
16.	खाद्य और पेय पदार्थ सेवा सहायक											16					16	
17.	कंप्यूटर हार्डवेयर और न नेटवर्किंग रखरखाव					20											20	
18.	स्पा थेरेपी	20																20
19.	बैंबू कार्य															20		20
20.	ऊपरी सजावट तकनीक					16												16
	कुल	**328**	**176**	**252**	**176**	**280**	**252**	**148**	**228**	**220**	**240**	**244**	**108**	**76**	**56**	**76**	**76**	**2936**

क्रमशः

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय/क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में स्वीकृत कुल प्रशिक्षण सीटों के ब्यौरे (2016-17 सत्र के दौरान)

क्र.सं.	संस्थान	एनवीटीआई नोएडा	आरवीटीआई मुंबई	आरवीटीआई बैंग	आरवीटीआई तिरुवनंतपुरम	आरवीटीआई पानीपत	आरवीटीआई कोलकाता	आरवीटीआई तुरा	आरवीटीआई इलाहाबाद	आरवीटीआई इंदौर	आरवीटीआई Vad	आरवीटीआई जयपुर	आरवीटीआई शिंमला	आरवीटीआई राजपुरा	आरवीटीआई त्रिची	आरवीटीआई अगरतल्ला	आरवीटीआई पटना	कुल
	पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी गई (प्रतिवर्ष क्षमता)																	
2.	**सीटीएस पाठ्यक्रम : सेमेस्टर-I (ट्रेड स्किल/ट्रेड टेकनोलॉजी-I और वीसी एंड एस), सेमेस्टर-II (ट्रेड स्किल/ट्रेड टेकनोलॉजी-II और टीएम)**																	
1.	कार्यालय प्रबंधन	20	20	20	20		20	20	20	20	20	20				20		220
2.	कोसमैटोलॉजी	40				40	20	20	40		20	40		20		20		260
3.	ड्रेस मेकिंग	40	20	20	20	20	20	20	40	20	20	40				20		300
4.	सिलाई प्रौद्योगिकी	40				20		20										80
5.	फैशन डिजाइन प्रौद्योगिकी	40									20	20	20	20	20		20	160
6.	ऊपरी सजावट तकनीक	40				20												60
7.	इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक	20	20	20	20				20	20	20				20		20	180
8.	आर्केटेक्चर असिस्टेंटशिप	20	20	20	20		20			20		20	20					160
9.	ड्राफ्टमैन सिविल												20					20
10.	कार्यालय प्रबंधन (हिन्दी)										20						20	
11.	खानपान और आतिथ्य							20										20
12.	डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर			20														20
	कुल	**260**	**80**	**100**	**80**	**100**	**80**	**100**	**120**	**80**	**100**	**160**	**60**	**40**	**40**	**60**	**40**	**1500**

अनुबंध - 5

महिला औद्योगिक प्रशिक्षा संस्थानों और आईटीआई/निजी डब्ल्यूआईटीआई में महिला खंडों का राज्य-वार बटवांरा

क्षेत्र	सरकारी		निजी		कुल (2+3+4+5)	कुल सीटें
	डब्ल्यू आईटीआई	महिला खंड	डब्ल्यू आईटीआई	महिला खंड		
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी क्षेत्र						
दिल्ली	5	10	13	0	28	2757
हिमाचल प्रदेश	9	0	0	0	9	1491
राजस्थान	8	3	3	0	14	2588
चंडीगढ़	1	0	0	0	1	424
उत्तर प्रदेश	11	48	18	0	77	4444
उत्तराखंड	4	5	0	0	9	592
हरियाणा	30	0	7	0	37	3556
पंजाब	48	61	18	88	215	11820
जम्मू और कश्मीर	11	46	0	0	57	3106
कुल	**127**	**173**	**59**	**88**	**447**	**30778**
दक्षिणी क्षेत्र						
कर्नाटक		22	0	14	0	36 6061
केरल	14	0	1	0	15	2974
तमिलनाडु	12	3	6	0	21	2869
आंध्र प्रदेश	23	10	4	17	54	3980
पुडुचेरी	2	4	0	0	6	451
लक्षद्वीप	0	1	0	0	1	16
कुल	**73**	**18**	**25**	**17**	**133**	**16351**
पूर्वी क्षेत्र						
नागालैंड	1	4	0	0	5	340
मेघालय	1	0	0	0	1	63
बिहार	10	0	1	0	11	861
झारखंड	6	0	0	0	6	544
पश्चिम बंगाल	4	7	1	0	12	1037
उड़ीसा	10	0	5	0	15	1215
असम	5	23	0	0	28	1743
मणिपुर	1	0	0	0	1	80
मिजोरम	0	0	0	0	0	0

क्रमशः

महिला औद्योगिक प्रशिक्षा संस्थानों और आईटीआई/निजी डब्ल्यूआईटीआई में महिला खंडों का राज्य-वार बटवांरा

क्षेत्र	सरकारी		निजी		कुल (2+3+4+5)	कुल सीटें
	डब्ल्यू आईटीआई	महिला खंड	डब्ल्यू आईटीआई	महिला खंड		
1	2	3	4	5	6	7
त्रिपुरा	1	0	0	0	1	320
अण्डमान और निकोबार	0	1	0	0	1	26
अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0	1	105
सिक्किम	0	0	0	0	0	0
कुल	40	35	7	0	82	6334
पश्चिमी क्षेत्र						
गुजरात		25	44	3	0	72 9288
मध्य प्रदेश	14	0	0	0	14	2987
छत्तीसगढ़	9	0	0	0	9	884
महाराष्ट्र	15	525	8	102	650	16632
दादरा और नगर हवेली	0	1	0	0	1	16
गोवा	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
कुल	63	570	11	102	746	29807
सकल योग	303	796	102	207	1408	83270

सबसे अच्छा

गणतंत्र दिवस परेड 2017 में केंद्रीय मंत्रालय की झांकी

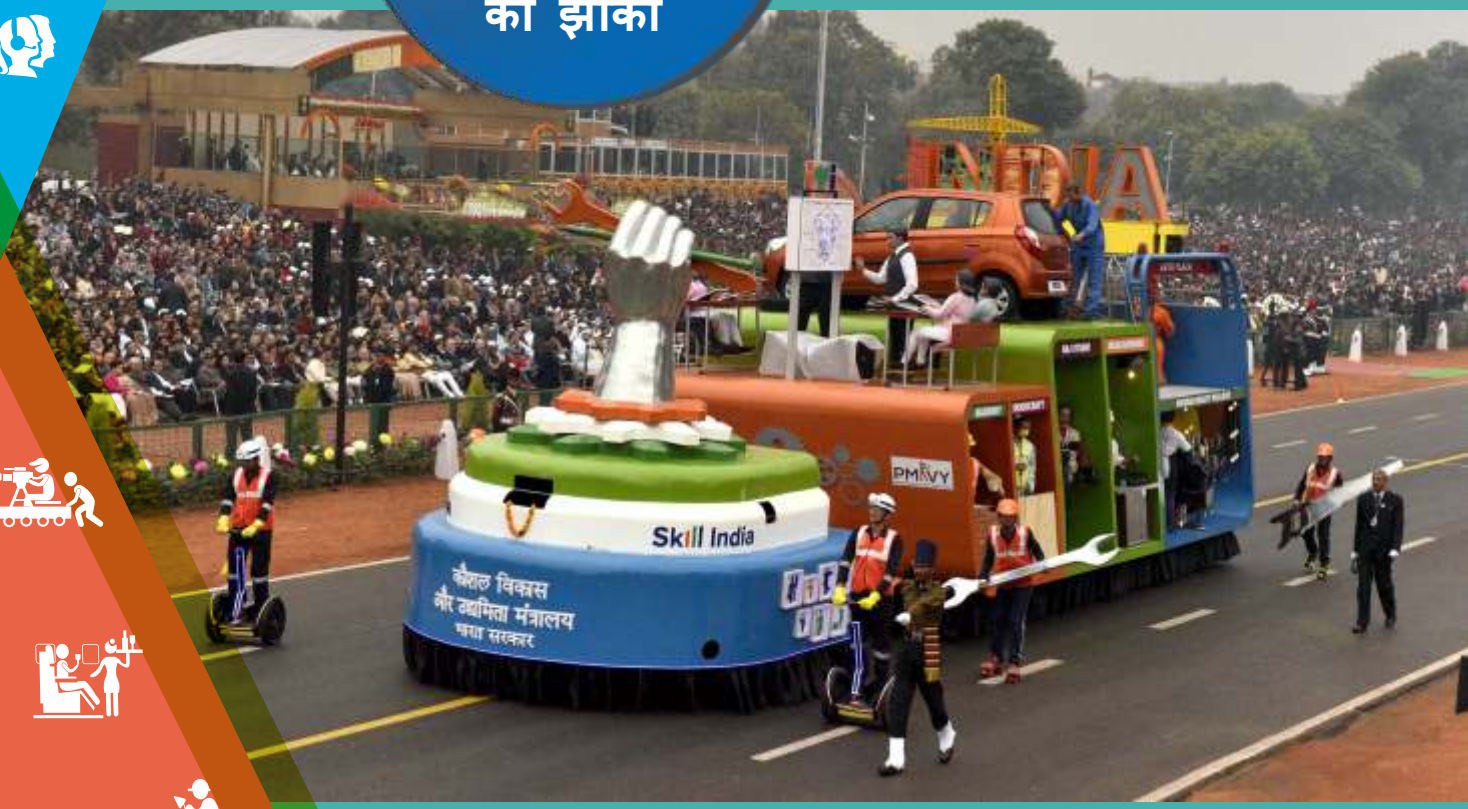

सत्यमेव जयते

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
भारत सरकार

दूसरा तल्ला, शिवाजी स्टेडियम एनेक्सी बिल्डिंग, शहीद भगत सिंह मार्ग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110001
दूरभाष: 011 23450841 ई–मेल: contactmsde@gov.in
www.msde.gov.in • www.skilldevelopment.gov.in